

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पटानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, धर्मशाला, तपोवन-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

19.12.2024/1100/बीए0स0/-1

नियम-67 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा

Speaker : If you all agree, as you all know we have a lot of Business to transact like Question Hour, Zero Hour and some Bills. So, if you all agree, can we take up that Business first thereafter we will start with the discussions under Rule-67? ...(Interruption). You (Opposition) want discussion on priority. I am deferring the whole Business after the discussion under Rule-67. I hope you all will be discussing this issue in a brief and short manner as lot of things have already come in the discussion. जो पिछले कल की मेरे पास लिस्ट थी, उसके अनुसार माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी अब नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। I will request both the parties to give revised list.

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने कांग्रेस सरकार के दो वर्ष के बीच जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर चर्चा की मांग की थी। उसमें मैं भी कुछ बातें लेकर आया हूँ और मुझे पूर्ण आशा है कि मुख्य मंत्री महोदय उन सारे विषयों की गंभीरता है कि सरकार के दो साल पूरे हो गए और आज आपके शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बात हो रही है परंतु कांग्रेस के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आपकी सरकार के समय में यह कमी पाई गई और यह भ्रष्टाचार हुआ। मुख्य मंत्री महोदय, आप दो सालों से क्या कर रहे हो? अगर पिछली सरकार ने कोई गलतियां की हैं तो आपने दो वर्षों के अंदर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं या तो आप मित्रता निभा रहे हैं या आपके पास एक्शन लेने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं हैं। आप यहां पर खड़े हो करके बोल रहे हैं कि आपने फलां कर दिया, यदि ऐसा हुआ है तो आप कुछ करिए। हम जो आपको कुछ बता रहे हैं उस पर मुख्य मंत्री जी को गहन विचार करना चाहिए व चिंतन करना चाहिए। कल भाई विनोद जी ने एक विषय लिया था, विषय छोटा था परंतु सच्चाई पर आधारित था। मुख्य मंत्री जी बार-

बार बोलते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बना दूंगा और यहां सारे-के-सारा ग्रीन हो जाएगा। परंतु यह ग्रीन कहां से होगा? यहां तो सारे-का-सारा काला ही हो रहा है और सारा-का-सारा गड़बड़ हो रहा है। मैंने यह विषय अखबारों में भी दिया है। मैंने

19.12.2024/1100/बीए0स0/-2

धर्मशाला में आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लेकिन आपकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। जिनके खिलाफ यह शिकायत की गई, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। क्या यह सच्चाई नहीं है? पेखुबेला के अंदर जो 32 मैगवाट का सोलर प्लांट आपने लगाया है उसी प्रकार का प्लांट गुजरात में भी लगा है, फर्क केवल इतना है कि

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1105/dt/ए.एस.-1

श्री बिक्रम सिंह जारी...

वह 35 मैगवाट का है। कृपया सुनिए, जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा है उसकी डेट ऑफ कमीशनिंग 15.4.2024 है और दोनों की लैंड ऑनरशिप गवर्नमेंट की है। इसमें एक खाना आता है कि does filling is done to improve the soil type? गुजरात में जो प्रोजेक्ट 28 सेक्टर में लगा है उसमें उन्होंने हां की है। आपने ठेकेदार को लाभ देने के लिए कुछ नहीं करवाया है। आपके इस प्रोजेक्ट में 220 करोड़ रुपये खर्च हुआ है और जो प्लांट गुजरात में लगा है उसके ऊपर 144 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आपने ठेकेदार को खुश करने के लिए यह सब किया है। आपने आगे क्या है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा 'Operation and Maintenance given to the contractor', वह 10 साल में काम करेगा लेकिन आपने उसको 8 साल में करेगा यह कहा है। उसमें एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है लेकिन आपने इसे इंस्टॉल ही नहीं करवाया है लेकिन यह गुजरात में हुआ है। वहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है। जो इसकी पर मेगावाट कॉस्ट बनती है वह 6.84 करोड़ रुपये है और गुजरात में 4.1 करोड़ रुपये पर मेगावाट कॉस्ट बनती है यानी 2.73 करोड़ रुपये पर मेगावाट हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है।

मुख्य मंत्री महोदय आप इतने संवेदनशील हैं कि मुझे आपको सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में बतानी पड़ रही है। मैंने एक-डेढ़ महीने पहले भी बोला था कि क्या कारण है कि आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है कि आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है कि इतने दिनों से सारा विषय चला है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं किया? मैं आपके समक्ष सही-सही बातें बोल रहा हूँ लेकिन इसके पीछे जो लेनदेन हुआ है, इसके पीछे जो चीजें हुई हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कमरे में वह सब भी बता दूंगा।

इसके पीछे जो लेन-देन हुआ है और इसके पीछे जो चीजे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके कमरे में आकर आपको वह भी बता दूंगा। लेकिन ये जो काम करना है, उस काम के लिए आप लोगों के पास समय नहीं है और ये इसलिए होता है जब हम सब लोग मिले होते हैं। अधिकारियों को भी लगता है हम यहां पर बिल्कुल कंफर्टेबल पोजिशन पर है, ऐसा चलने दो और आप लोगों ने भी उनको शाबाशी दी हुई है जिस

19.12.2024/1105/dt/ए.एस.-2

कारण से ये हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो कांग्रेस सरकार चुप क्यों है। माननीय मुख्य मंत्री एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते? इनके पीछे कौन सी कंपनियां हैं और इन कंपनियों के साथ आपकी क्या साठगांठ है और क्या लेन-देन हुआ है? इन सारे विषयों पर पूरी जानकारी देनी चाहिए। ये साढ़े तीन महीने तक आधी कैपेसिटी पर चला। आप हर मंच में जाकर वाह-वाह करते हैं और कहते हैं मैंने वहां ये कर दिया, मैंने वहां रिबन काट दिया। प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने जा रहा है। फ्लड की निकासी का आपने इस प्लांट में कोई प्रबन्ध नहीं किया। आपने मेन ड्रेन नहीं बनाए और यहां पर प्रोपर फिलिंग नहीं हुई है। सोलर पैनल जिस हाइट पर होना चाहिए as per the specification और उसकी सेफगार्ड के लिए जितनी ऊंचाई होनी चाहिए उसकी उतनी ऊंचाई भी नहीं है। इस पैनल में ट्रेकर नहीं लगा है। ट्रेकर वह होता है जिस तरफ सूर्य की दिशा होती है वह उसी तरफ को घूमता है। आपने यहां पर ट्रेकर की कोई व्यवस्था नहीं

की। सोलर पैनल को साफ रखने के लिए जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है वह भी नहीं है। आपने ठेकेदार को खुश करने के लिए इन सारी चीजों को किया है। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि सरकार को इस मुद्दे के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए इसमें क्या एक्शन हो सकता है वह एक्शन लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसपर एक्शन करेंगे। ये तो बात हो गई ग्रीन एनर्जी की। हिमाचल प्रदेश में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहां टूरिज्म है। यहां पर टूरिज्म का बड़ा शोर रहता है। ये भी सुनने में आता है कि टूरिस्ट यहां बहुत आता है और यहां के होटलों में आक्यूपेंशी 100 प्रतिशत रहती है। लेकिन जिस होटल को सरकार चलाती है और जिस कॉरपोरेशन के अधीन ये होटल चलते हैं, वह होटल घाटे में जा रहे हैं। मैंने इस संबंध में इस सदन में प्रश्न भी लगाया था और मैंने इस बारे में श्री रघुबीर सिंह बाली जी से बात भी की थी, ये मेरे छोटे भाई के समान हैं और इनको लगा होगा कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं सिस्टम के पीछे पड़ा हूं। सिस्टम को ठीक करने का दायित्व आपका है और मेरा दायित्व ये है कि जो गलत हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। किसी को भी इन बातों को व्यक्तिगततौर पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना भी आपकी ही जिम्मेवारी है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1110/डी.सी.-एन.जी./1

श्री बिक्रम सिंह जारी.....

इसीलिए आपको (श्री आर.एस. बाली जी को कहते हुए) बोला गया है। पिछले कल भी हमने इस विषय को उठाया था। हमने आज तक नहीं सुना कि हिमाचल प्रदेश में किसी निजी व्यक्ति का होटल घाटे में चल रहा हो। आपका (श्री आर.एस. बाली जी को कहते हुए) भी होटल है और बहुत बड़ा होटल है। मुझे नहीं लगता कि आपका होटल घाटे में होगा। आपके विभाग का एक कर्मचारी कुछ माह पहले माननीय कोर्ट में चला गया था और उसने कोर्ट में कहा कि विभाग ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं तथा दिनांक 01-01-2016 के बाद से

मेरा जितना पैसा बनता है उतना मुझे दिलवाया जाए। उस कर्मचारी की लगभग 35.13 लाख रुपये की देनदारी बनती है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की मंशा क्या है? उस कर्मचारी के 35 लाख रुपये देना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जब वह कर्मचारी माननीय कोर्ट में गया तभी आप मान लेते कि हम इसके 35 लाख रुपये दे देंगे। आपने ऐसा नहीं किया और आपके अधिकारियों ने माननीय कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया तथा इस प्रकार से दर्शाया कि हम तो कंगाल पोजिशन में हैं। हमारे विभाग की हालात ठीक नहीं है इसलिए हम उस कर्मचारी के पैसों का भुगतान नहीं कर पाए। यह केस दिनांक 24-08-2024 को फाइल किया जाता है और दिनांक 17-09-2024 को लिस्ट होता है। उसके बाद माननीय कोर्ट द्वारा आपके विभाग से सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित डाटा मांगा जाता है। आपके विभाग ने दिनांक 19-11-2024 को जो हल्फनामा दायर किया उसमें कहा गया कि हमारे 56 में से 50 होटलों में 50 प्रतिशत से कम लोग आते हैं। यानी के आपने (श्री आर.एस. बाली जी को कहते हुए) पूरे सिस्टम को इस प्रकार से दर्शाना चाहा कि हम इसलिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि यदि आपके हालात ऐसे हैं तो उन 18 होटलों को बंद कर दीजिए जिन्हें आप घाटे में बता रहे हैं।

19-12-2024/1110/डी.सी.-एन.जी./2

जब माननीय कोर्ट ने आपको इस प्रकार के आदेश दिए तब हिमाचल की जनता ने व भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद करते हुए आपकी सरकार से प्रश्न किए और उसके बाद आपकी सरकार ने उस पर यू-टर्न लिया। उसके बाद आपने एक और एफिडेविट दिया तथा उस एफिडेविट देने से पहले जिस कर्मचारी ने केस फाइल किया हुआ था आपने उसके पैसे भी दे दिए। आपने सोचा कि अब बात खतम हो जाएगी लेकिन बात वहां पर खतम नहीं होती। आपने माननीय कोर्ट को बताया कि 56 में से 14 होटल प्रोफिट में हैं और आपने माननीय कोर्ट को यह भी बताया कि जिन 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं उनमें से 9 होटल भी प्रोफिट में हैं। मैं मांग करता हूँ कि माननीय सदन में इस बात

को क्लियर किया जाए कि ऐसा क्यों किया गया? माननीय कोर्ट में दो प्रकार के एफिडेविट क्यों दिए गए? माननीय कोर्ट में पहले क्यों बताया गया कि हम घाटे में हैं? इस सब के पीछे आपका (श्री आर.एस. बाली जी को कहते हुए) क्या हिड्डन एजेंडा है? आप क्या करना चाहते हैं? जिस प्रकार से अखबारों में आया और आमजन मानस भी बोल रहा है कि आपकी सरकार उन होटलों को लीज़ पर देना चाहती थी। ऐसा लग रहा है कि इस विषय पर आपकी किसी-न-किसी के साथ बातचीत चली हुई थी। माननीय कोर्ट में आपने जो एफिडेविट दिया है उसमें भी आपने लिखा है कि हम पांच संस्थानों को लीज़ पर देने की बात कर रहे हैं। जिन पांच संस्थानों को लीज़ पर देने की बात कही उनमें से एक चम्बा जिला का है और शेष चार कांगड़ा जिला के हैं। जिला कांगड़ा के जो चार संस्थान हैं वे सभी आपके (श्री आर.एस. बाली जी को कहते हुए) नगरोटा क्षेत्र के रेडियस में हैं। आपने कहा है कि हम इन पांच संस्थानों को लीज़ पर देना चाहते हैं और इस विषय पर हमारी बातचीत चली हुई है। आपने माननीय कोर्ट में लिख कर दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह विषय आएगा और इस पर फैसला लिया जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि इन पांच होटलों को ही क्यों इंगित किया गया? क्या नगरोट क्षेत्र के आस-पास के ही होटलों में प्रोब्लम है? इनके अलावा अन्य होटलों को क्यों नहीं लिया गया? अन्य होटलों पर इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश क्यों नहीं की गई?

19-12-2024/1110/डी.सी.-एन.जी./3

ये सभी बातें जो उठ रही हैं, छोटे भाई (श्री आर.एस. बाली जी को कहते हुए) इनके बारे में आमजन मानस को बताइए। आप (श्री आर.एस. बाली जी को कहते हुए) राजनीति में नए-नए आए हैं और आपको लम्बा सफ़र तय करना है। इसलिए यदि किसी के मन में इफ़ एण्ड बट आता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसकी सम्पूर्ण जानकारी आमजन मानस को अवश्य दें। आपने एक एफिडेविट घाटे वाला क्यों दिया और दूसरे एफिडेविट में लाभ क्यों दर्शाया? आपने कांगड़ा व चम्बा में पांच होटलों को लीज़ पर देने की बात क्यों कही?... (व्यवधान)

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19-12-2024/1115/केएस/डीसी/1

श्री विक्रम सिंह जारी----

...(व्यवधान) कोई बात नहीं कालिया साहब। इतने बढ़िया माहौल में बात हो रही है। कालिया जी, आप मेरे पड़ौसी हैं, क्यों तंग कर रहे हो? ...(व्यवधान) इनके प्रति तो मैंने पहले ही कह दिया है कि ऐसा कोई विषय नहीं है लेकिन जब जानकारी आई है, मुझे लगता है कि ये जानकारियां सांझी करनी चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम आपका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अगर इनसे कोई लाभ हो सकता है, इनके कारण प्रदेश आगे बढ़ सकता है तो होना चाहिए। कल भाई सतपाल सिंह सती जी ने कुछ विषय यहां पर रखे। ठीक है, अगर कोई ऑफिसर डाउटफुल है और अगर आप उसको दोबारा से नौकरी दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी देर लगानी चाहिए थी और मुख्य मंत्री जी, आप उस समय भी बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे थे। आपने उस समय भी उस बात को गम्भीरता से नहीं लिया। आपने पता नहीं किया। इस समय तक तो उस ऑफिसर के ऊपर आपका एक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। आपको सरेआम बताया जा रहा है कि आपके सचिवालय में बड़े-बड़े ऑफिसर मोटे पैसे लेते हैं। आपको बताया जा रहा है लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे। एक और बात बताना चाहता हूं कि आपकी कैबिनेट के अंदर एक सीनियर मिनिस्टर ने यही विषय छोड़ा और उन्होंने सचिवालय में सचिव स्तर के ऑफिसर की बात की कि ऐसा-ऐसा विषय आ रहा है। तीन-चार कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उनका साथ दिया लेकिन आपने उस बात को भी इग्नोर किया। अब आप बोल सकते हैं कि आपको पता तो है नहीं, आप कौन सा कैबिनेट में थे लेकिन यह सच्चाई है। मुझे लगता है कि इन सारे विषयों के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। कल भाई अवस्थी जी, मेरे ख्याल में अवस्थी जी ही थे, यहां बात चल रही थी। ...(व्यवधान) हां कंफर्म है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो-तीन लोग रखे हैं जिसमें अवस्थी

जी, आपका भी नाम है। एक आप हैं और एक अपने सुरेश भाई हैं। इनको थोड़ा सा कह के रखते हैं कि इनको गोड़ा दे कर रखो लेकिन आपसे दिया नहीं जाता क्योंकि आप सारे खुद ही गोड़े में फंसे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। टूरिज्म विभाग के अंदर, इसको भी ध्यान से देखें कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई

19-12-2024/1115/केएस/डीसी/2

है। अगर सच्चाई है तो इसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपके बिडिंग प्रोसैस में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो बिडिंग हुई है, उसमें एक कम्पनी ग्रैंड टोकन के नाम से यू.एस. बेस्ड है और इन्होंने काम लेने के लिए कहीं कम्पीटिशन में रेट भरे हैं और वहां पर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भी अप्लाई किया हुआ है। जो वह बिडिंग हुई है उसमें जो फाइनेंशियल बिड है उसमें टाटा कंसल्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड नम्बर-1 पर है लेकिन आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बाकी सारी की सारी टीम ने मिलकर ये जो मैंने पहले कम्पनी बताई है ग्रैंड टोकन नाम से उसको फाइनेंशियल बिड के अलावा जो टैक्निकल फ्रंट होता है, उसमें आप लोगों ने ज्यादा मदद करके उसको नम्बर-1 पर ला कर आगे किया है जिसके कारण विभाग को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगर मेरा विषय ठीक है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों है, किन ऑफिसरों ने मिलकर ऐसा किया है? अगर किसी की फाइनेंशियल बिड इससे 20 करोड़ रुपये कम बनती है तो ऐसा क्यों किया गया है? मैं चाहता हूँ कि इसका भी आप ध्यान करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से अलग-अलग विभागों के अंदर आपकी जो अप्वाइंटमेंट्स हुई हैं, मैं विभागों के नाम सहित बताऊंगा। ज्योलॉजी विभाग में जो एन्वायरन्मेंट की डिग्री चाहिए, जिसको आपने वहां पर रखा है, उसकी डिग्री मेल नहीं खाती। इसी प्रकार से एक पोस्ट एस.डी.ओ., इलैक्ट्रिक कम्प्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है। प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ लेकिन इसको भी आपने रखा हुआ है। इसी तरीके से जो ए.डी.बी. में अनुभव मांगा

जाता है, आपने दो लोग जो पति-पत्नी हैं, दोनों को उसमें रखा हुआ है। उनके एक्सपीरियंसिज़ मेल नहीं खाते हैं इसलिए इस विषय को भी आप ध्यान से देखिए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.12.2024/1120/av/hk/1

श्री बिक्रम सिंह ----जारी

आपकी ऐसी लगभग 10 नियुक्तियां हैं जिनमें क्वालीफिकेशनज व मांगा गया एक्सपीरियंस मेल नहीं खाता है।

कल उद्योग के ऊपर काफी चर्चा हुई। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी मुख्य मंत्री बने हैं, उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उद्योगों के अंदर जिस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। आप याद कीजिए, आपने मुख्य मंत्री बनने के बाद अपने दूसरे या तीसरे भाषण में बड़े जोर से बोला था कि मैं उद्योग के अंदर स्क्रेप पॉलिसी लेकर आऊंगा। वह पॉलिसी पिछले 8-10 महीनों से दफ्तरों में पड़ी है लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। वह काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में स्क्रेप का काम करने वाले लोग बड़े-बड़े नेता व उनके रिश्तेदार हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए आपको स्क्रेप माफिया पर कंट्रोल करना चाहिए। इस कबाड़ माफिया के कारण वहां पर लोग डर के रह रहे हैं और उद्योगपति भी डर के काम कर रहे हैं। वहां पर कंट्रोल तब होगा जब आप अपने बड़े नेता को यह बात समझाने में सफल हो जाएंगे कि ये चीजें गलत हैं और इसके कारण बद्नामी हो रही है। लेकिन आप इस बारे में कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि यहां पर उद्योग आएँ और उसके लिए हमने ग्लोबल इन्वैस्टर मीट भी की थी। हम अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में वहां पर बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क लेकर आए। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने पिछले दो वर्षों में इन दोनों प्रोजैक्ट्स के अंदर जिनके नाम लेकर आप अभी थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि हमारी सरकार ने तो यह भी सस्ते में दे दिया, वह भी सस्ते में दे दिया। लेकिन

आप यह बताइए कि आपने अपने दो साल के कार्यकाल में महंगे में क्या लिया और क्या दिया? आप मुझे यह बताइए कि हमने महंगे में यह-यह बेचा है। आपने पिछले दो वर्षों के अंदर कंदरौड़ी में इण्डस्ट्रियल पैकेज की वॉयलेशन करके विशेषकर एक कम्पनी को खुश करने के लिए 10 वर्षों की जगह 15 वर्षों की रियायत दी है। यहां पर कोई नया उद्योग नहीं आया। ... (व्यवधान) मैं पैकेज की बात कर रहा हूं। यहां पर माननीय

19.12.2024/1120/av/hk/2

सदस्य श्री संजय अवस्थी जी कल पैकेज की बात कर रहे थे कि आपने तो एक-एक रुपये के हिसाब से सारा दे दिया। मैं जो बातें बता रहा हूं आप इस बारे में जांच कीजिए। मैं मानता हूं कि दिया है परंतु यदि गलत दिया है तो अंदर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे अंदर कीजिए। आप इस बात की हिम्मत रखिए। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य संजय अवस्थी जी, आपने कल अपनी बात रखते हुए इण्डस्ट्री की बात की है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि हमने तो किया लेकिन आपने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? आपने कंदरौड़ी में वरुण बिबरेज के लिए समयावधि बढ़ाकर 10 वर्ष की जगह 15 वर्ष क्यों की है? आपको इन सारे विषयों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ काम किया है। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने प्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना शुरू की थी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने उस योजना का गला घोंट दिया। नौजवानों ने 169 करोड़ रुपये जो इण्डस्ट्रीज लगाने पर खर्च किए थे आज उनकी वे इण्डस्ट्रीज बंद हो गई हैं। कइयों को बैंक्स से नोटिस आ रहे हैं। सरकार ने अभी 169 करोड़ रुपये सब्सिडी के देने हैं। मेरा निवेदन है कि आज चर्चा आई है तो इस चर्चा के माध्यम से आप इतना रहम तो खाइए कि अपने भाषण में यह बोल दें कि आप उन बच्चों की सब्सिडी रिलीज करेंगे। ... (घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे 5-7 मिनट का समय देंगे तो मैं बड़े अच्छे तरीके से अपनी दो-चार बातें रख सकता हूं। इलीगल माइनिंग का विषय भी आता है क्योंकि यह भी

भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय है। अगर हम लोग माइनिंग पर बोलते हैं तो आप कहने लगते हैं कि हम राजनीति करते हैं। आपके ही उप-मुख्य मंत्री जी देखो कैसे खुद बोल रहे हैं। ये कितने जोर-जोर और दुःखी होकर बोल रहे हैं,

टीसी द्वारा जारी

19.12.2024/1125/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री बिक्रम सिंह..... जारी

इनकी आपके साथ कोई लड़ाई थोड़ा है लेकिन वहां से जो बड़े-बड़े टिपर जा रहे हैं उसके कारण बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं और रात के समय महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। इन टिपरों के अंदर अधिकांश माल इलीगल माइनिंग का जा रहा है। उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जंगलों का बहुत बुरा हाल है। मैंने भी आपके साथ इस बात को शेयर किया था और आपने इस पर एक्शन लिया और बड़े चालान करवाए थे। लेकिन यदि हिमाचल प्रदेश से एक दिन में 500 ट्रक लकड़ी का बाहर निकलता है तो हिमाचल प्रदेश कहां जाएगा? ये 500 ट्रक मैं सनसनी फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप अपना रिकॉर्ड चैक कर सकते हैं। चैक पोस्ट पर छोटी गाड़ी को क्लीयर करने का 500 रुपया और बड़ी गाड़ी का 1000 रुपया लिया जाता है। यह बात मैं बात-बार आपके ध्यान में लाता आ रहा हूं। लेकिन आज तक आपने न तो किसी को पकड़ा है और न ही कोई एक्शन लिया है। एक दिन जरूर किया था जब मैंने आपसे आग्रह किया था। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग होगी भी क्यों नहीं जब आपके बड़े-बड़े आदमी इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। आपके नेताओं की गाड़ियां इसमें फंस रही हैं और उनके ऊपर एफ0आई0आर0 लॉज दर्ज हो रही है। आपके नेताओं की जे0सी0बी0 पकड़ी जा रही है। लेकिन उनको आपका पूरा-का-पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। आपने इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए तो कुछ नहीं किया लेकिन वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया कि वे लम्बी छुट्टी पर चले गए जोकि बड़े दुःख की बात है। आपको उदाहरण सैट करना चाहिए था कि being a Chief Minister मैंने बड़े नेता को रोका है,

उनके ऊपर अंकुश लगाया है। लेकिन आज बद्दी-बरोटीवाला में जो इंडस्ट्री खरीदी जाती है, उसी जमीन के ऊपर प्लॉट काटे जाते हैं तथा तीन-चार गुणा ज्यादा दाम पर बेचे जाते हैं। आपने तो उनको 118 के तहत परमिशन दी हुई है। आम आदमी आपसे परमिशन लेने आता है तो उसकी फाइल ताले के अंदर से नहीं निकलती। इसलिए आपको इन सारी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। ये तो मैं हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में कुछेक बातों का

19.12.2024/1125/टी0सी0वी0/एच0के0-2

जिक्र कर रहा हूँ। मुख्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि धर्मशाला के अंदर किसी व्यक्ति को ओबेलाइज करने के लिए आप उसको सरकारी जमीन देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में पिछले कल यहां पर कागज भी रखे गए थे और कहा भी गया था कि आप इन सारे विषयों को गम्भीरता से लें। आप किस प्रकार से सरकारी जमीन पर पेट्रोल पम्प लगाने के लिए किसी व्यक्ति को लीज पर देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? अगर मेरा यह विषय सही है तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपकी हालत इतनी खराब है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में आपके जो नेता हैं वे पी0डब्ल्यू0डी0 में टैंडर लेने के लिए 10 प्रतिशत राशि लेते हैं। इसके बारे में आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया में इस बात को कहा और उसके बाद उसको पीटा गया, उसके ऊपर एफ0आई0आर0 लॉज दर्ज हुई और वह रोता-रोता आपकी स्टेज के ऊपर आया। आपने उसको हाथ लगाकर शाबाशी दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसका नाम जीवन कुमार है। लेकिन यदि आपको सही बात बताएं तो आप उसको सुनते ही नहीं है। आपकी इस विषय के ऊपर सीरियसनेस ही नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्कूलों के बच्चों से पैसे इकट्ठे करके एनुअल प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन फंक्शन्स करवाया जा रहे हैं। हारे-नकारे व्यक्ति पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड का भूमि पूजन कर रहे हैं। पिछले कल भी मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे विषय नहीं आने चाहिए, नहीं तो इस विधान सभा के माध्यम से मैं यह

बिल्कुल क्लीयर कट कहना चाहता हूं कि अन-कॉन्स्टीट्यूशनल अथोरिटी अगर इस प्रकार का काम करेगी तो हम उनको बर्खोर्गे नहीं और ईट से ईट बजा देंगे।

एन0एस0 द्वारा जारी

19-12-2024/1130/एन0एस0-वाई0के0/1

श्री बिक्रम सिंह -----जारी

इसलिए अधिकारीगण जो इस प्रकार की चम्मचागिरी कर रहे हैं वे इसे बंद करें। इस प्रकार के जो विषय आ रहे हैं उनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि जिन विषयों को मैंने गंभीरता के साथ यहां रखा है, मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। जय हिन्द।

Speaker : My request to the Hon'ble Members ...(Interruption) Please, take your seat. I am speaking. ...(Interruption) मुझे तो पहले बोलने दो। ...(Interruption) Shri Suresh Kumarji please, take your seat. I am saying something. Please, take your seat, first listen to me. I am requesting all the Hon'ble Members because I have a list of 7-7 Members each from both the parties and if I give 10 minutes to each speaker, nearly it takes 3 hours. So, I would request all the Hon'ble Members to be a very specific not to repeat the issues which have been already raised by a Hon'ble Member if anything new they bust and wind-up speech not more than 10 to 12 minutes. I will not give time. I will call the another speaker. नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी आप बोलिए।

19-12-2024/1130/एन0एस0-वाई0के0/2

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया। यहां पिछले कल प्रश्नकाल को सस्पेंड करके आपने मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया। उससे भारतीय

जनता पार्टी के मूवर श्री रणधीर शर्मा जी को अचानक एक सरप्राइज मिला क्योंकि ये इसके लिए तैयार होकर नहीं आए थे। इनकी कल रैली के लिए तैयारी थी और यह सोच कर आए थे कि यहां इसकी परमिशन नहीं मिलेगी और नारेबाजी करते हुए बाहर जाएंगे। यही कारण रहा कि जब ये बोल रहे थे और जो विषय यहां उठाए गए उनके लिए ये गंभीर नजर नहीं आए तथा इनकी तरफ से न ही सबस्टैंशियल आरोप लग पाए। दोनों तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से गंभीरता दिखनी चाहिए। कल भी बहुत सारे माननीय सदस्य विपक्ष की तरफ से यहां पर हाजिर नहीं थे। जो इस बात को दर्शाता है कि ये विषय तो लेकर आए लेकिन उसके प्रति गंभीर नहीं थे। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया जो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है, प्रजातंत्र में विश्वास रखती है और जो व्यक्ति गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करने की मंशा रखती है। इसी इरादे से सत्ता पक्ष से अनुरोध किया गया। दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को बिलासपुर में बहुत बड़ी रैली हुई। हमारी सरकार के दो साल पूर्ण हुए। बिलासपुर के आम लोगों से भी पूछेंगे तो वे कहेंगे कि इतनी बड़ी रैली हुई। वहां पर प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई तब भी इतने ज्यादा लोग नहीं थे। हालांकि, उसमें लाभार्थी बुलाए गए थे। हमारे यहां पर लोग स्वेच्छा से आए थे। जो इस बात का प्रतीक है कि सरकार के प्रति लोगों का जो लगाव वर्ष 2022 में चुनावों के समय था वही लगाव हिमाचल प्रदेश की जनता ने जब फरवरी महीने में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को आपने चोर दरवाजे से हटाने की कोशिश की, उसमें दिखाया।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.12.2024/1135/RKS/YK/-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री... जारी

हमारे विधायकों को डरा-धमका कर व लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई लेकिन जब उप-चुनाव हुए तो 9 में से 6 विधायक दोबारा कांग्रेस पार्टी के ही जीते।

हमार दल की संख्या दोबार 40 ही रही। अब आप अनाप-शनाप मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप समोसा कांड, कभी टॉयलेट टैक्ट और कभी मुर्गे की बात कर रहे हैं। पता नहीं इन मुद्दों को आप कहां-कहां से लेकर आते हैं लेकिन लोग इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं। जनता को पता है कि आप असली मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं हैं। कल जो यहां पर बातें रखी गई हैं उनका काउंटर अटैक हमारे माननीय सदस्यों ने किया है। आप इसके ऊपर भी पूरी तरह डिफेंसिव थे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों जो शराब के ठेकों की ऑक्शन की गई है उसमें हमारी सरकार को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है। आपने पिछले पांच सालों में शराब के ठेकों की ऑक्शन नहीं की थी। आप इस मसले पर ऐसी नीति अपनाकर क्यों चले हुए थे? जो हिमाचल प्रदेश को इन शराब के ठेकों की नीलामी से पैसा मिल सकता था उससे आपने प्रदेश के लोगों को वंचित किया जोकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप है। इसकी वजह से आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आपने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। हमारी सरकार ने एक बोल्ट स्टेप लेते हुए ओपन ऑक्शन करवाई ताकि हिमाचल के लोगों के हित में काम किया जा सके। टूरिज्म सैक्टर में वाइल्ड फ्लावर हॉल हिमाचल प्रदेश की सिग्नेचर प्रोपर्टी है। इस होटल को लेने के लिए हमने न्यायालय में लड़ाई लड़ी और आज इस डेढ़ हजार करोड़ रुपये की प्रोपर्टी का मालिकाना हक हमें मिला है जोकि अपने आप में हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री बिक्रम सिंह जी ने टूरिज्म होटल्स के बारे में बात की है। यदि हम टूरिज्म होटल्स में डिसइनवेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है। आपको याद होगा जब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने श्री अरुण शौरी जी को डिसइनवेस्टमेंट मिनिस्टर बनाया था। केंद्र सरकार ने भी BSNL और NTPC का बहुत बड़ा स्टेक बेचा है। इसी तर्ज पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की कुछ इक्विटी बेच दें तो यह कोई बुरी बात नहीं है। इससे अगर टूरिज्म सैक्टर में पैसा आता है तो हम इस पैसे को उन

19.12.2024/1135/RKS/YK/-2

एरियाज में खर्च कर सकते हैं जहां अनटैग्ड पोटेंशियल है। हमें टूरिज्म सैक्टर को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे बेरोजगार युवाओं को और ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। आप जो घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें आप बिना मतलब के शक पैदा करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो उस समय बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए। हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है उसे हम मार्केट रेट पर इंडस्ट्रियल प्लॉट देते हैं। उसको ब्याज की दर भी उसी प्रकार से देनी पड़ती है। किसी स्कीम के तहत थोड़ी-बहुत सब्सिडी का प्रावधान है लेकिन उन्हें बिजली भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रेट पर मिलती है। उसको किसी तरह से छूट नहीं दी जाती लेकिन आपके समय में एक उद्योगपति को महज एक रुपये में सैंकड़ों बीघा जमीन आबंटित की गई जिसे नहीं किया जाना चाहिए था। अगर आप यह जमीन हमारे बेरोजगार युवाओं को देते तो उस पैसे की बचत हो सकती थी। अगर आप उस जमीन को सेल आउट करते तो हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपये मिल सकता था।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

दूसरा कोरोना काल में जब आपकी सरकार थी तो उस समय पी.पी.ई. किट और सैनिटाइजर घोटाले की बात हुई। पी.एम. केयर फंड या दूसरे हैड्स से जो वेंटिलेटर खरीदे गए हैं वे आज भी अनयूज्ड पड़े हैं।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1140/बी.एस/ए.जी-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी...

इन्हें ऐसे-ऐसे अस्पतालों में भेज दिया गया जहां पर डॉक्टर नहीं हैं और उन्हें कभी भी प्रयोग में नहीं लाया गया। ये वेंटीलेटर वर्ष 2020-22 तक नहीं चले और न ही इनकी आगे चलने की संभावना है, क्योंकि इन्हें छोटे अस्पतालों में दे दिया गया है। ...(व्यवधान)... ऐसे

सामान की गहुत सारी खरीद हुई है। यदि पूरे प्रदेश के अन्दर सभी विभागों को देखा जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी मेरे पास कोई अथेंटिकल डाटा नहीं है परंतु एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ऐसा सामान प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और कॉरपोरेशन में खरीदा गया है। यह आपके समय में भी खरीदा गया और उससे पहले भी खरीदा गया जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसके ऊपर हमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी और जिन लोगों ने इसे खरीदा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे सामान के जगह-जगह ढेर लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की रेड क्रॉस एक सोसाइटी है, इसमें 200 से ज्यादा के काम हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने दिए और इसके आगे टेंडर नहीं हुए और अपने चहेतों को फायदा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का 50 करोड़ रुपये इसमें बच सकता था। जिसका नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ। हमारे पास अपनी जे.सी.जे. हैं उनको काम नहीं दिया और वह कार्य रेड क्रॉस को दे करके चोर दरवाजे से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।

यहां पर भर्ती घोटाले की बहुत बात होती है, भाजपा सरकार के समय में बहुत सारे पेपर लीक हुए, चाहे वह पुलिस पेपर लीक की बात है, वहां पर 200 के करीब लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जो असली गुनहगार थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। यह जो 200 लोग हैं वे ज्यादातर विद्यार्थी हैं या छोटे बिचौलिए हैं। बाकी इसमें जिन बड़े लोगों का हाथ था उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बात की मैं यहां पर अवश्य प्रशंसा करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा जिसका जिक्र आदरणीय बिक्रम ठाकुर जी और आदरणीय सत्ती जी ने किया था कि जो फ्यूल वुड है, हिमाचल प्रदेश में फ्यूल वुड के नाम से बहुत सारे पेड़ काट करके, पेड़ों को काटने

19.12.2024/1140/बी.एस/ए.जी-2

की अनुमति सरकार ने दी होगी। क्योंकि सर्दियों में स्नो बाउंड एरिया में जरूरत रहती है परंतु उसके नाम से बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो फ्यूल वुड के नाम से लकड़ी कटती है वह प्लाई वुड

इंडस्ट्री में जाती है। यदि आप होशियारपुर और यमुना नगर में देखेंगे तो वहां की मंडियां हिमाचल प्रदेश की लकड़ियों से भरी होती है और इसमें कुछ अधिकारियों की चांदी लगी हुई है। इसमें वन विभाग और राजस्व विभाग के भी हैं। यह आपके समय में भी था और हमारे समय में भी है। इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि हिमाचल प्रदेश का राजस्व बढ़े और जो हमारा फोरेस्ट कवर है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दूसरा यहां पर पंपर लीक के अलावा जो भर्तियां हुई हैं। उसमें सारे नियमों को ताक पर रखा गया। आपके केन्द्रीय विश्वविद्यालय में भर्तियां हुई जो लोग यू.जी.सी. के तहत नियमों और मानक तय किए थे उन्हें भी फुलफिल नहीं करते थे। यहां तक कि जो पी.एच.डी. भी नहीं थे उन लोगों को भी भर्ती किया गया। डॉ० वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों को प्रोफेसर लगा दिया गया जिनको उस समय के प्रशान ने इंटरव्यू कॉल करना भी वाजिब नहीं समझा। ऐसे लोगों को यहां पर नियुक्त कर दिया गया। ऐसी कई भर्तियां चोर दरवाजे से हुई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। एन.आई.टी. हमीरपुर में भर्तियां हुई यू.पी. से एक निदेश साहब आए और वहां पर उसकी वजह से वहां की रैंकिंग बहुत डाउन चली गई। जहां यह विश्वविद्यालय 70वें नम्बर पर था आज वह 100 से ऊपर के रैंक में चला गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी ऐसी भर्तियां हो गई जो यू.जी.सी. के मानक पूरे नहीं करते थे इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो यहां पर लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में भी आपसे समय में ऐसे ठेके होते थे यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर...

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1145/dt/ए.जी.-1

नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री जारी ...

झाडियां काटने से लेकर जो शोल्डरज थे उनसे संबंधित करोड़ों रुपये के फर्जी टेंडर उस समय लगते थे। कई ऐसे काम हो गए जिनके टेंडर आज भी नहीं हुए क्योंकि एक ऐसा

वातावरण बना दिया और अधिकारियों को ऐसा लगा कि भाजपा की सरकार रिपीट हो जायेगी। हमारे यहां कपाड़ा नाम स्थान पर वाटर सप्लाई का ओवर-हैड टैंक बना दिया गया, इस बात को मैं माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाना चाहूंगा, उसका टैंडर अभी तक नहीं हुआ है। कैसे उस टैंक के लिए मटेरियल इशू हुआ, सरिया इशू हुआ? चलो उसके लिए तो सीमेंट तो ठेकेदार के द्वारा खरीदा जाता है और वह बनकर तैयार हो गया लेकिन आज तक भी उसका टैंडर नहीं हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रोपड़ी गांव के लिए एक लिंक रोड है उसकी टारिंग का काम हो गया लेकिन उसका भी टैंडर आज तक नहीं हुआ। हमारे घुमारवी क्षेत्र में नये और पुराने पुल के बीच में जी0एस0पी0 डालने का टैंडर हुआ लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई। जी0एस0पी0 आज तक नहीं डाली गई, इस बात को हमारे विपक्ष के साथी स्वयं भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इशूज हैं। जो ये भ्रष्टाचार है, मैं ये नहीं कहना चाहता की आपके और हमारे बीच में होता है, हम इस सदन में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में लगे रहते हैं लेकिन जो असली भ्रष्टाचारी है वह इसका मजा लेते रहते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप गलत करती है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रप्ट फोर्सिज हैं जो बड़े संगठित तरीके से किसी भी सरकार में एक्टिव रहते हैं। माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी काफी खुलकर इसके बारे में बोल रहे थे। ये सिर्फ अधिकारियों या नेताओं की बात नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रप्ट प्रेक्टिस अपनाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस ओर कदम उठाया है लेकिन हम सब का भी ये फर्ज बनता है कि हम मुख्य मंत्री जी के इस प्रयास को स्ट्रेंथन करें। जहां हमें तकनीक का इस्तेमाल करना है, जहां हमें ऑनलाइन सर्विज देनी हैं, वहां हमें देनी चाहिए क्योंकि इससे ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी जब हम इससे ह्यूमन अट्रैक्शन कम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर हमें कदम उठाने की जरूरत है। छोटे लेवल पर जो होता है वैसा ही बड़े लेवल पर होता है। श्री विपिन परमार जी उस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे और शायद ये बात उनके ध्यान में भी नहीं होगी क्यों ये चीज बड़े छोटे स्तर पर हुई थी, एक ही व्यक्ति

19.12.2024/1145/dt/ए.जी.-2

के द्वारा तीन कंपनियां बना दी गईं यानी एक आदमी तीन कंपनियों का डायरेक्टर है। ये तीन कंपनियां रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्टर्ड की गई थी। इन कंपनियों का नाम भी अलग था और रजिस्ट्रेशन एड्रेस भी अलग थे। इन कंपनियों के माध्यम से कंपटीशन दर्शाया जाता था लेकिन अगर आप आर0ओ0सी0 के रिकार्ड में देखेंगे तो एक व्यक्ति तीनों में कॉमन डायरेक्टर है उसके नाम से करोड़ों रुपये की खरीद हुई इसमें कॉलेज थे और पुलिस विभाग भी था। ये लोग पुलिस को भी चूना लगा गये। इस ओर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारी जो प्रोपर्टी सरकार ने बनाई है वहां पर एक सब्जी मंडी बनी है जो एक बीघा भूमि में बनी है और ये दो मंजिला भवन है और इसका किराया 4500 रुपये प्रति माह तय किया गया और 4500 रुपये प्रतिमाह किराये के हिसाब से एक व्यक्ति को वह लीज पर दे दिया गया है और लीज पर लिखा है तीस साल बाद जिस व्यक्ति ने लीज पर उसे लिया है वह चाहेगा तो दस साल के लिए लीज को बढ़ा सकता है। आज उस क्षेत्र में बनाई गई सब्जी मंडी का भवन लोगों के काम नहीं आ रहा लेकिन उस व्यक्ति ने अपना दफ्तर वहां पर खोला है और अलग-अलग तरह की कार्रवाई वहां पर करता है।

गउसदन की बात हुई ऐसे कई गउसदन हैं जहां पर मैं गया हूं। इसी संदर्भ में एक प्रश्न माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी ने इस माननीय सदन में लगाया था। सरकारी गउसदनों में 90 प्रतिशत गउवंश की मृत्यु हो गई। इनसे अच्छे तो निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे गउसदन हैं। बिना टेंडर के तो करोड़ों रुपये के काम पिछली सरकार में हुए हैं लेकिन बात ये है कि जो हम सरकारी क्षेत्र में एसेट क्रिएट करते हैं उसका इस्तेमाल कैसे हो वह सुनिश्चित करना जरूरी है। अभी मैंने आते-आते सिटी लाइवलीहुड सेंटर देखा और ये सेंटर श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी के समय में बना है। इसका भवन बहुत अच्छा है लेकिन इस भवन का प्रयोग नहीं हो रहा। ए0डी0बी0 के प्रोजेक्टज में करोड़ों रुपये के भवन बन गये, करोड़ों रुपये का सामान खरीद लिया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था उसे भवन और फर्नीचर पर खर्च कर दिया गया। इस बारे में हम सभी को सोचना पड़ेगा क्योंकि ये legalize way of corruption है यानी काम न करना भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। आज हम देखते हैं

सरकार के बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जहां उनके लिए

19.12.2024/1145/dt/ए.जी.-3

काम असाइन नहीं किया गया है। हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड में हम देखेंगे सेप सॉफ्टवेयर लिया है लेकिन उसका ऑपरेशनल पार्ट पी0सी0एस0 कर रहा है। हमारे कर्मचारी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जबकि उसके लिए 800 व्यक्ति आउटसोर्स के माध्यम से पिछली सरकार द्वारा रखे गये। ये भी एक legalize way of corruption है। कई बार हम किसी को लाभ देने के लिए नियमों को बदल कर काम करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। आखिर में मैं उस बात में आना चाहूंगा जिसका जिक्र माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी कर रहे थे, शायद वह इस सदन से बाहर चले गये हैं, हमारी सरकार द्वारा..

श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1150/ए.एस.-एन.जी./1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी.....

बिलासपुर में वॉटर टूरिज्म की दृष्टि से एक इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे प्रदेश में बहुत वर्षों से अनेक झीलें खाली पड़ी हुई हैं। मैं एक बार बाली जी के साथ माननीय श्री नितिन गडकरी जी को मिला था। उन्होंने भी कहा था कि आपके पास वॉटर बोडीज़ के रूप में बहुत बड़े एसेट्स हैं और आपको इनका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने तो इन वॉटर बोडीज़ में सी-प्लेन्ज़ को भी उतारने के बारे में कहा था। आज से पहले इस प्रकार से इनका उपयोग नहीं हो पाया था और हमने आदरणीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार इस दिशा में काम किया। यदि आप लोग बिलासपुर होते हुए शिमला जाएंगे तो देखेंगे कि हमने

जो सुविधाएं क्रिएट की हैं, उसमें चाहे कूज़ हो, बोट्स हो या पैरा सेलिंग हो, लोग इन सब का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। ये सब स्वागत योग्य बातें हैं लेकिन विपक्ष के द्वारा इन विषयों पर भी कीचड़ उछालने का काम किया गया है। विपक्ष के लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को जो तथाकथित "कच्चा चिट्ठा" दिया है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें तीन पार्टनरों की लड़ाई है और उन्होंने एक-दूसरे पर लांछन लगाए हैं लेकिन विपक्ष के लोगों ने इसमें मेरा नाम भी घसीट दिया। मैंने मंत्रिमण्डल की बैठक में कहा था कि मैं इस विषय पर लिख कर दे देता हूं और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। आज भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह फोरम ठेकेदारों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। आज वे ठेकेदार आपस में समझौता कर चुके हैं और उनका मामला समाप्त हो चुका है लेकिन विपक्ष के लोग अब भी हम पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। आज के समय में सबसे मुश्किल काम ईमानदार होना है और सबसे आसान काम बेईमान व्यक्ति द्वारा ईमानदार व्यक्ति पर लांछन लगाना है। इस प्रकार से तो ईमानदारी के रास्ते पर कोई नहीं चल पाएगा। जो थोड़ा-बहुत सिस्टम चला हुआ है वह भी नहीं चल पाएगा। मैं विपक्ष के सदस्यों से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह फोरम ठेकेदारों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है।

19-12-2024/1150/ए.एस.-एन.जी./2

आपके (विपक्ष) एक पूर्व मंत्री ने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के बोला और हमने उन पर मानहानि का केस किया है। अब माननीय कोर्ट में तो इस विषय पर अवश्य जांच की जाएगी। विपक्ष ने जो तथाकथित "कच्चा चिट्ठा" दिया है उसमें भी इस विषय का जिक्र किया गया है। माननीय श्री जय राम ठाकुर, माननीय श्री रणधीर शर्मा और माननीय डॉ० राजीव बिन्दल जी द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। बिन्दल जी तो इस प्रकार से बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनके अपने ऊपर ही कई केस चले हुए थे और मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मामले की जांच करवाएं

और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा आरोप लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से तो कोई भी किसी के भी ऊपर आरोप लगा सकता है और उस व्यक्ति का तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आपने (विपक्ष की ओर देखते हुए) पूर्व मंत्री जी के लिए विशेष छूट दी थी। आज हमारी सरकार गेस्ट टीचर्स रखने जा रही है। इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि यदि किसी अभ्यार्थी के किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम में 60 प्रतिशत से कम अंक होंगे तो वह गेस्ट टीचर के लिए मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार हमने वन मित्रों के लिए भी कंडिशन रखी है कि जिसके 75 प्रतिशत से अधिक अंक होंगे वे ही एलिजिबल होंगे। आपने (विपक्ष) पूर्व मंत्री जी की पत्नी को लेक्चरर बनाने के लिए नियमों में छूट दी थी क्योंकि उनके नम्बर 50 प्रतिशत से कम थे। आपने पूर्व सरकार में 50 प्रतिशत से कम नम्बरों वालों को भी लेक्चरर बनाने के आदेश दे दिए थे क्योंकि आप पूर्व मंत्री जी की पत्नी को लाभ देना चाहते थे। यह उन बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है जिन्हें इस प्रकार के शिक्षक पढ़ाते हैं। आपने अपनी सरकार में हर चीज़ को तोड़-मरोड़ कर चलाया है और इसे हिमाचल के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जिस कारण जनता ने आपको (विपक्ष) सत्ता से हटा कर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। अब आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह जनता द्वारा बनाई गई सरकार है।

19-12-2024/1150/ए.एस.-एन.जी./3

आप तरह-तरह के लांछन लगा कर और माननीय मुख्य मंत्री को बदनाम करके यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आपकी सरकार कभी नहीं बनेगी। ...(व्यवधान) पहले से ही यह कंडीशन थी कि टी.जी.टी. से पी.जी.टी बनने के लिए कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक चाहिए। यह कंडीशन माननीय धूमल जी के समय से ही है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में बोल कर डिस्टर्ब न करें।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जब किसी कंडीशन को रिलैक्स किया जाता है तो सभी के लिए किया जाना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा होना चाहिए।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19-12-2024/1155/केएस/एस/1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी---

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसके प्रति सभी को गम्भीर होना पड़ेगा। मुख्य मंत्री जी ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और आप उसमें सहयोग दें। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए बेवजह बेबुनियाद आरोप मत लगाएं क्योंकि उससे फिर आपके इस मुद्दे का हल्कापन साबित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

19-12-2024/1155/केएस/एस/2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री सुधीर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे विषय यहां पर माननीय सदस्यों ने रखे हैं। यह स्थगन प्रस्ताव भी इसलिए लाया गया क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, इस सदन के माध्यम से उनके ऊपर चर्चा हो। खासतौर पर जब यहां पर भ्रष्टाचार की चर्चा चल रही है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक जो चीजें हुई हैं, उनके ऊपर जो बात हो रही है उसमें बहुत बार यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। ये कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी समोसा ले आते हैं, कभी मुर्गे की बात

करते हैं तो यह किया किसने हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है। अगर टॉयलेट टैक्स की कोई नोटिफिकेशन निकली तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उसकी बात रखी है। अगर समोसे की कोई जांच हो रही है तो उसके ऊपर अपनी बात रखी है। इसी तरह से जो जंगली मुर्गे की बात है, वह तो एक विडियो सामने आया। उसके ऊपर अपनी बात हमने रखी। हमने यह बात रखी कि यह तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी आता है। शैड्यूल वन में है, सेक्शन 951 है, पनिशोबल है। इसमें एक वर्ष की सजा है और 3 लाख रुपये जुर्माना है। हम तो कुछ नहीं बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यही काम नहीं रह गया है कि 24 घण्टे ऐसे षडयंत्र रचती रहे। कई तरह की बातें विपक्ष की तरफ से माननीय सदस्यों द्वारा कही गईं। पक्ष की तरफ से भी चर्चा हुई और उस तरफ से ऐसे लग रहा था जैसे कि पहले ऑल इंडिया रेडियो में दर्द भरे नगमे कार्यक्रम आता था। यहां से जब चर्चा उठ रही है तो बहुत दर्द हो रहा है। बातें तो इसलिए उठेंगी क्योंकि हो रही हैं। खनन माफिया का बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर चर्चा में है। एजेंसिया जांच कर रही हैं। कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और किसने उनको इस प्रकार की यहां छूट दे रखी थी? यह जो एजेंसियों की कार्रवाई हुई, नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार ने निकाली 23 अगस्त को और उसमें कैप्टिव यूज़ क्रशर को छूट दी गई। बाकी जो ब्यास बेसिन के अंदर थे, उनको बंद कर दिया गया। हमने सोशल मिडिया के अंदर देखा कि जो व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुए हैं, सैक्रेटेरिएट जा रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं। वे किसकी गाड़ी से उतरे? और 22 अगस्त को उस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी। 23 तारीख को

19-12-2024/1155/केएस/एस/3

यह नोटिफिकेशन निकलती है। तो यह इस प्रकार के हालात जब बने और जब आपने कहा कि कैप्टिव यूज़ क्रशर खुले रहेंगे तो फोर लेन का काम जो हमीरपुर जिला में चल रहा है, वहीं की लीज़ थी ओपन, वहां से उस कैप्टिव यूज़ को सारा माल जाता रहा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.12.2024/1200/av/डी सी/1

श्री सुधीर शर्मा----जारी

वह किसकी लीज थी, ये सारी बातें जब चर्चा में आईं तो कागजों से तो पता चल ही जाता है कि वहां पर कोई श्री राजीव सिंह नाम का व्यक्ति है जिनकी लीज से वह सारा माल जाता रहा। यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने कई बातें रखी हैं जिसमें कल नदौन के बारे में एच0आर0टी0सी0 की जमीन की खरीद-फरोख्त की बात भी हो रही थी। जिसमें श्री राजेन्द्र राणा, श्री अजय कुमार और श्री प्रभात चंद ऊर्फ सुभाष ठाकुर, ये पता नहीं किस-किस के करीबी हैं। उनके वहां इन्कम टैक्स की रेड भी पड़ी। वैसे तो यह जमीन का मामला इससे भी गम्भीर है क्योंकि आजादी के बाद वर्ष 1952 में जब रियासतों की लैंड वैस्ट हुई तो वहां राजा महेश्वर सिंह हुआ करते थे। उनकी एक्ट के मुताबिक 316 कनाल भूमि बची थी और बाकी भूमि सरकार को चली गई थी। परंतु मजे की बात यह है कि वह जो भूमि गई उसकी आज तक खरीद-फरोख्त हो रही है। उसकी रजिस्ट्रियां कैसे हो रही है, उस बारे में सरकार को जांच करनी चाहिए। उससे कौन लोग जुड़े हुए हैं, इन सारी बातों को देखना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं।

जमीन की बात हो रही है तो यहां धर्मशाला के अंदर ही राजस्व विभाग लिखकर के देता है कि किसी व्यक्ति को, मैं उसका यहां पर नाम नहीं लूंगा। किसी व्यक्ति को एक प्राइवेट कम्पनी ने पेट्रोल पम्प अलॉट किया है जोकि बिल्कुल बस अड्डे के साथ वन भूमि पर लग रहा है। वह भूमि उसको कैसे दी जा सकती है और ऐसे आदेश कौन कर रहा है? मुख्य मंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जोकि इस प्रकार के आदेश कर रहे हैं और किसके विहाफ पर कर रहे हैं। सदन के अंदर लैंड सीलिंग का बिल भी पेश किया है तो उसके ऊपर भी चर्चा आनी है। लेकिन आपके ही गृह जिला के अंदर 769 कनाल जमीन है जोकि श्री राजीव सिंह नामक व्यक्ति ने किसी के नाम पर बाद में ट्रांसफर की है। क्या कोई इतनी ज्यादा भूमि रख सकता है? यह किस प्रकार का कानून है और यह किस प्रकार की छूट दी जा रही है? आपको इस बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपको यहां पर एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक किसान था जिसके पास

एक बैल था। वह किसान जब बूढ़ा हो गया तो उस बैल को चराने के लिए ले जाता था। एक बार जब वह उसको चराने के लिए ले गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैल से बात करने लगा कि यार अब

19.12.2024/1200/av/डी सी/2

मैं बूढ़ा हो गया हूं वरना कभी मैं इस पेड़ की चोटी तक चढ़ जाता था। बैल ने कहा कि इसका एक उपचार है। यदि आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा मेरा गोबर खाएंगे तो आप फिर से ठीक होकर इसकी चोटी तक चढ़ सकते हैं। किसान ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं गोबर नहीं खा सकता। बैल ने कहा कि आप एक बार खाकर देखिए, यदि आपको लाभ मिलेगा तो ठीक है। उसके बाद किसान ने बैल का गोबर खाना शुरू किया और वह धीरे-धीरे उस पेड़ की चोटी तक चढ़ने में कामयाब हो गया। लेकिन जिसकी भूमि पर वह पेड़ था वह व्यक्ति दूर बैठे बन्दूक पकड़ कर उसकी राखी कर रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं पेड़ पर क्या चीज चढ़ गई और उसने वहां से गोली चलाई जिससे वह किसान धड़ाम से नीचे गिरा।

टीसी द्वारा जारी

19.12.2024/1205/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री सुधीर शर्मा जारी

उसके बैल ने कहा कि आपको लगी तो नहीं। उसने कहा कि लगी तो नहीं लेकिन एक बात समझ गया कि 'Bullshit can get you to the top but does not let you stay at the top'. इसलिए आजकल जो घटनाएं घट रही हैं उस परिप्रेक्ष्य से यह बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से श्री बिक्रम सिंह जी ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों में विकास के कार्य बिल्कुल बंद कर देना, अन-कॉन्स्टीट्यूशनल लोगों द्वारा घोषणाएं करना, उद्घाटन करना और यह दर्शाने का प्रयास करना कि हम लोग ही सब कुछ हैं और चुने हुए माननीय सदस्य कुछ भी नहीं है तो उससे इस माननीय सदन के दोनों पक्षों के चुने हुए माननीय

सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। श्री धर्माणी जी ने यहां एक बात रखी कि डिस-इंवेस्टमेंट होनी चाहिए और यह तो डिस-इंवेस्टमेंट करने का एक प्रयास है तो इसके लिए आप एक विभाग बना दीजिए। उसके लिए किसी अच्छे अधिकारी को सचिव बना दीजिए। लेकिन होना डिस-इंवेस्टमेंट ही चाहिए, डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है और इनके बारे में संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर कहा गया कि सरकार गैस्ट टीचर पॉलिसी लाई है। ठीक है, पॉलिसी आ गई लेकिन जो युवा वर्षों से रोजगार की कतार में खड़े हैं और बार-बार रोजगार की बात कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इससे शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर भी सवाल उठता है। इस प्रकार की जो घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही हैं उनके चलते आज यह स्थगन प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। इसका उद्देश्य यही था कि सदन के माध्यम से लोगों तक ये बातें जाएं कि किस प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर काम कर रहा है जिसको किसी का डर ही नहीं है। यह बात पता नहीं सरकार के ध्यान में है या नहीं। प्रदेश में जिला कांगड़ा के अंदर कितने केस चिट्ठे के पकड़े जा रहे हैं और बड़े ही सुनियोजित ढंग से लोग उसको ला रहे हैं। मैंने एक बार थाने में फोन किया कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग इस प्रकार के नशे का सामान लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने का कि सर वे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लाते हैं और हम उनको पकड़ नहीं सकते। इसलिए इसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है। इस समय यह सामान्य परिवारों के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसमें

19.12.2024/1205/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

माफिया एक कोने से दूसरे कोने तक काम कर रहा है लेकिन उसको कोई पूछने वाली ही नहीं है। जहां तक मैं कल मुर्गा प्रकरण की बात कर रहा था, मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया में पढ़ा था। क्या अब मीडिया के लोग भी लिखना बंद कर देंगे? यह पहली बार नहीं हुआ जब मीडिया के लोगों के ऊपर इस प्रकार से एफ0आई0आर्ज0 दर्ज हुई हैं। प्रजातंत्र में लोग लिखते हैं और उसका जवाब भी होता है लेकिन इस से उनकी आवाज बंद करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। कल हमने जरावर मैदान में देखा, वहां पर हमारी कल्पना

से भी ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। उनमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं थे, सामान्य लोग भी बाहर निकल कर आए थे। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। सबसे बड़ी चिन्ता तो यह है कि बेरोजगारों की बड़ी संख्या खड़ी हो गई हैं। आपकी ट्रेजरी एक महीने से बंद है। छोटी-से छोटी पेमेंट के लिए भी सेंट्रल ट्रेजरी (शिमला) को लिखना पड़ रहा है कि आप भुगतान कीजिए।

एन0एस0 द्वारा जारी

19-12-2024/1210/एन0एस0-एच0के0/1

श्री सुधीर शर्मा-----जारी

लगभग 800 करोड़ रुपये रिलीज हुए। एक्सिजन ने भी राशि जारी कर दी लेकिन आगे पेमेंट ही नहीं गई। ठेकेदार ही नहीं बल्कि उसके साथ लेबर है और उनके भी परिवार हैं। लोगों को स्कूल की फीस और दिन का खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों आई? प्रदेश में पहले कभी इस तरह का बैंक क्रप्सी का माहौल नहीं हुआ था। इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से स्थिति को ठीक किया जाए। इससे न केवल जो लोग जुड़े हैं वे परेशान हो रहे हैं बल्कि प्रदेश के अंदर जो आधारभूत ढांचा निर्मित होना है उसका भी सारा काम रूक गया है। ऐसी हमारे प्रदेश की छवि बन गई। एक अखबार 'The Mint' उसने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कि जब प्रदेशों के इस तरह के हालात बनना शुरू हो जाएंगे तो वे प्रदेश रहने भी चाहिए कि नहीं रहने चाहिए या उनको यूनियन टेरीटरी में बदल देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी ये छवि दो वर्षों में पूरे देश के अंदर बनी है। इसके ऊपर ही स्थगन प्रस्ताव श्री रणधीर शर्मा जी लेकर आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

19-12-2024/1210/एन0एस0-एच0के0/2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में श्री चंद्र शेखर जी भाग लेंगे।

श्री चंद्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सहयोगी श्री रणधीर शर्मा जी ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया कि यह सदन भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करे। मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यों को दरकिनार करके इसको सहमति दी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं।

जो माहौल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया और प्रदेश में उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोपे गए। उसके बाद जो राजनैतिक परिस्थितियां बनी उसमें कांग्रेस विधायक दल पुनः 40 की संख्या में वापिस आया। उस दिन के बाद इस प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी को निशाने पर लिया गया। मुख्यमंत्री जी जहां से भी गुजरते हैं, उठते-बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी का दल पूरी तरह से उनको व्यक्तिगत आक्षेप के स्तर पर ले गया और भ्रष्टाचार के नाम पर कालिख पोतने का कार्य सुनियोजित शुरू हुआ। जिस तरह से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाया और मुख्यमंत्री जी के द्वारा मूलगामी सुधार जो पिछली सरकार की नाकामियां थीं उसमें से निकल कर आया था तथा प्रदेश की जनता अमूल परिवर्तन व्यवस्था में चाहती थी जिसके नायक के तौर पर हमारे मुख्यमंत्री उभर कर आए उससे विपक्ष को बहुत पीड़ा हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि उन मुद्दों को जिनका सामाजिक उत्थान में दूर तक कहीं रोल नहीं है और जिन बातों के ऊपर समाज में कोई हलचल नहीं है उन फिजूल की बातों को केंद्रीय भूमिका में लाकर चर्चा का दौर शुरू हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष का भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर पॉलिटिकल कमिटमेंट है उसका आभास इनके दृष्टि-पत्र से होता है। जो दृष्टि-पत्र वर्ष 2017 में इन्होंने प्रदेश की जनता के समक्ष लाया और जिसमें कहा गया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश लाएंगे।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.12.2024/1215/RKS/HK/-1

श्री चंद्र शेखर... जारी

भ्रष्टाचार की जो इवारत लिखनी थी उसमें अटल जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लाया गया। अटल जी के नाम पर हिमाचल प्रदेश की जनता को ऑन करप्शन अटल हेल्पलाइन दिखाई गई। वहां से पिछली सरकार की कमिटमेंट नजर आती है कि जो अटल जी के नाम पर हेल्पलाइन लाई गई उसने पूरे 5 साल कोई काम नहीं किया। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता जिनकी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको मंजूर थी, उनके पीछे मुल्क चलता था लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नाम के पीछे नहीं चल पाई। जैसे ही हमारी सरकार बनी तो मुख्य मंत्री जी ने अपनी कमिटमेंट से इसकी शुरुआत की। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुए 10 दिन हुए थे और हमने उस कमिटमेंट पर काम किया। जिन 3, 41,000 बच्चों ने जिस टेस्ट को अपीयर करना था, वह टेस्ट हुआ।

सरकार के समक्ष टेस्ट के दिन यह बात सामने आई कि यह पेपर बिक चुका है। सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई की जहां से मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शुरुआत की। जब हमारी सरकार आई तो 1423 पोस्टें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास अनुमोदित थी जिन पर टेस्ट कंडक्ट करके इंटरव्यूज होने थे और बच्चों को नौकरियां मिलनी थी। यह लगभग साढ़े तीन लाख की आबादी का प्रश्न था। जो बच्चे बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं उनकी संख्या लगभग 10 लाख है। जिस तरह से पिछली सरकार के ऊपर उनकी निगाह थी उसी तरह इस सरकार के ऊपर भी उनकी निगाह है कि हमारे लिए भविष्य के रास्ते खुलेंगे। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि JOA (IT) की 319 पोस्टों के लिए जिन 1,15,000 बच्चों ने पेपर दिया था उस पर 10 दिन के अंदर संज्ञान लेकर मुख्य मंत्री जी ने उसको निरस्त किया। जो अपराधी इसमें शामिल थे वे सलाखों के पीछे गए। जे.बी.टी. की 467 पोस्टें थी जिसमें 20,000 बच्चे शामिल होने थे। सब-इंस्पेक्टर पुकी 28 पोस्टें थी जिसमें 37,000 बच्चों का भविष्य दाव पर था। इलेक्ट्रिकल डिविजन में जे.ई. की 78 पोस्टें थी जिसमें लगभग साढ़े 6 हजार बच्चों को अपीयर होना था। फायर मैन की 79 पोस्टें थी। इस तरह से ये लगभग 1400 पोस्टें थी जिन पर टेस्ट हाने थे। इनमें लगभग 16 एफ.आई.आर्ज. हुई हैं। पिछली सरकार में जो कर्णधार थे उनको उनकी पार्टी के लोगों ने बताया कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भारी स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आंखें मूंद दी गई। इसका मतलब था कि वहां खुल्लम-खुल्ला काम हो रहा था। लेकिन यह बात यहीं

19.12.2024/1215/RKS/HK/-2

नहीं रुकी। एक तरफ यह भ्रष्टाचार चल रहा था और दूसरी तरफ बेरोजगारों के लिए एक मोर्चा और खोला गया।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

दृष्टिपत्र में कहा गया था कि आउटसोर्स की भर्तियों को बंद किया जाएगा। लेकिन जब आपकी सरकार के 5 साल पूरे हुए तो आपने दावा किया कि हमने आउटसोर्स के माध्यम से 30000 भर्तियां की है। कमेटियां बनाई गईं और आउटसोर्स में लगभग 85 एजेंसीज हायर की गईं। जो एजेंसीज हायर हुईं वे भी बड़ी हैरतअंगेज में रही। उन एजेंसियों ने न कभी कागज लिए, न कभी शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब एवं ओ.बी.सी.का रोस्टर लागू किया जिसमें संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया है। आउटसोर्स एजेंसियों ने केवल पैसे के लेनदेन पर कार्य किया। यह सिलसिला पढ़े-लिखे समाज के साथ हुआ। यह जो कार्य हुआ इसमें हमारे विश्वविद्यालय चाहे वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी हुआ। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पिछले पांच साल सरकार चलाई। अगर आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ कमिटमेंट थी तो आप बस इतनी ही बात कहें कि क्या आपने यू.जी.सी. के नॉर्म्स फॉलो किए? मेरा आग्रह है कि अगर पिछली सरकार के समय भर्तियों के वक्त विश्वविद्यालय स्तर में यू.जी.सी. के नॉर्म्स लागू नहीं किए गए तो उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1220/बी.एस./वाई के-1

श्री चंद्र शेखर जारी...

पिछले पांच साल इन्होंने सरकार चलाई यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कमिटमेंट है ये केवल इतनी बात कहें कि यू.जी.सी. के नॉर्मज अगर फॉलो नहीं किए गए। परंतु यह नहीं हो सकता कि सब कुछ प्रदेश के मुखिया के नॉलेज में न आए। यदि पिछली सरकार में

विश्वविद्यालय में भर्तियों के स्तर पर यू.जी.सी. नियम लागू नहीं किए गए तो उसमें जांच होनी चाहिए और सरकार इसकी जांच करे। उसी प्रकार से जो आउटसोर्स की भर्तियां हुई हैं, उस पर जो एजेंसियों ने काम किया है, मैं उस पर बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि उस पर भी बड़े पैमाने पर लेन-देन हुआ है। मैं नाम ले करके कहूंगा कि शिमला क्लीन वेज जैसी कंपनियां आईं और यह चलती फिरती एंप्लायमेंट एक्सचेंज बन गई। इसमें इस एजेंसी को रात को फोन होता था और इस एजेंसी की यदि पूरे कागज देख लें, बाकी 85 एजेंसियों को छोड़िए, यदि एक एजेंसी के भी पूरे कागज देख लें तो बहुत कुछ ऐसा कड़बड़ घोटला है जो प्रदेश के युवाओं का परिहास करने के लिए काफी बड़ा सबूत है। सरकारी क्षेत्र में ऐसा इस बार हमने नहीं सुना है। लेकिन पिछली सरकार में इन्हीं की पार्टी के लोग हमला कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने प्रदेश के युवाओं को छोड़कर बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दिया था। सचिवालय के अन्दर रोजगार दिया जा रहा था और वे कौन थे और किसकी यह मिलीभगत थी? यह सबको मालूम है। पुलिस की भर्ती हुई आदरणीय जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे, उस वक्त मीडिया कह रहा था कि पुलिस भर्ती में बड़ी बू आ रही है, घोटाला हो रहा है तो मुख्य मंत्री जी मीडिया के समक्ष आ करके कह रहे थे कि कोई घोटाला नहीं है और तीन महीने तक कहते रहे कि कोई घोटाला नहीं है। परंतु जिस वक्त परत-दर-परत बाहर निकली लगभग 250 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया और मजेदार बात यह रही कि माननीय उच्च न्यायालय को कहा गया कि हमने इसमें सी.बी.आई. की जांच बिठा दी है। इसलिए आपको हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। उस वक्त दो लाख नौजवान उस भर्ती में शामिल हुए थे। आज अगर यह पक्ष उस तरफ को बैठा है तो इनके अपने कर्म हैं। प्रदेश की जनता ने इन्हें सजा दी है और

19.12.2024/1220/बी.एस./वाई के-2

यह कर्मों का फल है। इन्हे उस तरफ को जानबूझ कर नहीं भेजा गया है परंतु इस प्रदेश की बुद्धिमान जनता के द्वारा किया गया है। चुनाव में इनके साथ हुआ उसे सब जानते हैं। अध्यक्ष जी, आज तक उस सी.बी.आई. का कुछ पता नहीं है और आज तक जो एफिडेविट हाइकोर्ट में दिया गया है उसका कोई पता नहीं है और इन्हीं की पार्टी के एजेंटों ने मिल करके पैसा लिया और पैसा दिया। अध्यक्ष जी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ।

19.12.2024/1220/बी.एस./वाई के-3

अध्यक्ष : आदरणीय जय राम ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है आप आरोप लगाइए। लेकिन इस सदन में बार-बार झूठ बोलना, असत्य बोलना यह आदत ठीक नहीं है। माननीय सदस्य उस वक्त विधान सभा में नहीं थे। पुलिस भर्ती हुई, जब हमें मालूम पड़ा, रात को मालूम पड़ा सुबह आठ बजे तक एफ.आई.आर. दर्ज की दी गई और नौ बजे तक हमने एस.आई.टी. गठित करने की घोषणा कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही मैंने यह घोषणा कर दी कि जो पेपर हुआ है उसे रद्द किया जाता है और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। हमने दोषियों को बिहार, यू.पी और हरियाणा से जहां-जहां भी थे उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इसे कार्रवाई बोलते हैं। उसके बाद मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि जब इस मामले में हमें लग रहा है कि पुलिस भर्ती में पुलिस के द्वारा ही जांच करना उचित नहीं होगा। परंतु जिस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं यह कोई मंच नहीं है यह विधान सभा है। इस विधान से अंदर जो तथ्य हैं, वह तथ्य हैं। आरोपी जेल की सलाखों के पीछे और पुलिस की भर्ती दोबारा नए सिरे से हुई।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1225/DT/YK/-1

श्री जय राम ठाकुर ... जारी

इस विधान सभा के अंदर जो फैक्ट्स हैं उसको फैक्ट्स के साथ ही कहना चाहिए। जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार किया था वह आज जेल के सलाखों के पीछे है। उस समय पुलिस की भर्ती दोबारा नए सिरे से हुई और पुलिस की भर्ती का जो शैड्यूल जारी किया था उसी शैड्यूल के अंतर्गत पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी की गई और आज वह जवान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए यह जो गलत तथ्य इस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को रोकने की आवश्यकता। जब कोई वरिष्ठ

सदस्य बोल रहा होता है तो नए मੈंबरोँ को भी ऐसा लगता है कि जब सीनियर मैंबर बोल रहे हैं तो हम भी क्यों न बोलें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विधान सभा के अंदर इस प्रकार से लगातार झूठ बोलना और झूठे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को कार्रवाई से निकालना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष: मैंने पहले भी आप सभी से आग्रह किया था कि जो विषय यहां उठ रहे हैं इस तरह के बहुत सारे विषय पिछले दो वर्षों से इस माननीय सदन के रिकॉर्ड पर हैं और नए विषय बहुत कम आए हैं। इसलिए मैंने सभी से आग्रह किया है कि जो विषय which have already discussed and debated upon and which are already a part of the record, there is no need to repeat those issues. Please take care and whatever will be undesirable that we will see to it whether that will form a part of the record or not. माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

19.12.2024/1225/DT/YK/-2

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय आप विपक्ष का बहुत ख्याल रखते हैं, आप सत्ता पक्ष के लोगों का भी ख्याल रख लिया करो। अगर यह विषय पासिंग रेफरेंस में आ रहे हैं तो यह सत्य है और ये भी सत्य है कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है। यह सत्य है या नहीं कि पुलिस भर्ती का पेपर हुआ? ...(व्यवधान) पुलिस भर्ती का पेपर हुआ और पेपर लीक होने के बाद उसमें जब डायरेक्ट नाम आपके कार्यालय का आया तब उस पर कार्रवाई हुई। यह पासिंग रेफरेंस की बात आप अपने विधायकों को भी समझाइए। बिना तथ्यों के और बिना कागज़ के बात रखना ठीक नहीं। हम आपकी आपकी मन्शा पर भी कोई शक नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आपके सदस्य जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं बड़ी शांति से उन्हें सुन रहा हूँ। मैं इसलिए उनको शांति से सुन रहा हूँ ताकि जब मैं बोलूँ। ...(व्यवधान) आप अपने सदस्यों को पूछें? पता नहीं ये कहां-कहां से ऐसी बातें सुनते हैं इनको बोलने से पहले इन पर थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेना चाहिए। अगर आप रिसर्च ही नहीं करोगे उसके स्पार्ट में कोई कागज़ ही नहीं लाओगे और सिर्फ इसलिए बोलोगे की

मैंने इसको टारगेट करना या उसको टारगेट करना है तो यह सब नहीं चलेगा। अब तो सवाल यह है कि दो साल बाद हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं; हमने जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है; जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है, हम उस पर चर्चा चाहते हैं। जहां पर कुछ गलत होगा आप हमारे ध्यान में उस बात को लाएं हम उस पर कार्रवाई करेंगे और ऐसी कई मामलों में कार्रवाई की भी जा चुकी है। इसमें कोई दोराय नहीं। पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी वह फूलफूफ करेगी, ऐसे मामले में चार्जशीट की जाएगी और दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भी भेजेंगे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी से भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। हम हिमाचल प्रदेश की संपदा को न तो लूटने आए हैं और न ही हम इसे किसी को लूटने देंगे। आपने अपने कार्यकाल में प्रदेश की संपदा लुटाई है, हम तो वह बातें आपके ध्यान में ला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से हम इस बात को इस माननीय सदन के ध्यान में भी जा रहे हैं और यह हमारी जिम्मेवारी भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई वक्ता जो बोल रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आप अपने वक्ताओं को सुनिए कि वह बोल रहे हैं और किस प्रकार बोल रहे हैं? अगर वह इस प्रकार बोलेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप (नेता प्रतिपक्ष) कौन सा उनको रोक रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।

19.12.2024/1225/DT/YK/-3

अध्यक्ष : मैंने बार-बार दोनो पक्षों से आग्रह किया है कि जो विषय इस चर्चा के माध्यम से लाए जाएं वो संगीन और सार्थक हों। लेकिन दोनों ही तरफ से जब इस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं तो मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप please confine yourselves to the issues and be very specific about the issue and whatever will be undesirable in the record that will be removed. Thank you very much. माननीय मुख्य मंत्री महोदय आप कुछ कहना चाहते हैं

श्री एन.जी.द्वारा जारी....

19-12-2024/1230/ए.जी.-एन.जी./1

अध्यक्ष के पश्चात.....

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिना कागज़ रखे यह तो गर्वनर एड्रेस पर चर्चा हो रही है।

Speaker: This I said yesterday also.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल ठीक कहा है। मैं किसी को भी दोष देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा फैक्ट या कागज़ तो सामने आए जिस पर हम कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चन्द्र शेखर जी, आप बोलिए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ है कि दुग्ध की रखवाली के लिए बिल्ली को ही बिठा दिया गया है। पूर्व सरकार के समय में पुलिस भर्ती में इसी प्रकार से हुआ था। जिन्होंने किया था वे तो पकड़े नहीं गए लेकिन जिनसे करवाया गया वे पकड़े गए थे। वे भी तभी पकड़े गए क्योंकि चुनाव नजदीक थे। यदि चुनाव नजदीक न होते तो वे कभी नहीं पकड़े जाते और न ही इस विषय पर कोई संज्ञान लिया जाता। इसके अलावा यदि चुनाव नजदीक न होता तो तत्कालीन मुख्य मंत्री जी भी इस विषय पर मीडिया के सामने आकर कभी न बोलते। मैं तो उस समय अपने गांव में था और ये (विपक्ष) लोग तो सदन के अंदर होते थे। हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हमें तो मीडिया जो दिखाता था हम वही समझते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर पूर्व सरकार के समय में जो 1600 नौजवान रखे गए, वे किसकी रहनुमाई में रखे गए? इसके अलावा प्रदेश के अंदर ऐसे कितने विधान सभा क्षेत्र थे जिनमें से 1500-1500 बेरोजगार नौजवानों को बिना कागज़ देखे व बिना आई.टी.आई. के पैरा प्लम्बर व पैरा फीटर रख दिया गया? ये किसकी सरकार थी? ये कौन से नॉर्मज़ बनाए गए थे?

19-12-2024/1230/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, उस समय एक-एक पंचायत से 80-80 नौजवानों को रखा गया था। भारत में ऐसा कौन-सा जल जीवन मिशन आया था जिसमें कहा गया कि एक पंचायत से 80 पैरा फीटर लगाए जाएं? यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हुए हैं और मुझे इनसे इन बातों का जवाब चाहिए। आपके अपने विधायक दल के कितने ही विधायक तरसते रहे कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को भी नौकरियां दी जाएं। इसमें किसका संरक्षण प्राप्त था? ... (व्यवधान) इस प्रकार से तो एक और चैप्टर खुल जाएगा। उस समय माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी और अन्य सदस्य भी तरस गए थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पूर्व सरकार के समय में लगभग 2500 करोड़ रुपये की पाइपें ली गईं। मैं जानना चाहता हूं कि उन पाइपों को कहा पर उपयोग किया गया? आज भी पूरे प्रदेश में पाइपों के अम्बार लगे हुए हैं। जो कम्पनियां स्क्रेप इक्कठा करके पाइपें बनाती थी, उन कम्पनियों से वे पाइपें ली गईं। उस समय किसके नाम से और किसे कितनी कमीशन दी गई, इसके बारे में आज तक कोई खबर नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पाइपों की खरीद पर जांच की जानी चाहिए। प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा पाइपों की खरीद पूर्व सरकार के समय में ही हुई है और मैं इसके लिए विपक्ष में बैठे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। इनका इतना हौसला था और इनके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो इस प्रदेश में इतनी हिम्मत रखता था कि जिस चीज़ की जरूरत ही नहीं है उस चीज़ को भी खरीद लेता था। उसे लगता था कि 10-15 साल तक हम आए या न आए लेकिन इन चीज़ों की खरीद आज ही कर लेनी चाहिए। यह बात केवल मैं नहीं बल्कि जन जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की एजेंसियों ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि जिनके सोर्स ही नहीं हैं उनकी भी योजनाएं बनाई गई हैं। आज भी अनेक योजनाओं के सोर्स ड्राई पड़े हुए हैं। आज भी नलकों में पानी नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री

जी से कहना चाहता हूं कि इस विषय पर जांच बिठाई जाए और मेरे धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में आकर देखना चाहिए।

19-12-2024/1230/ए.जी.-एन.जी./3

वहां पर करोड़ों रुपये की सिंचाई योजनाएं केवल कागजों पर बनी हैं। वहां पर एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें पानी पहुंचा हो। मैं माननीय बागवानी मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वहां पर 52 क्लस्टरों में लगभग 2 लाख प्लांट्स लगाए गए लेकिन उनके लिए एक भी सिंचाई योजना नहीं बनाई गई। हम किसे भ्रष्टाचार कहेंगे और भ्रष्टाचार होता क्या है? यदि कोई नीचे का व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है और उसे पकड़ लेते हैं तो विपक्ष के लोग उसमें अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जब व्यवस्था को चलाने वाले लोग भ्रष्टाचार करते हैं तब उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। इन विषयों पर सदन में अवश्य बहस की जाती है लेकिन असल में जिसने कहानी लिखी होती है और जिसने पुलिस भर्ती घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी है, वह कौन व्यक्ति है? वह कहीं-न-कहीं तो बैठा होगा। कोई न कोई तो होगा।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19-12-2024/1235/केएस/एजी/1

श्री चंद्र शेखर जारी---

कहीं न कहीं तो कोई बैठा होगा। आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी आदमी को पकड़ लिया, कागज काले कर लिए लेकिन जो प्रदेश के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति था, जिसने यह सब किया, आज तक उसका पता नहीं है। शिमला क्लीनवेस कम्पनी को पूरे प्रदेश का ठेका दे दिया गया। जहां पर भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था, जय राम जी, आप

हमारे प्रतिपक्ष के आदरणीय नेता हैं, मेरा तो आपसे सवाल है कि क्या आपने यह खुल्लम-खुल्ला छूट दी थी कि शिमला क्लीनवेस कम्पनी से सर्टिफिकेट लो उनको जमा करवाओ और नौकरी लो? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि समय आ गया है, अब तो प्रस्ताव भी आ गया, भ्रष्टाचार के ऊपर बहस हो रही है। अब तो फैसले लेने की घड़ी आ गई है। विपक्ष के साथी भी यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर आर-पार हो जाए। ... (व्यवधान) जो हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम अपनी सरकार के दो सालों का भी देख लेंगे लेकिन पहले पांच सालों वाला हिसाब-किताब होना चाहिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स एजेंसियां सिराज के लिए काम कर रहीं थीं। नेरचौक मैडिकल कॉलेज में आज भी वह एजेंसी काम कर रही है। आज भी सिराज के सैंकड़ों लोग आउटसोर्स एजेंसी से नौकरियां ले कर बैठे हैं। मण्डी जिला के 9 चुनाव क्षेत्र और भी हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं, एक-एक बच्चे का डाटा निकलना चाहिए कि वे किस चुनाव क्षेत्र के हैं। इस पर श्वेत पत्र आना चाहिए कि आउटसोर्स एजेंसी में किसको रोजगार दिया गया? ठीक है, आपके हाथ में कलम थी लेकिन कलम होने का मतलब यह नहीं है कि बाकी चुनाव क्षेत्रों में लोग नहीं हैं। ठीक है, आपकी मज़बूत स्थितियां थीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। यह एक दलीय शासन नहीं है, बहुदलीय शासन है। आपने पिछली सरकार के समय में भर्तियां कीं उनमें खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा आरोप है, मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता। जितना मैंने कहा, अगर इसी के ऊपर ... (व्यवधान) त्रिलोक जम्वाल जी, विनोद कुमार जी, गांधी जी इसी के ऊपर आपकी पीड़ा भी है और वह भी मेरे ही मुंह से निकल रही है। आप भी अपनी स्थितियों को बेहतर समझते हैं कि आपकी हालत क्या हुई है?

19-12-2024/1235/केएस/एजी/2

... (व्यवधान) ठीक हुआ तभी तो आप वहां बैठे हो और मैं भी तभी यहां इस तरफ बैठा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, निर्णायक घड़ी आई है माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी का एजेंडा है, जिसके जिक्र में मैंने कहा कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई की। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सर्विस सलैक्शन बोर्ड को हिमाचल के बच्चों की हिफाजत के लिए नए स्वरूप में लाया गया है और मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रदेश के बेरोज़गारों के साथ अगर न्याय होगा तो सुखविन्दर सिंह सुक्खू सरकार के द्वारा न्याय होगा। बेरोज़गारों को जो पिछली सरकार ने झुनझुने दिखाए उसका आज सही तरीके से निपटारा करने का माननीय मुख्य मंत्री जी के पास समय है और इस समयावधि में हम इस कार्य को करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

19-12-2024/1235/केएस/एजी/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चर्चा की शुरुआत में पिछले कल पूर्व उद्योग मंत्री जी ने और वर्तमान सदस्य श्री विनोद कुमार जी ने भी पेखुबेला से सम्बन्धित बात कही। अच्छी बात है, परंतु अब पता नहीं वे कहां चले गए? जब भी मैं बोलने लगता हूं, ये खिसकना शुरू कर देते हैं। एच.पी. पावर कॉर्पोरेशन जो पेखुबेला की है, मैं स्पष्टीकरण इसलिए भी देना चाह रहा हूं कि मेरा सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। पावर कॉर्पोरेशन ने हिमाचल में सोलर क्षेत्र में पहल करते हुए 45

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.12.2024/1240/av/एस/1

मुख्य मंत्री ----जारी

मेगावाट का डी0सी0 कैपेसिटी का ग्राउंड माउंटिड सोलर प्रोजैक्ट लगाया। यह हिमाचल के इतिहास में आजादी के 75 वर्ष बाद सोलर का सबसे बड़ा पावर प्रोजैक्ट था। इस

प्रोजेक्ट की डी0पी0आर0 गुजरात के पब्लिक सैक्टर में काम कर रही सेमी गवर्नमेंट एजेंसी गुजरात एनर्जी रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट इन्स्टिट्यूट ने तैयार की है। इस प्रोजेक्ट की डी0सी0 जनरेशन कैपेसिटी पर प्रति मेगावाट लागत 4 करोड़ रुपये आई है। यहां पर जो 6 करोड़ रुपये बोल रहे थे और जिनके बारे में बोल रहे थे, उनको मैं थोड़ी-सी और जानकारी दे दूँ। इसी समय में लगाई गई अन्य परियोजनाओं की लागत का ब्यौरा देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्केट के कम्पीटिटिव रेट्स पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। एच0पी0 पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड ने दिनांक 19.05.2023 को यानी हमारी सरकार बनने के बाद वह प्रोजेक्ट अवार्ड किया था और इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में तैयार किया। सोलर प्रोजेक्ट की तुलना प्रति मेगावाट डायरेक्ट करंट कॉस्ट पर की जा सकती है।

इस आधार पर पेखुवाला की अन्य प्रोजेक्ट्स से तुलना निम्न प्रकार से है :-

गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कोर्पोरेशन की जून, 2022 में, जिसकी श्री बिक्रम सिंह जी बात कर रहे थे। उसमें 168 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की प्रति मेगावाट कॉस्ट 4.17 करोड़ रुपये आई है। गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कोर्पोरेशन की ही 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4.15 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट आई है। एच0पी0पी0सी0एल0 की 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4.50 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट आई है। इसलिए यह लागत किसी भी दृष्टि से अन्य प्रोजेक्ट की तुलना में एबनोर्मल नहीं है। इसके अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बैंक गारंटी और ओ0 एण्ड एम0 पीरियड आदि के आधार पर भी एच0पी0पी0सी0एल0 का प्रोजेक्ट बेहतर है। इसमें क्या बेहतर है, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यहां पर कहा जा रहा था कि यह प्रोजेक्ट 3-6 महीने बंद रहा। जब बाढ़ आई तो यह प्रोजेक्ट दो हफ्ते बंद रहा मगर उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो उससे यह कहा है कि आपको सोलर की रोशनी मिले या न मिले, हम आपसे प्रति यूनिट के हिसाब से इतनी बिजली लेंगे ही लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बहुत बड़ी पहल की है। हमने ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। हम प्रदेश में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 11 पंचायतों में

19.12.2024/1240/av/एस/2

साढ़े पांच गुणा क्षमता के प्रोजैक्ट लगा रहे हैं। ये और बातें हैं, मैं यहां पर माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी द्वारा कही गई बातों का जवाब देना चाहता हूं। आमतौर पर सोलर पैनल की फाउंडेशन हाइट 1.2 मीटर होती है। पेखुवाला के बारे में जो यहां कहा जा रहा था कि उसकी हाइट 1.8 मीटर है, वह पेखुवाला की साइट के आधार पर तैयार की गई है। यह गलत है कि पेखुवाला में सोलर पैनल ठीक से नहीं लगाए गए हैं। आमतौर पर सिंगल पोल फाउंडेशन पर सोलर पैनल लगते हैं लेकिन साइट कंडीशन के कारण डबल पाइप फाउंडेशन दी गई है जिससे स्टील डी0पी0आर0 की तुलना में ज्यादा लगता है। यह भी गलत है कि पेखुवाला प्रोजैक्ट तीन महीने बंद रहा और वहां पर प्रौपर ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। ऊना में अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के कारण यह प्रोजैक्ट एक से दो हफ्ते तक प्रभावित रहा। यहां पर जोर-जोर से चीख कर बातें कही जा रही थीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमने प्रोजैक्ट में गारंटी योजना मांगी है कि हमें जितनी पावर कम देंगे हम आपके उतने ही पैसे काटेंगे। अगर प्रोजैक्ट किसी कारण बंद रहता है तो उसे 3.71 रुपये प्रति यूनिट जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। यह हमारी सरकार ने किया है। डवलपर को वर्ष में एच0पी0पी0सी0एल0 को कुल 66.11 मिलियन यूनिट बिजली देनी ही देनी है, यह फिक्सड है।

टीसी द्वारा जारी

19.12.2024/1245/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

मुख्य मंत्री जारी

डवलपर को साल में एच0पी0पी0सी0एल0 को कुल 66.11 मिलीयन यूनिट बिजली देनी ही पड़ेगी और यह फिक्सड है तथा 8 साल तक इसे मेंटेन और ऑपरेशन भी करना होगा। माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी यहां यह आरोप लगाकर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैं उनके ध्यान में लाना चाह रहा हूं लेकिन वे अभी सदन में उपस्थित

नहीं हैं। साइड प्रोजेक्ट डिजाइन के बावजूद पावर कारपोरेशन द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की लागत गुजरात में बनाए गए प्रोजेक्ट के मुकाबले कम है। यहां पर गुजरात के प्रोजेक्ट की बात माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी भी चीख-चीख कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के हाथ का कागज नहीं पकड़ना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। यहां नहीं तो आप सदन के बाहर आरोप लगाएंगे जैसे मुझे तो पता नहीं कि मुर्गा प्रकरण में किसी ने एफ0आई0आर0 दर्ज की है। हमारी सरकार ने तो नहीं की है। हम जिस बारे में एफ0आई0आर0 दर्ज करने वाले हैं, वह कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। ... (व्यवधान) हमारी सरकार ने कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की है। पुलिस ने की है तो किसके कहने पर की है उनका नाम तो बताएं। ... (व्यवधान) गुजरात के जिस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है उसकी स्थिति इस प्रकार से है: -

गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की डी0पी0आर0 कॉस्ट 140 करोड़ रुपये थी। जबकि यहां 215 करोड़ में अवार्ड किया गया। यह प्रोजेक्ट कॉस्ट है और यह अवार्ड लैटर है (सदन को कागजात दिखाते हुए)। मैं इन दोनों को सदन में उपस्थापित कर दूंगा ताकि वे बाहर कुछ और न कह दें। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी जब वे आएंगे तो आपने उनको समझा देना और मेरे से ये कागज भी ले जाना क्योंकि वे श्री जय राम ठाकुर जी के कंट्रोल से बाहर हैं। जबकि यहां Attendant current (AC) per 35 MgW का प्रोजेक्ट था। जिसकी per megawatt cost 6.14 करोड़ रुपया बनती है। एच0पी0सी0एल का प्रोजेक्ट ए0सी0 32 मेगावाट का है। गुजरात का प्रोजेक्ट अढ़ाई साल बाद भी कमिशन नहीं हुआ है और हमारी सरकार की

19.12.2024/1245/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

तत्परता देखिए, हमने उसको छह महीने में कर दिया क्योंकि हम प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। गुजरात के प्रोजेक्ट में 20.14 लाख पर यूनिट का प्रावधान है जबकि पाँवर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रोजेक्ट पर 20.66 लाख पर यूनिट बिजली पैदा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोग राजनीतिक जीवन में

हैं इसलिए मेरी बात पूरी सुनकर जाना। अभी तक मैंने सिर्फ एक प्रोजैक्ट की बात की है। मुझे आपकी बात का जवाब देना है, आपने ही तो विषय को हमारे ध्यान में लाना है। इसलिए आप कृपया वॉकआउट न करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय हिमाचल।

उपाध्यक्ष : अब उप-मुख्य मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

उप मुख्य मंत्री एन0एस0 द्वारा शुरू

19-12-2024/1250/एन0एस0-डी0सी0/1

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्यमंत्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हाथ उठा रहे थे। जब मैं इनकी कुर्सी पर बैठा करता था तब ये कहते थे कि इस कुर्सी के नीचे क्या स्पिंग लगा हुआ है। अब तो इनको समझ आ गया होगा कि क्या लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जिला ऊना के पॉवर प्रोजैक्ट की बात कर रहे थे और कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में सोलर एनर्जी में जिला ऊना को बिजली उत्पादन का जिला बनाया है। आज दिन तक हाइड्रो पॉवर की बात होती थी कि यहां प्रोजैक्ट लग सकता है और वहां प्रोजैक्ट लग सकता है। कहा जाता था कि ऊना में कोई प्रोजैक्ट नहीं लग सकता। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम ऊना में बिजली पैदा करेंगे और यहीं से ऊना के उपभोक्ताओं को बिजली देंगे। इस तरीके से यह प्रोजैक्ट रिकॉर्ड टाइम में तैयार हो गया। आने वाले समय में वहां पर और प्रोजैक्ट भी लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष भ्रष्टाचार पर चर्चा लेकर आया है और इनको लेकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति किसी गांव में गया और रात हो गई तो कहीं रहने को जगह नहीं मिल रही थी। वह एक घर में गया और कहा कि वह उनके घर में रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में दो ही बिस्तर हैं। एक बिस्तर पर मैं और मेरा बेटा सोते हैं तथा दूसरे बिस्तर पर मेरी पत्नी और बहू सोती है। उसने कहा कि आप मुझे बिस्तर दो या न दो पर सोना तो सीख लो। आरोप लगाना एक कला है। अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाने के लिए इनकी कोई कार्यशाला लगाई जाए। पहले इनको सिखाया जाए कि आरोप कैसे लगते हैं।

इस माननीय सदन के दो दिन व्यर्थ हो गए। सिर्फ वही चल रहा है जैसे पंजाबी में कहावत है कि आटा गूंददी हिल्दी क्यों? पैनल नीचे रह गया, पैनल ऊपर हो गया या फ्लां-फ्लां हो गया। सरकार विकास कर रही है, कल्याण का काम कर रही है और बड़े-बड़े काम कर रही है। जब काम करेंगे तो हम आलोचनाओं से घबराते नहीं हैं। हम काम करेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि रचनात्मक सहयोग दें, सरकार को साकारात्मक सहयोग दें। आप सत्ता में आने से रहे और इसके लिए आपने जितने प्रयास करने थे, वे कर लिए। आपने लोटस मिशन और सी0पी0एस0 मामला भी कर लिया। ...(व्यवधान) अब आप (विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए) वहीं रहें। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 28 विधायकों ने रेजोल्यूशन दिया और 14 विधायक बाहर चले गए तथा हाउस में 14 विधायक ही रह गए। ...(व्यवधान) माननीय रणधीर शर्मा जी, हाउस एडजोर्न करना पड़ा। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन कल जो मैंने आपकी दुर्दशा देखी मुझे बहुत तरस आया।

19-12-2024/1250/एन0एस0-डी0सी0/2

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी आप बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमंत्री जी को समोसा नहीं मिला और उसकी जांच करवाने को यह सरकार बड़ा काम मान रही है तो ऐसे बड़े काम इस सरकार को मुबारिक हों। अगर जंगली मुर्गा खा कर उसकी एफ0आई0आर0 खुद ही करवाना, ऐसे काम को बड़ा काम मान रही है तो सरकार को मुबारिक हो। अगर टॉयलैट टैक्स लगा कर फिर उसको उसी दिन वापिस लेना इसको आप बड़ा काम मान रहे हो तो ये बड़े काम आपको मुबारिक हों। ...(व्यवधान) -

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.12.2024/1255/RKS/DC/-1

...(व्यवधान)

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष वाले विपक्ष चैम्बर में मुर्गे खा रहे थे लेकिन यहां कह रहे हैं कि हमें मुर्गे की बात करनी है।

श्री रणधीर शर्मा : उप-मुख्य मंत्री जी मुर्गे खाना अपराध नहीं है लेकिन जंगली मुर्गे खाना अपराध है जिन्हें मुख्य मंत्री जी ने खाया और खिलाया है। यह पहली बार हुआ कि जब डिस्कशन आई तो जैसे ही मैं बोलकर हटा अध्यक्ष महोदय ने मुख्य मंत्री जी के कहने पर सदन स्थगित कर दिया। आपको अपनी योजना बनानी पड़ी फिर आप यहां आए। फिर आप कहते हैं कि विपक्ष लाचार है। आप खुद कह रहे हैं कि हम बिना तैयारी के यहां आए थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस दिन हम तैयारी से आएं उस दिन आपकी क्या हालत होगी और उस दिन के लिए आप तैयार रहना।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

19.12.2024/1255/RKS/DC/-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कुछ तथ्य इकट्ठा करके सदन में रखे हैं हम उनको देखेंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा सरकार की विश्वसनीयता से भरोसा टूट गया है। जो आंकड़े इस सदन में ले किए गए हैं और जिन लोगों ने इन आंकड़ों को बनाया है उस पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। यह प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा है क्योंकि सरकार के कामकाज के साथ अधिकारियों और नेताओं पर भी हमारा भरोसा टूटा है। आपने जो बात कही है हम उसका अध्ययन करने के बाद ही टिप्पणी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब सही मायने में जवानी का दौर निकल गया है। अब आप उस आयु में प्रवेश कर गए हैं जहां लाठी या किसी के संभालने की आवश्यकता होगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में

सरकार को दो साल बाद बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको संभल कर चलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में दो वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार कार्य कर रही है लेकिन आप जो दो वर्षों से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। ... (व्यवधान) आप दो वर्षों से सत्ता में है इसलिए आपको जो जांच करवानी है, उसे आप करवाइए। अगर विधान सभा में ज्यादा लोग लगे हैं तो आप उन्हें निकाल दीजिए। आपने पूरे प्रदेश में भी बहुत से लोगों को निकाल दिया है। आप एक-एक करके सबको निकाल दीजिए। आप जिस एजेंसी का जिक्र कर रहे हैं हम उस एजेंसी का नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स की भर्तियों के लिए ऐसी एजेंसियां रजिस्टर हुई हैं जो नौकरी लगाने से पहले पैसे मांगती है। मेरा आग्रह है कि इस विषय पर भी जांच होनी चाहिए। ये एजेंसियां आपके नेताओं की हैं। आपके मंत्रिमंडल के नेताओं ने ये एजेंसियां रजिस्टर की हैं। आपके जो लोग विधायक बनना चाहते हैं उन लोगों ने ये एजेंसियां रजिस्टर करवाई है। इस तरह वे किस प्रकार का क्या धंधा कर रहे हैं।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1300/बी.एस./एच.के

श्री जय राम ठाकुर जारी...

यह भी जांच का विषय होना चाहिए। मैंने अपनी बात कह दी है, कुल मिला करके जो आरोप लगाए जा रहे हैं और हम इस बात को कह रहे हैं कि आपको इसमें लग रहा है कि जांच होनी चाहिए आप जांच करवाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, धन्यवाद।

अध्यक्ष: मैं माननीय सदन को फिर से सूचित करना चाहा रहा हूं कि 01.00 बजे अपराह्न फोटोग्राफ के लिए बाहर परिसर में इकट्ठे हो जाएं। क्योंकि जो नए माननीय सदस्य चुन करके आए हैं उनका यह पहला फोटोग्राफ है। इसके साथ यह भी सूचित करना चाहूंगा कि आज वी.आई.पी. गैलरी में हमारे पूर्व विधान सभा सदस्य एवं पूर्व मंत्री एवं एम.पी., श्रीमती विप्लव ठाकुर और हमारे पूर्व विधायक एवं मंत्री और वर्तमान में चेयरमैन, एस.सी.

कारपोरेशन, श्री कुलदीप कुमार जी तथा मेयर, धर्मशाला, श्रीमती नीना शर्मा जी और दवेन्द्र जग्गी जी भी इस कार्यवाही को देखने के लिए उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ और साथ ही बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आज की इस कार्यवाही में शामिल हैं और अन्य जो बाहर से लोग यहां पर दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ।

आज की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है and we will reassemble at 2.00 PM.

19.12.2024/1400/dt/वाई के-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजन के उपरांत 2.00 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई।)

अध्यक्ष : अभी मेरे पास जो लिस्ट हैं उसमें माननीय मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा सत्तापक्ष व विपक्ष के पांच-पांच माननीय सदस्य यानी 12 सदस्यों ने चर्चा में भाग लेना है।

अभी दो बज चुके हैं और हमारे पास अभी बहुत बिजनैस पेंडिंग है। अभी बिल्स और फाइनेंस बिल भी पारित होने हैं। क्योंकि चर्चा बहुत हो चुकी है इसलिए बेहतर रहेगा कि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें और फिर इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी दें ताकि हम इस चर्चा को समापन की ओर ले जाएं।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1405/वाई.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष के पश्चात जारी.....

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे काफी वरिष्ठ सदस्य बोलने के लिए शेष हैं।

अध्यक्ष : मैंने भी यही कहा है कि पांच माननीय सदस्य विपक्ष की ओर से और पांच माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से बोलने के लिए शेष हैं। उसके बाद आप (श्री जय राम ठाकुर) बोलेंगे और मुख्य मंत्री जी भी बोलेंगे। इस प्रकार से कुल 12 वक्ता हो जाएंगे। यदि ये सभी 10-10 मिनट भी बोलेंगे तब भी पांच बज जाएंगे। अभी काफी बिजनस शेष है जिसमें फाइनेंस बिल्लू भी लगे हुए हैं जोकि Public Accounts Committee की सिफारिशों पर ही लाए गए हैं। यदि आप सभी की सहमति हो तो केवल नेता प्रतिपक्ष और मुख्य मंत्री जी ही बोल दें तो ठीक रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई एतराज नहीं है बशर्ते भाजपा विधायक दल भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दे। आपके पास जो नाम हैं उनमें माननीय मंत्रियों के नाम नहीं है। यहां पर माइनिंग के बारे में चर्चा की गई है और उस पर मुझे भी जवाब देना है। यदि कट-शॉट करना है तो किया जा सकता है। दोनों ओर से 2-2 माननीय सदस्य बोल लें तब भी ठीक रहेगा।

अध्यक्ष : ऐसा भी ठीक रहेगा। सूची में पहला नाम माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी का है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख लेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य मंत्री जी से पहले यदि कोई मंत्री बोलना चाहे तो मैं अलाऊ कर दूंगा। इसके अलावा यदि किसी का स्पेसिफिक रैफरेंस आएगा तो मैं उसमें इंटरवेंशन करने के लिए भी समय दे दूंगा। वैसे मैंने रिकॉर्ड पर देख लिया है कि undesirable is not a part of the record. ... (Interruption). Should I go with the list now?

19-12-2024/1405/वाई.के.-एन.जी./2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दोनों ओर से 3-3 माननीय सदस्यों को अलाऊ कर दिया जाए।

अध्यक्ष : ठीक है। माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी, अब आप अपनी बात रखिए। Please, be within time. आप यदि 10 से 12 मिनट बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व में अध्यक्ष, विधान सभा व माननीय मंत्री रहे हैं।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी नियम-67 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर आए हैं। पिछले दो वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका असर समाज को झेलना पड़ रहा है और मैं इसी संदर्भ में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। यहां पर बहुत से वक्ताओं ने अपना विषय अपने-अपने एंगल से रखा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी का एक नारा है "व्यवस्था परिवर्तन"। वे इस पर कोशिश कर रहे होंगे लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि 'परिवर्तन' कम तथा 'पतन' ज्यादा है। इस पतन के हिस्सेदार हम नहीं हैं और हो भी नहीं सकते क्योंकि मेरे सामने जो दल बैठा है वह प्रमाण के रूप में इस पतन का हिस्सेदार है। आपके दिमाग पर गारंटियों का बोझ है। उसके कारण मीडिया व समाचार पत्रों में जो बातें उठती हैं उनके कारण सारे हिमाचल प्रदेश को झकझोर कर रख देती है। जिस कारण पूरे देश व दुनिया में हिमाचल प्रदेश के चित्र के आगे अनेक प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि यदि भ्रष्टाचार की बात की जाए और उस पर जितना मर्जी स्पष्टिकरण दे दीजिए, आपके पास आंकड़े आ जाते होंगे लेकिन यहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं उनको पढ़ने के बाद ही हम अपना वक्तव्य देंगे।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19-12-2024/1410/केएस/एजी/1

श्री विपिन सिंह परमार जारी ---

अब अगर मैं पालमपुर की बात करूं, आपके दिमाग और मन में कई बार कुछ बातें ऐसी बैठ जाती हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पालमपुर की कृषि विश्वविद्यालय की जमीन हम किसी भी सूरत में नहीं देना चाहते। वह हमारी नहीं है, सरकार की जमीन है परंतु किसके माध्यम से वहां पर टूरिज्म की नगरी बसाने का काम शुरू हो रहा है? उसके लिए आपके कुछ माननीय विधायक दुबई गए और कुछ लोगों से मिल कर आ गए। हमने कहा कि यहां पर लगभग 15 हजार कनाल जमीन है और वहां पर बेसिक साइंस पढ़ाई जाती है। वैटरनरी कॉलेज बिल्कुल नज़दीक है। होम साइंस वहां पर पढ़ाई जाती है और उसके बीच में वहां पर यह नगरी बसाने का काम कर हो रहा है। यह कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? उनको थोड़ा सा नज़दीक से पहचानिए। या तो आप कोई बैलेंस बना रहे हैं जो आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। तीन हजार कनाल जमीन पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है जिसका हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमने आपसे कई बार गुज़ारिश की। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर डाइसैटिंग नोट दिया कि नहीं होना चाहिए। इसमें भी भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है। मेरे से पहले यहां पर बहुत से माननीय विधायकों ने अपनी बात रखी है। हम नज़दीक बैठे हैं। जहां पर दो दिन पहले धौलाधार होटल में आपकी बैठक थी, उस पर भी ताला लटक गया था और आप मैकलोडगंज जाते हैं तो वहां पर भागसूनाग होटल, कश्मीर होटल और बहुत सी प्रैस कॉन्फ्रेंसिज़ यात्री निवास में होती हैं। अब शंका इसलिए पैदा होती है कि कांगड़ा और धर्मशाला के 4 होटल और हिमाचल प्रदेश के 18 होटल घाटे में चल रहे हैं। यहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं। हाई कोर्ट में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने या जो भी आपके वकील थे उन्होंने यह उत्तर दिया कि होटल घाटे में चल रहे हैं इसलिए क्यों न इनको लीज़ पर दे दिया जाए। कौन थे इसके कर्णदाता या योजना बनाने वाले? मैंने उप-मुख्य मंत्री जी का नाम इसलिए लिया कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा नहीं तो कुछेक डिपो ऐसे होंगे जो घाटे में चल रहे हैं। क्या आप उन एच.आर.टी.सी. के डिपो पर ताला लटका देंगे? हो सकता है कि वहां के कर्मचारियों को पिछले काफी दिनों से जो बैनिफिट मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिल रहे हैं। वे हमसे भी और आपसे भी मिलते हैं परंतु यह टूरिज्म के साथ, हमारे इन कांगड़ा के 4 होटलों और हिमाचल प्रदेश के 18 होटलों के साथ कौन आ रहे थे? कौन सी योजना बन रही थी? हम किसी व्यक्ति के

19-12-2024/1410/केएस/एजी/2

विरोध में नहीं हैं, हम व्यवस्था के विरोध में हैं। अगर हमने सी.पी.एस. का विरोध किया तो यह कहा था कि यह असंवैधानिक है। हिमाचल प्रदेश के खजाने पर बहुत बड़ा दबाव है।
...(व्यवधान)

Speaker: Just a minute please, Shri Vipin Singh Parmarji. This is a sub-judice matter. Now it is pending with the Hon'ble Supreme Court, need not to be discussed. The order of the High Court has been stayed. ...**(Interruption)** This is sub-judice.

श्री विपिन सिंह परमार : ठीक है अध्यक्ष महोदय। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी फौज खड़ी की हुई है। कुछ तो हरियाणा, दिल्ली और चण्डीगढ़ से ले आए। यानी अडिशनल एडवोकेट जनरल यहां पर योग्य नहीं हैं। मुख्य मंत्री महोदय, सोच आपकी अच्छी हो सकती है परंतु थोड़ा सा पावर को बैलेंस करने के चक्कर में जो वकीलों की बड़ी फौज आपने खड़ी कर दी वह हिमाचल के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल है। यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

19.12.2024/1415/av/एस/1

श्री विपिन सिंह परमार----जारी

कि हिमाचल ऑन सेल है। एक बात आई कि यहां के माननीय विधायक हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के स्पोक्स मैन भी हैं। उनके परिवार के एक व्यक्ति का पेट्रोल पम्प धर्मशाला में लगना है। ये सरकारें हैं और आप (मुख्य मंत्री) तो अब उतराई पर हैं, चढ़ाई पर नहीं हैं। गाड़ी की ब्रेक फेल होने वाली है, समझो हो चुकी है। धर्मशाला की उस सरकारी जमीन के ऊपर पेट्रोल पम्प लगाया जाना और एन०ओ०सी० यहां के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाना, होगा भी क्यों नहीं क्योंकि वह माननीय विधायक के साले साहब

हैं। उनकी धर्मपत्नी का भी दबाव होगा परंतु धर्मशाला की प्राइम लैंड यानी सरकारी जमीन के ऊपर, मुख्य मंत्री जी, आप धीरे-धीरे हंस रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था पतन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन हो तो इसके लिए मित्रों के प्रति प्यार की बजाय आपको अपने दिल तथा मन में हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति सम्मान व आदर पैदा करना होगा। यहां पर मैं ये सारी बातें इसलिए रखना चाहता हूं। अगर भू-माफिया की बात की जाए तो कल नियम-62 के अंतर्गत मैंने कृपाल चंद कूहल के संदर्भ में एक नोटिस दिया था। मैंने एक चिट्ठी दी हुई है। मैं वहां के भू-माफिया के बारे में बताना चाहता हूं। पालमपुर में न्यूगल खड्ड से कूहल चलती है और भू-माफिया ने वहां बहुत बड़ा लैंटर डाल दिया है। वह कूहल लगभग 38 किलोमीटर चलती है। इस सदन में हम बात रखें और उसके ऊपर कार्रवाई न हो, यह हास्यस्पद है। वह भू-माफिया कहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहां से कृपाल चंद कूहल चलती है। ... (व्यवधान) यह पालमपुर से चलती है। माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी को जानकारी है। यह वार्ड नम्बर 1 में छिड़ के पास है। ... (व्यवधान) मैंने बता दिया है। यह वार्ड नम्बर 1, चौक छिड़ के पास है। वहां पर भू-माफिया ने पूरी कूहल पर ... (व्यवधान) मैंने बता दिया। यहां जो बात आ रही है वह ऑन रिकॉर्ड है। आप कार्रवाई कीजिए और वहां पर लैंटर उखाड़ने के आदेश दीजिए ताकि जो पानी अवरुद्ध हो रहा है, वह न हो। उस कृपाल चंद कूहल का पानी दीवान चंद कूहल, श्रृंगार चंद कूहल और मिया फतेह सिंह कूहल की तरफ जोकि लगभग 25000 कनाल जमीन का सैलाब करती है और चौकी में जहां पर पीने के पानी के लिए जो एक स्टोरेज व फिल्टर टैंक बनाया गया है, वह पानी भी वहां पर प्रभावित हो रहा है। मैं यहां पर भू-माफिया की बात

19.12.2024/1415/av/एस/2

कर रहा हूं। मैं आपने ध्यान में ये सारी बातें इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश और हमारे कांगड़ा जिला में हम आपसे कई बार मिले। मैं कुछ तीखी बात करूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने कौन-सा गुनाह किया है, आप 30 करोड़ रुपये की राशि जमा क्यों नहीं करवाते, यह भी तो भ्रष्टाचार ही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये दे दिया, ... (व्यवधान) आप (मुख्य मंत्री जी को कहा।) सिर हिलाते

रहिए। तीन वर्षों के बाद मतदाता भी अपने सिर ऐसे ही हिलाएंगे। आपको कल के जलसे का भी पता नहीं, आपकी सी०आई०डी० क्या रिपोर्ट देती है? आप ठीक ऑफिसर लगाओ, तूफान से पहले की जो शांति है ...(व्यवधान) आप भी आर०एस० बाली साहब, जिसको कहा जा रहा है कि चमक और दमक थी।

टीसी द्वारा जारी

19.12.2024/1420/टी०सी०वी०/ए०एस०-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी

तो मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ कि वे लोग सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए थे। हमने कौन-सा बुरा काम किया है, आप इस सदन में हमें स्पष्ट करें कि धर्मशाला में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जो एक नोटिस दिया है, उसके लिए आप 30 करोड़ रुपया जमा करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) यह भ्रष्टाचार ही तो है, भ्रष्टाचार क्या कोई लूज मनी होता है? देहरा में भी यूनिवर्सिटी बनी है। उसके लिए आपको आदरणीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का आभार प्रकट करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप इस सारे मुद्दे को यहां पर स्पष्ट करें। मैं बेवजाह की बात नहीं करता। मैं यहां पर मुद्दों की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। यहां पर शराब माफिया भी सक्रिय है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार का अभिप्राय यह भी है कि मुर्गे जंगलों से पकड़कर पकवान के रूप में परोसे जाते हैं। नौजवानों को यह कहा जाता है कि यहां पर नशा पांव पसार रहा है और पुलिस विभाग कमजोर हो गया है। लेकिन वह कमजोर नहीं है, हिमाचल का पुलिस डिपार्टमेंट मजबूत है परंतु आपने उनको

विधायकों के पायलट के लिए लगा रखा है। क्या कभी विधायकों के लिए पायलट लगते हैं? अध्यक्ष महोदय का पायलट लगे तो अच्छी बात है, इनके लिए दो-दो भी लग सकते हैं क्यों इसका नियमों में प्रावधान है। मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के लिए लगे तो भी अच्छी बात है लेकिन यहां पर तो आजकल स्टेटस का सवाल हो गया है। परंतु स्टेटस जनता बता देती है, बड़ों-बड़ों को आइना दिखा देती है और आइना दिखाने के लिए इस प्रकार की आक्रोश भरी रैलियां संदेश दे रही है कि आप अपने सांचे में रह करके जिस पद की गरिमा को आपने रखना है उसको रखिए। कोई तीन, चार या पांच बार के विधायक होंगे, यह भी भ्रष्टाचार का एक नमूना है। पुलिस विभाग को दौड़ाया जा रहा है। वे अपने काम में तो मशकूल है ही नहीं, थोड़ा-

19.12.2024/1420/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

सा उन पर भी चैक लगाइये। ... (घंटी) अध्यक्ष महोदय, अगर आप नहीं बोलने देते हैं तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे 30 मिनट तो बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज आप 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस आसन पर रहा हूं और मैंने इनको बड़ा सम्मान दिया है। उस समय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष होते थे और इस सीट पर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बैठते थे। वे बार-बार प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाते थे। मैं यह बात इसलिए यहां पर रखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो हालात और परिस्थितियां है, कई बार यह लगता है कि हमें कुछ आंखें देख रही है लेकिन याद रखना हिमाचल प्रदेश की सवा सौ करोड़ आंखें आपको देख रहीं हैं। ... (व्यवधान) हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 72 लाख से ज्यादा हैं। मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूं। आप इनको दो से गुणा कीजिए। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से ये सारी बातें रखीं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-12-2024/1425/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री विपिन सिंह परमार -----जारी

यहां पर जिस तरीके से जमीनों को लेकर बेचा जा रहा है और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कभी किसी ने किसी का अहसान किया है तो मुख्यमंत्री जी आपके कार्यालय में तस्तरी में रख कर उसको पद से भी सुशोभित किया जा रहा है। मैं नाम लूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। वे कभी राजस्व के अधिकारी थे और आज आपकी छाया में बैठे हुए हैं। आपने उनको इनाम दे दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदारी और पारदर्शिता का सूचक होता है। यहां का एक अधिकारी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दे और हिमाचल प्रदेश का पूरा ताना-बाना प्रशासनिक व्यवस्था के आगे प्रश्नचिन्ह लग जाए तो अच्छी बात नहीं है। यह मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। एक कंपनी को लाभ देने के लिए वार्षिक एच0पी0पी0सी0एल0 की बैठक में नियमों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। यहां तक कि स्लाइड का रेट भी बढ़ाया जाता है और जुर्माने को कम किया जाता है। ...(व्यवधान) मैं इसे पूरा पढ़ता हूं और अध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय देंगे। अब इन्होंने पूछा है तो कंपनी का नाम क्यों, मैं सब कुछ बताऊंगा। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा आरोप तो बिजली विभाग के उन अफसरों के ऊपर भी हैं और आपके कार्यालय के नजदीक बैठे हुए उन अफसरों के ऊपर भी उसकी आंच आ रही है। मैं यह नहीं कहता कि वे दोषी हैं पर आप थोड़ा विवेक से काम कीजिए। विवेक से काम करने के बाद सारी जानकारियां इकट्ठा कीजिए। एच0पी0पी0सी0एल0 ने अपने बोर्ड की बैठक में कार्य को पूरा करने के लिए दो बार कार्य अवधि को बढ़ाया। प्रोजैक्ट समय पर पूरा न करने पर 162 करोड़ रुपये के जुर्माने को न लगा कर 1765 दिनों की समयावधि को बढ़ाया गया। दूसरा, घाटे में चल रही इस कंपनी को 150 करोड़ रुपये का काम बढ़ा करके 288 करोड़ रुपये किया गया। मैं इसका अनुलग्नक भी आपको दूंगा और इस माननीय सदन में भी प्रस्तुत करूंगा। आपने जब इसका उत्तर देना है तो उसमें बताएं। मैं ये सारे विषय यहां पर इसलिए रख रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है तो निसंदेह आपकी भावना क्या होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परन्तु कुछ लोग अदृश्य शक्ति के रूप में जो ये कारनामे कर रहे हैं तो

उससे आपकी और सरकार की बदनामी हो रही है तथा हिमाचल प्रदेश का जो एक्सचैकर है उस पर दबाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं और जमीनों का जिक्र नहीं करूंगा। इतना ही जिक्र करूंगा कि

19-12-2024/1425/एन0एस0-ए0एस0/2

आजकल सब कुछ पारदर्शी है। हम चुनावों के दिनों में एफिडेविट देते हैं और वह एफिडेविट पूरे देश और दुनिया में चला जाता है। हमारे पास कितनी चल व अचल संपत्ति है उसका हम सोशल मीडिया और अखबारों में स्पष्टीकरण देते रहें तो उसका कोई मायने नहीं रहता। एक बार समाज में परसेप्शन बन जाए तो समाज में व्यक्ति का परसेप्शन कभी नहीं टूटता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जिला कांगड़ा में खनन माफिया बहुत सक्रिय है। आप उस पर लगाम लगाएं। पुलिस वालों को और अधिकार दिए जाएं। आपने हिमाचल प्रदेश के क्रशर बंद कर दिए। लोगों को मुश्किलें महसूस

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.12.2024/1430/RKS/डीसी/-1

श्री विपिन सिंह परमार... जारी

जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों में क्रशर चलते रहे। जो हिमाचल प्रदेश की न्यूगल खड्ड, ब्यास और सतलुज नदी में जिस तरीके से खनन हो रहा है उससे हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण और सम्पदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है। यहां पर वन माफिया भी पूरी तरह से सक्रिय है। हमारे पास वन टाइम सैटलमेंट की पूरी सूची आ चुकी है। करोड़ों रुपये का कर्ज ले लिया गया है और करोड़ों रुपये का कर्ज माफ भी हो

गया है। आज दी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कमजोर हो रहा है। पहले सभी सहकारी बैंकों का कार्यभार सहकारिता विभाग के पास होता था लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इन बैंकों की देख-रेख का कार्यभार मुख्य मंत्री के पास है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपने इन बैंकों को अपने पास क्यों रखा है। क्या आपके पास वित्त मंत्रालय है इसलिए आपने इन बैंकों को अपने पास रखा है? आपने उप-मुख्य मंत्री से इन बैंकों की वर्किंग की देखरेख का कार्यभार ले लिया है। मुझे आपकी मंशा समझ नहीं आ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी चुप क्यों बैठे हैं इस बारे में भी मुझे मालूम नहीं है। जब आप यहां होते थे तो उस वक्त पूरे जोश के साथ बोलते थे लेकिन पता नहीं उस जगह पर बैठकर आपकी ताकत क्यों कम हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। देहरा में राशन घोटाला होता है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट घोटाले के दायरे में है और अब क्रूज घोटाला भी हो गया है। इस तरह आद्योगिक क्षेत्र में घोटालों की भरमार लगी है। आज गोल टेंडर लगाकर ठेकेदारों को टोकन व चैक दिए जा रहे हैं। ट्रेजरी को यह कहा गया है कि जब तक शिमला से आदेश न आए तब तक कोई चैक क्लीयर न किए जाएं। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आपने आपदा में भी संभावनाएं ढूंढने का काम किया है। ...(व्यवधान) मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां घोटाला की भरमार लगी हुई है। हम पिछले कल रैली में थे और हमारी अनुपस्थिति में जो हमारे बारे में कहा गया है मैं उन बातों का भी खंडन करता हूं। जल जीवन मिशन के बारे में नेता प्रतिपक्ष जवाब देंगे। ...(व्यवधान) श्री चंद्र शेखर जी जो आउटसोर्स में कर्मी लगे थे आप उन्हें निकाल दीजिए। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सरकार निरंतरता में चलती है। आप कह रहे हैं कि पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। अगर पाइपों के ढेर लगे हुए हैं तो आप उन पाइपों का उपयोग सिंचाई व पेयजल

19.12.2024/1430/RKS/डीसी/-2

योजनाओं में कीजिए। जब भी सत्र का आयोजन किया जाता है तो यह कहा जाता है कि परमार साहब को वहां से उठाकर अध्यक्ष आसन में बिठा दिया गया। अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष का पद बहुत गरिमामयी है। इस आसन से आपके निर्णय बड़े ऐतिहासिक रहे हैं। आप उन निर्णयों के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने भी इस आसन से बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

श्री विपिन सिंह परमार : डॉ० राजीव बिन्दल जी भी विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में जो उन पर अंगुलियां उठाई जा रही है वे ठीक नहीं है। वे यहां इसका उत्तर नहीं दे सकते।

Speaker: Hon'ble Member that is not the part of the record. I have removed it. All that was undesirable stands removed from the record.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। यहां पर कई तरह की बातें की जाती है कि मुझे वहां पर क्यों बिठाया गया था। कोई कहता है कि कोरोना काल में पी.पी.ई. व सैनिटाइजर घोटाला हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि घोटाला तो वहां से हुआ था। आपने 15 करोड़ रुपये का एक जाली बिल कांग्रेस हैड क्वार्टर में भेज दिया था।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1435/बी०एस०//डी सी०-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

कि हमने पी.पी.किट्स और सैनेटाइजर खरीदे हैं। उस वक्त अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर जी थे। उप-मुख्य मंत्री महोदय, उस वक्त आपने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जिन लोगों ने पी.पी. किट्स और अन्य सामान की सूची दिल्ली में भेजी थी, वह गलत थी। हम उन लोगों में नहीं हैं, हमने कोरोना के समय में इस तरह का कोई काम नहीं किया। चाहे डॉ० राजीव बिंदल जी हों, चाहे विपिन सिंह परमार हों या उस समय के आई.पी.एच. मंत्री हों। उन्होंने निष्पक्ष भाव से यहां पर काम किया है। यह ठीक है कि हम सत्ता तक नहीं पहुंच सके। परंतु हिमाचल प्रदेश की मजबूत आवाज है।

में सचिवालय के बारे में एक ही बात करूंगा, वहां पर लोग न अंगुठियां पहन करके जा रहे हैं और न कड़े पहन करके जा रहे हैं। आप इस कुर्सी पर बैठे हैं कृपया, परंतु आज जो इस प्रकार का माहौल बना है, नेताओं के बारे में अंगुलियां खड़ी करना बहुत आसान है, आज हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप उस पर लगाम लगाइए। हम आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप सरकार चलाइए, आप का नारा जो भी है, व्यवस्था परिवर्तन लगाइए। परंतु हिमाचल प्रदेश बदनाम नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विपिन सिंह परमार : जो आंखों के सामने दिख रहा है उसके ऊपर आप प्रहार करें, चोट करें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अंत में यह जो विषय आदरणीय रणधीर शर्मा जी यहां पर ले करके आए हैं, यह बहुत माकूल है। क्योंकि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था, जनता सड़कों पर थी और हमारे साथी इस विधान सभा में तथ्यपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे। मैं भी इसमें शामिल होता हूं कि भ्रष्टचार के दलदल में भंसा हुआ हिमाचल प्रदेश आज कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है और कमजोर हो रहा है। इसे बाहर निकालने की आवश्यकता है, यह कोई और नहीं यहां पर बैठी हुई फ्रंट लाइन है, वह इस काम को कर सकती है। पीछे वाले तो आपकी इसलिए बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि हम भी मंत्री बन जाएं, एडवाइजर बन जाएं और ओ.एस.डी. बन जाएं। परंतु याद रखना जो जितनी प्रशंसा करता है वह

19.12.2024/1435/बी0एस0//ड0सी0-2

उतना ही ज्यादा काटू होता है। राजनीति में आप बहुत दिनों से हैं दो आंखें यहां भी हैं और यहां भी होंगी। आप कभी-कभी हमारे से भी बात कर लिया करो, हम भी आपको कुछ-न-कुछ काम की बातें बताते रहेंगे। आप हमारे विश्वविद्यालय समय के नेता हैं और आदरणीय अग्निहोत्री जी भी नेता रहे हैं। हमें खुशी होती है, लोकतंत्र में लोगों ने आपको वहां पर बिठाया है। आइए मिल करके अच्छा काम करें, हम उसकी स्तुति करेंगे और बे वजह हम जंगली मुर्गे की बात नहीं करेंगे ताकि आपको स्पष्टीकरण न देना पड़े और न ही टॉयलेट टैक्स की बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें क्या लेना देना है?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको बोलते हुए 31 मिनट हो चुके हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन सिंह परमार : यह सेहत के लिए अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हैं प्रवास कर रहे हैं परंतु अपने प्रवास में पिकनिक न मनाएं। यह पिकनिक जो है वहां लोग कैमरा लेकरके बैठे रहते हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीच में कुछ लोग लगे हैं, आप तैयार रहिए। यह राजनीति बहुत टेढ़ी-मेढ़ी है। आप पारदर्शिता से काम करें और हिमाचल प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालें, हिमाचल प्रदेश को बिकने न दें और जिनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं उनसे भी आप अपने चैंबर में बैठक करें, बातचीत करें, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया आपका आभार, शुक्रिया।

Speaker: I think Hon'ble Chief Minister wants to intervene.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय परमार जी मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1440/dt/एच.के-1

मुख्य मंत्री जारी...

मेरे खड़े होने से क्या घबरा जाते हैं आप? श्री विपिन सिंह परमार जी हमारे पुराने साथी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, शिमला विश्वविद्यालय में हम एक साथ पढ़े हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और हमें सुझाव दिए हैं और इन्होंने ये भी कहा कि हमें कमरे में बुला कर के पूछिए। जो भी गलीत करेगा हमारी सरकार उसको कमरे में नहीं बुलाएगी उसको हम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। 28 फरवरी, 2009 को, मैं साथ में एक स्पष्टीकरण इनको देना चाह रहा हूँ, पिछले कल इस सदन में 64 करोड़ रुपये से संबंधित बात आई, इसलिए मैं साथ-साथ इन बातों में अपना स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूँ कि 28

फरवरी, 2009 को 320 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए मै0 मोजर बेयर प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 को अनुमति दी गई। उस समय प्रदेश में भाजपा शासित सरकार थी। सेली प्रोजेक्ट का क्षेत्र लाहौल स्पिति जिला के लाहौल क्षेत्र के उदयपुर में मयाड़ नाला तथा चन्द्रभागा नदी पर स्थित है। 12 दिसम्बर, 2011 को 400 मेगावाट क्षमता की डी0पी0आर0 टेक्नो इकनोमिक्स क्लीयरेंस के लिए राज्य सरकार को सूचना दिए बिना भारत सरकार को भेजी गई। 14 अगस्त, 2017 को कंपनी ने सरकार को लिख कर दिया कि स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट के कारण भूमि अधिग्रहण की दिक्कत के कारण व अन्य कारणों से प्रोजेक्ट बनाने में रूकावट आई है, इसलिए प्रोजेक्ट नॉनवाइअबल हो गया है। कंपनी ने अप-फ्रंट प्रिमियम के 64 करोड़ रुपये वापिस करने के लिए कहा। सरकार ने 23.9.2017 को प्रोजेक्ट टरमिनेट करने तथा 64 करोड़ रुपये के अप-फ्रंट प्रिमियम को जब्त करने का निर्णय लिया। कंपनी ने उच्च न्यायालय में केस कर दिया जिसमें सिंगल बेंच का फैसला 13 जनवरी, 2023, जब हमारी सरकार को बने केवल 20 दिन ही हुए थे, आया। इस फैसले में कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्लेम मंजूर कर दिया गया यानी की 13 जनवरी, 2023 उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का फैसला आया और 64 करोड़ रुपये का फैसला न्यायालय द्वारा कंपनी के हक में किया गया। जब ये मामला हमारे पास आया तो हमारी सरकार ने एल0पी0ए0 फाइल की सरकार ने 28.4.2023 को स्टे की अपलीकेशन माननीय उच्च न्यायालय में दी और उच्च न्यायालय द्वारा 21.8.2023 को कंडिशनल स्टे इस मामले में दिया और सरकार को अप-फ्रंट प्रिमियम की राशि को इंटरस्ट के साथ कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाने के निर्देश दिये।

19.12.2024/1440/dt/एच.के-2

सरकार ने 23.11.2024 को 64 करोड़ रुपये उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करवाये और 3.12.2024 को जो उसका इंटरस्ट बनता था, क्योंकि जब आरबीट्रेशन के केस के बाद कोई भी फैसला आता है उस पर नियम है कि कोर्ट में अपील तब ही सुनी जायेगी जब आप उस राशि को जमा करवायेंगे, तो सरकार ने 64 करोड़ रुपये भी जमा करवाये और 3.12.2024 को 29.96 करोड़ रुपये (कुल 93 करोड़ 96 लाख 7 हजार 671 रुपये) जमा

करवाये। उच्च न्यायालय ने 18.11.2024 को हिमाचल भवन दिल्ली को अटैच करने के आदेश दिये थे। अब पैसा जमा करवा दिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार का सवाल कहां से आ गया? भाजपा का दावा बेबुनियाद, झूठा और गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे कि हिमाचल भवन अटैच कर दिया, कुर्क कर दिया यह सब कोर्ट के फैसले होते हैं। ऐसा ही एक केस राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सुनाया था जिसमें बिकानेर हाउस अटैच करने के आदेश दिये गये। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, यह किसी संपत्ति को कुर्क करने की इजाजत नहीं देता। कोर्ट कहता कि अगर आप ये पैसे जमा नहीं करवाते हैं तो क्या हम आपकी ये संपत्ति कुर्क कर दें? इस बात को आप सदन में लाते हैं ये गलत बात है। मैं यही बात कहना चाह रहा था। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें मैं साथ-साथ क्लेरीफाइ करता जाऊंगा ताकि आपका मन भी लगा रहे। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने टूरिस्ट विलेज की बात भी कही। ये बोल रहे थे की ये टूरिस्ट विलेज है, इसकी 15000 कनाल जगह है और 3000 कनाल हम टूरिस्ट विलेज के लिए ले रहे हैं।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1445/एच.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

हमारी सरकार का फैसला है कि हम टूरिज्म सैक्टर में बहुत आगे जाना चाहते हैं। इन्हें (विपक्ष) यह कहां से पता चला कि सरकार उनकी जगह लेकर टूरिस्ट विलेज बनाना चाहती है? यह इनकी केवल परिकल्पना है। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए अपने पहले बजट में अपनी सोच को प्रदर्शित किया था। उसमें हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति और संस्कारों को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे उद्योगों को हिमाचल प्रदेश में लाना होगा जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। उस बजट में आप सभी ने देखा होगा कि टूरिज्म, हाइड्रो सैक्टर व डाटा स्टोरेज और फूड व

डायरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। हम दो साल से इन्हीं पांच सैक्टर्स पर काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो 3000 कनाल जगह की बात है तो सरकार के नाम इसका इंतकाल हो चुका है। 15000 कनाल जगह भी सरकार ने ही दी थी। लेकिन इस पर क्या बनाना है उसके लिए आप सभी के साथ इस माननीय सदन में चर्चा की जाएगी। ... (व्यवधान) बिलकुल कोर्ट ने स्टे दिया है। ... (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि कौन बना रहा है? आपने चर्चा में कहा तो मैं इस पर कह रहा हूँ। ... (व्यवधान) आप वरिष्ठ नेता हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में आप मेरी कुर्सी पर बैठे हों। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मुझे आपकी बहुत सारी बातों का जवाब देना है। यह कोई आरोप नहीं है और ये तो एक गवर्नर एड्रेस पर स्पीच दी गई थी जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। धन्यवाद।

Speaker : Now Hon'ble Parliamentary Affairs Minister speak and then thereafter Hon'ble Deputy Chief Minister.

19-12-2024/1445/एच.के.-एन.जी./2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे क्लैरिफिकेशन देने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अनाधिकृत माइनिंग के बारे में बहुत चर्चा की है। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा लेकिन जो माननीय सदस्यों ने कहा है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माइनिंग एक ऐसा इश्यू है जोकि हमेशा से एक हॉट टोपिक रहा है। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हो।

हर सरकारों के समय में अनाधिकृत माइनिंग होती रही है। माइनिंग विभाग में जो जियोलॉजिकल विंग है तो अनाधिकृत माइनिंग को रोकना केवल इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने इसके लिए लगभग 22 विभागों को नोटिफाई किया हुआ है। यदि फोरेस्ट एरिया में अनाधिकृत माइनिंग हो रही है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी फोरेस्ट विभाग की भी है। इसी प्रकार यदि किसी सड़क के किनारे अनाधिकृत माइनिंग हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की भी है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में अनाधिकृत माइनिंग कम-से-कम हो।...(व्यवधान) सरकारी की पूर्ण जिम्मेदारी है और हमारी सरकार इस पर कड़े कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विभाग ने वर्ष 2022-23 में 8451 केसिज़ पकड़े हैं जिनसे 5.18 करोड़ रुपये रिकवर किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में 10036 केसिज़ पकड़े हैं जिनसे 6.25 करोड़ रुपये रिकवर किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 6846 केसिज़ पकड़े हैं जिनसे 4.08 करोड़ रुपये रिकवर किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, माइनिंग विभाग ने हैड क्वार्टर में एक ऑनलाइन मोनेटरिंग सैल स्थापित किया है। इसके लिए एक लैंड लाइन व मोबाइल नम्बर भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी कोने में यदि कोई अनाधिकृत माइनिंग करता है तो आप इन नम्बरों पर सूचना दे सकते हैं और उसके बाद विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने एक एप्प भी बनाई है और इस एप्प के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में 121 केसिज़ को डिटेक्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की है कि प्रदेश में अनाधिकृत माइनिंग रूकनी चाहिए और सरकार का राजस्व भी बढ़ना चाहिए।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19-12-2024/1450/केएस/वाईके/1

उद्योग मंत्री जारी---

और हमने नई माइनिंग पालिसी लाई है जिसमें हमारा रेवन्यू भी बढ़े और इलीगल माइनिंग को भी रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, in terms of fund भी मैं आपको कहना चाहूंगा, in terms of money, in terms of royalty, वर्ष 2021-22 में हमें माइनिंग से 2000 करोड़

रुपये रॉयल्टी आई थी। वर्ष 2022-23 में माइनिंग के माध्यम से हमें रॉयल्टी 242 करोड़ रुपये आई और वर्ष 2023-24 में हमें 315 करोड़ रुपये की रॉयल्टी आई। अमूमन हम माइनिंग में 10 से 15 परसेंट रॉयल्टी इन्क्रीज़ करते हैं मगर इस वित्तीय वर्ष में हमारी रॉयल्टी 25 परसेंट से अधिक इन्क्रीज़ हुई है। इस वित्तीय वर्ष में हम माइनिंग की रॉयल्टी 400 करोड़ रुपये पर पहुंचा देंगे। जब इनकी सरकार थी माइनिंग से 200 करोड़ रुपये की रॉयल्टी आ रही थी मगर ढाई साल के अंदर हम इसको 200 से 400 करोड़ तक पहुंचा देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने प्रयास किए हैं और मैं फैक्ट्स, फीगर्ज़ और आंकड़ों के आधार पर आपको ये बातें कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए और कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट इलीगल माइनिंग को रोकने के प्रयास कर रहा है। अभी मेरे बड़े भाई बिक्रम सिंह जी ने भी बी.बी.एन.डी. के बारे में चर्चा की। उसमें भी हमने बहुत सारे केसिज़ को डिटेक्ट किया है। बी.बी.एन.डी. में माइनिंग डिपार्टमेंट ने पिछले साल 304 केसिज़ पकड़े। पुलिस ने 312 केसिज़ पकड़े और कुल मिलाकर बी.बी.एन.डी. एरिया में हमने 91.93 लाख रुपये के चालान किए और रिकवरी की। कोशिश करेंगे कि इन क्षेत्रों में माइनिंग को रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर क्रशर बंद करने का जिक्र किया गया। पिछले साल बरसात में भारी तबाही हुई थी। कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी जिलों में भी बहुत तबाही हुई और मुख्य मंत्री जी ने, सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से ब्यास के इर्द-गिर्द जितने क्रशर थे, उनको बंद कर दिया। जहां तक क्रशर या माइनिंग बंद होने की बात है तो ये तो हर साल बरसात में बंद होते हैं। 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक हिमाचल प्रदेश में सारी माइनें बंद होती हैं और सारे क्रशर बंद होते हैं मगर आपने उसको भी एक स्केंडल के रूप में दिखाने की कोशिश की। कुछ लोगों के इर्द-गिर्द इन चीजों को घुमाने की कोशिश की है। ब्यास के इर्द-गिर्द जितने भी क्रशर थे, वे चाहे जिसके भी थे, वे बंद थे। मगर जब डवलपमेंटल वर्कस

19-12-2024/1450/केएस/वाईके/2

रुकने शुरू हो गए उस वक्त हमने एक फैसला किया कि जिन क्रशर पर स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिशड माल पड़ा है, रोड़ी पड़ी है, उनको हमने इजाज़त दी और वह हमने एक

व्यक्ति को नहीं दी। जिसने भी अप्लाई किया, जितने टन का, जितनी क्वांटिटी का पत्थर फिनिशड गुड, रोड़ी उनके क्रशरों पर थी, हमने उनको परमिशन दी। लगभग 15 लोगों को हमने परमिशन दी है। हमने चेंजिज़ किए, जो माइन्ज़ हैं, उनके माध्यम से हम 80 रुपये प्रति टन लेते हैं। जो कैप्टिव क्रशर हैं, प्रोजैक्ट के क्रशर हैं, रोड़ के क्रशर है या कोई लैंड डवलपमेंट का करना चाहता है, 80 रुपये टन की बजाय हम उससे 140 रुपये प्रति टन ले रहे हैं। क्योंकि माइनिंग वाला जो माइनिंग प्लान करता है, वह सरकार को टैक्स देता है। उसको माइनिंग प्लान बनाना पड़ता है, एन्वायरनमेंटल प्लान बनाना पड़ता है, उसको पोल्यूशन क्लीयरेंसिज़ करने पड़ते हैं मगर जो कैप्टिव वाला क्रशर होता है, कैप्टिव हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर प्रोजैक्ट के लिए चाहे वह हाइडल प्रोजैक्ट बन रहा है, रोड़ज़ का प्रोजैक्ट बन रहा है या और हो, हम 140 रुपये प्रति टन के हिसाब से लेते हैं और हमारी कोशिश है, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। श्री बिक्रम सिंह जी, पूर्व उद्योग मंत्री ने भी देखा होगा कि माइनिंग और इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टाफ आपके पास नहीं है। आज भी चार जिलों में हमारे पास माइनिंग ऑफिसर नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने 80 खनन रक्षक गार्डर्ज़ के पद स्वीकृत किए हैं ताकि प्रॉपर चैकिंग हो सके। अगर हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो हम चैकिंग भी नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये अभी स्क्रेप के बारे में ज़िक्र कर रहे थे।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

19.12.2024/1455/av/yk/1

उद्योग मंत्री----- जारी

यह बात सत्य है कि स्क्रेप एक बहुत बड़ा स्कैम है। यह इसी सरकार में नहीं बल्कि पिछली सरकार के समय से चला आ रहा है। मैं माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि हमने एक पॉलिसी बनाई है। हमने जब स्टेक होल्डर्ज़, खासकर फैक्ट्री के लोगों से जब इस बारे में बात की तो मैटल स्क्रेप ट्रेड कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया जोकि

भारत सरकार का प्रोजैक्ट है, हमने उनके माध्यम से स्क्रेप को ऑक्शन करने के बारे में सोचा। परंतु हमने जब इस बारे में स्टेक होल्डर्स और फैक्ट्री के लोगों से बात की, क्योंकि यह कम्पनी ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है। स्क्रेप भी कई प्रकार का होता है। उसमें मैटल, एल्यूमिनियम, बोर्डर्स, पेपर्ज, लकड़ी और फूड प्रोडक्ट्स इत्यादि का स्क्रेप होता है। हमें बहुत सारी कम्पनीज ने कहा कि हमारे पास लैंड की उपलब्धता नहीं होती। मगर इस कम्पनी का प्रोसेस यह है कि आप सभी प्रकार के स्क्रेप के बारे में ऑनलाइन चढ़ाओगे कि हमारे पास लोहा, गत्ता, पेपर्ज, लकड़ी इत्यादि स्क्रेप इतने हजार टन या किलोग्राम है। फिर दूसरा ऑनलाइन बिडिंग करेगा तथा पेमेंट भी ऑनलाइन ही करेगा। वह फैक्ट्री में जाकर वेरीफाई भी करेगा कि जो माल की जानकारी अपलोड की गई है वहां पर उस किस्म का माल है भी या नहीं। जब वह उठाएगा, वह उस वक्त होगा या नहीं होगा। हमने स्टेक होल्डर्स से जब इस संदर्भ में विस्तृत रूप से बात की तो उन्होंने हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन्स और सोल्यूशन्स दिए। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी स्क्रेप पॉलिसी फाइनल स्टेज पर है। कुछ लोगों ने यह सुझाव भी दिया है कि बी०बी०एन०डी०, काला अम्ब, पांवटा इत्यादि एरिया में आप बोली लगा लो। मगर उस ऑक्शन के लिए बेस प्राइस क्या रखनी है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा है कि आप हमें यह बताओ कि हिमाचल प्रदेश में किस फैक्ट्री या कम्पनी से किस क्वांटिटी और क्वालिटी का स्क्रेप निकलता है। हमें जब इस बारे में सारी जानकारी मिलेगी तो हम इसके लिए एक बेस प्राइस तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बी०बी०एन०डी० एरिया के लिए अगर हम यह कह दें कि बेस प्राइस 50 करोड़ रुपये है तो 50 करोड़ रुपये के ऊपर हम ऑक्शन कर सकते हैं। यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) परंतु मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री जी और पूरी कैबिनेट के आदेश है। मैंने खुद बोर्डर एरियाज में

19.12.2024/1455/av/yk/2

जाकर के माइनिंग के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स की हैं। हमने साफ कहा है कि इलीगल माइनिंग जो भी कर रहा है, उसमें चाहे कोई सत्ता पक्ष, विपक्ष या किसी राजनैतिक पार्टी का व्यक्ति है। इलीगल माइनिंग, ड्रग, चिट्ठा इत्यादि की राजनीतिक

स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। गलत काम करने वाले के विरुद्ध एक्शन लिया जाना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है। हम हिमाचल प्रदेश में इलीगल काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह कमीयां रह सकती हैं, आप हमें बताएं। हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।

Speaker : Hon'ble Deputy Chief Minister wants to intervene. ...(Interruption) There is no rejoinder for this. ...(Interruption) Hon'ble Deputy Chief Minister ...(Interruption) I am not permitting this. ...(Interruption) There is no specific reference against you, Bikramji. ...(Interruption) Please, take your seats. माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय जी।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी चले गए हैं, मुझे उनको क्लेरीफाई करना था। वे एक तो अपनी बात रखते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ...(व्यवधान) नहीं, हम तो बैठते थे। उन्होंने कृपाल चंद कूहल के बारे में कहा। मैं इनको पूछना चाहता था कि इनको उस कूहल में क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या तो हमने उस पर मकान बनाना अलाउ कर दिया हो। लोगों को रास्ता चाहिए और सिर्फ पैसे देने की बात है और वह पैसा दिया जा रहा है। दूसरा मसला राजनैतिक है क्योंकि आज सिर्फ माननीय श्री जय राम ठाकुर जी और मुख्य मंत्री जी ही बोलेंगे। इसलिए हम सब अपने को सूची से हटा रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

19.12.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

उप-मुख्य मंत्री ... जारी

लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि श्री जय राम ठाकुर जी जब मुख्य मंत्री थे और मैं विपक्ष का नेता था तो हम इनको कहते थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूल्ज बना लो, क्राइटेरिया सैट कर लो तो उस समय इनको लगता था कि मैंने तो हमेशा मुख्य मंत्री रहना

है इसलिए मैं क्यों लीडर और ऑपोजिशन का क्राइटेरिया बनाऊं? अब इनको दिक्कतें समझ आ रही हैं कि कहां-कहां कोठी, कार या पी0ए0 की दिक्कत है। इसलिए यह जो संस्थान है, यह सुप्रीम है और आज हम कुर्सी पर है और कल कोई और कुर्सी पर होगा। मैं भी 25 सालों से विधायक रहा हूं। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से एक आग्रह जरूर रहेगा कि आप भ्रष्टाचार पर चर्चा करें या किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करें लेकिन एक-दूसरे के कपड़े मत फाड़ो। यह संस्थान एक मंदिर है। मैं जब पहली दफा सी0पी0एस0 बना तो आपने अढ़ाई साल में हटा दिया लेकिन मुझे वह बहुत फायदेमंद रहा और मैं 25 साल से विधायक बनता आ रहा हूं। अगर मैं अढ़ाई साल में न हटता तो शायद पांच साल बाद हार जाता। आपने मेरे छह साथी हटवा दिए। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता न करें, आप दोबारा विधायक बनेंगे। ... (व्यवधान) मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब जैसे आपने सी0पी0एस0 पर पटिशन कर दी। मैं माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी का नैतिक मूल्य के नाते इनकी बहुत कदर करता हूं लेकिन ये स्वयं सी0पी0एस0 रहे और इन्होंने खुद ही सी0पी0एस0 के खिलाफ पटिशन डाल दी। ये अपने समय में स्वयं इस पद पर रहे। इसलिए जब मैंने पिटीशन पर इनका नाम देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये तो नैतिक मूल्य वाले व्यक्ति है और ये क्या कर रहे हैं। अब आपने उप-मुख्य मंत्री को भी साथ में पिटीशन में डाल दिया है। आपने वाले समय में श्री विपिन सिंह परमार और श्री बिक्रम सिंह जी में उप-मुख्य मंत्री को लेकर पता नहीं कितनी लड़ाई होगी। फिर आप लड़ेंगे कि मुकेश को क्या-क्या मिलता था? उनको कोई गाड़ी या घर मिलता था कि नहीं मिलता था? उप-मुख्य मंत्री का केस आपने हाईकोर्ट से तो वापिस लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि यह ठीक है क्योंकि उप-मुख्य मंत्री पूरे देश में हैं और दो-दो, तीन-तीन हैं। इस तरह से

19.12.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

मेरी जिंदगी तो कायदा सैट करने में ही निकल गई कि मैं सी0पी0एस0 का कायदा सैट करूं, उप-मुख्य मंत्री या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सैट करूं। मैंने मुख्य मंत्री जी से भी

कहा था, इन्होंने जिन कमरों में विधायक ठहरते थे उनको बहुत ज्यादा महंगा कर दिया और विधायकों को रैस्ट हाउस में ठहरना मुश्किल हो गया है। जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इनका वेतन रोक दो, भत्ते रोक दो या इनको टेलीफोन भत्ता क्यों मिलता है? जबकि लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि आप हमारा इलाज करवा दो या मेरी मदद कर दो। कोई कहते हैं कि उनको चाय के लिए भी नहीं पूछा जाता है। आप चाहे लाखों वोटों से जीत कर आएँ लेकिन आप सदन के अंदर जो भी बात करेंगे, बाहर उसके बारे में अभी से आपका विरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए स्वयं तो ठीक हो जाओ, माननीय सदन के अंदर क्यों एक-दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। आप भ्रष्टाचार पर चर्चा करें लेकिन थोड़ा संयम भी जरूर रखें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री बिक्रम सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?

एन0एस0 ... जारी

19-12-2024/1505/एन0एस0-ए0जी0/1

अध्यक्ष : श्री बिक्रम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री बिक्रम सिंह जी: अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी ने जो विषय रखा तो उसमें आपके बारे में और आपकी कार्यशैली के बारे में कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है। मेरा सुबह यह निवेदन था कि आप चोर का न मार कर चोर की मां को मारें। जब आप अपने साथ काम करने वाले, साथ चलने वाले और साथ रहने वाले व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, रोकेंगे नहीं या अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक आप व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। मेरा मेन आइडिया यही था। अब भी मैं यही समझा रहा हूँ और यही बोल रहा हूँ। माननीय उप-मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बातें रखी और इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन इस इंस्टीच्यूशन को बर्बाद करने में कौन लगा हुआ है? यह ठीक है कि हम इस सदन में बात कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि इन सारे विषयों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन यह एक तरफ से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी अगर आप सच्चे मन से यह सोच लेंगे कि मेरे साथ का कोई व्यक्ति अगर गलती करता है और मैं उसको रोकूंगा तो नीचे तक सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा।

आप जो बार-बार व्यवस्था परिवर्तन बोलते हैं और अगर इसको आपने सचमुच जमीन में उतारना है तो इसको प्रेक्टिकल कीजिए। आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने बता दिया कि हमने इतने टन माल बेचा, इतना पकड़ा और अभी आपने वह भी जस्टिफाई कर दिया जो हम बार-बार आरोप लगाते हैं तथा जो आदमी ई0डी0 ने जेल में डाले हैं उनकी भी जस्टिफिकेशन दे दी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसी जस्टिफिकेशनज क्यों दे रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है आप उसको बिल्कुल भी प्रोटैक्शन मत दीजिए। मैंने आपको इशारों में सारा समझाया है। आप उसको कटाक्ष मत समझें। मेरा जो सुझाव है अगर आप वैसा करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

19-12-2024/1505/एन0एस0-ए0जी0/2

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री बिक्रम सिंह जी बोलते-बोलते लाइन भूल जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल गए। मैं कहना चाहूंगा कि अभी 50 प्रतिशत व्यवस्था परिवर्तन हुआ है और अगले दो वर्षों में आपको और परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप जो कह रहे हैं कि सारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो आप चिंता मत कीजिए। यहां पर बार-बार एक बात उठाई जा रही है तो मैं इस बात को क्लेरिफाई कर दूँ ताकि अगले वक्ता इस बात को न उठाएं। मैं राजनैतिक बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि श्री सतपाल सिंह रायजादा जी इस विधान सभा के विधायक थे और पार्लियामेंट के भी उम्मीदवार थे। यहां पर विपक्ष के दो-तीन साथियों ने बात उठाई तो मैंने जानकारी ली। यह बात श्री सतपाल सिंह सती जी ने भी उठाई। वे इनके प्रत्याशी हैं और इन्होंने कभी उनके बारे में नहीं बोला लेकिन जब बात उठाई तो इनकी शंका दूर करना जरूरी है। के0सी0सी0 बैंक ने वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी दिनांक 09 सितम्बर, 2022 से दिनांक 09 सितम्बर, 2023 तक एक साल के शुरू की और उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस समय माननीय जय राम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। जिसके लिए पहले रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटी से 23 अगस्त को अप्रूवल ली गई। अब आर0सी0सी0 ने कंडीशन लगाई कि यह पॉलिसी शत प्रतिशत नॉन डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। इसका मतलब है कि किसी की भी एप्लीकेशन

रिजैक्ट नहीं हो सकती अगर वह ओ.टी.एस. पॉलिसी के फ्रेमवर्क में आया है। इस पॉलिसी के तहत पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को एप्लीकेशन दी। उस समय भाजपा की सरकार थी और वन टाइम पॉलिसी थी। ... (व्यवधान) मैं बता रहा हूँ कि लोन कैसे माफ हो गया। उन्होंने इस पॉलिसी के तहत दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को एप्लीकेशन दी। ... (व्यवधान) उनके दो खाते थे।

आर.के.एस. द्वारा -----जारी

19.12.2024/1510/RKS/एस/-1

मुख्य मंत्री...जारी

एक का क्लॉजर 5 दिसम्बर, 2023 और दूसरे का 6 दिसम्बर, 2023 को हुआ। इस पॉलिसी को एक्सटेंड करने के लिए बैंक ने अप्रैल में आर.सी.एस. से दोबारा अनुमति मांगी और आर.सी.एस. ने 16 सितम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक इसकी एक्सटेंशन की अनुमति दे दी। यह एक्सटेंशन इस शर्त पर दी गई कि पॉलिसी शत-प्रतिशत नॉन डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगी। इस पॉलिसी के कारण बैंक का 207 करोड़ रुपये एन.पी.ए. कम हुआ जो 1247 करोड़ रुपये से घट कर 1040 करोड़ रुपये रह गया। इसका फायदा 7,262 लोगों ने उठाया है। आपने चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए यह पॉलिसी लाई होगी। 31 मार्च, 2022 को बैंक का नेट एन.पी.ए. 15.31 प्रतिशत था जो ओ.टी.एस. पॉलिसी के बाद 31 मार्च, 2024 को कम होकर 7.15 प्रतिशत रह गया। बैंक ने फिर पॉलिसी को एक्सटेंड करने के लिए आर.सी.एस. से अनुमति मांगी। 23 जनवरी, 2024 को आर.सी.एस. ने पॉलिसी एक्सटेंड करने के लिए मना किया और नई पॉलिसी बनाने को कहा। आर.सी.एस. के कहने पर नई पॉलिसी बनी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी अपने आप वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी नहीं बना सकता। यह पॉलिसी आर.बी.आई. की गाइडलाइंस के अनुसार बनती है। इसमें आर.बी.आई. और नाबार्ड की

गाइडलाइंस जरूरी है। 9 अप्रैल, 2024 को के.सी.सी. बैंक की बी.ओ.डी. की बैठक में पॉलिसी बनाने की मंजूरी दे दी गई। पॉलिसी बनाने के लिए एम.डी. ने कमेटी का गठन कर ड्राफ्ट को मंजूरी दी। चुनाव आचार संहिता के चलते 13 मई को आर.सी.एस. ने ड्राफ्ट पॉलिसी को बैंक को वापिस कर दिया। यह श्री सतपाल सिंह रायजादा के केस की बात है। उसके बाद जो पॉलिसी आई वह अलग है। श्री सतपाल सिंह रायजादा के केस की पॉलिसी आपके समय की बनी हुई थी। उस पॉलिस के अनुसार सरकार को 207 करोड़ रुपये एन.पी.ए. आया जिससे सात हजार कुछ लोगों को फायदा हुआ। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी अगर आपको किसी ने जानकारी दी है तो आप उस जानकारी के अनुसार इस पॉलिसी के बारे में भी पूछ लेते तो अच्छा होता। यह ठीक है कि श्री सतपाल सिंह रायजादा आपके प्रतिद्वंदी है। आपको किसी ने जो कागज दिए हैं उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि यह करोड़ों रुपये का लोन वन टाइम पॉलिसी के तहत सैटल हुआ है।

19.12.2024/1510/RKS/एसएस/-2

अध्यक्ष : श्री सतपाल सिंह सत्ती जी।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने आधा-अधूरा स्पष्टीकरण दिया है। मैं इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहूंगा अगर आपके पास इनका स्पष्टीकरण है तो कृपया आप उसका जवाब भी दे दें। मेरे दो मुद्दे हैं। पहला यह है कि जो वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी आनी चाहिए वह उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनकी कुर्की की स्थिति आ गई हो ताकि किसी व्यक्ति का घर या प्रोपर्टी न बिक जाए। आपके जो पूर्व विधायक और एम.पी. के उम्मीदवार थे उन्होंने जब वर्ष 2022 में विधान सभा का चुनाव लड़ा था तो उस समय उन्होंने 10 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी का एफेडेविट दिया था। मैं इसकी प्रति भी आपको दे दूंगा। लेकिन जब उन्होंने श्री अनुराग ठाकुर जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा तो उन्होंने 15 करोड़ रुपये का एफेडेविट दिया। आप इस बात का भी स्पष्टीकरण दें कि डेढ़ साल में 10 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी कहां से इकट्ठा कर ली गई। उनके पास 5 करोड़ रुपये का इजाफा कहां से हुआ? दूसरा विषय यह है कि जो उनके ऊपर 5.97 करोड़ रुपये का लोन था उसमें से उन्होंने 3.15 करोड़ रुपये ओ.टी.एस. में माफ

करवा दिये। मेरा आग्रह है कि आप कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सारे रिकॉर्ड निकालिए। मुझे कल रात गगरेट से एक महिला का फोन आ रहा था। मैं उसका नम्बर लोकेट करता रहा। उसने कहा कि हमने लोन लिया है जिसका अभी 12 लाख रुपये बकाया देना है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1515/बी0एस0//ए0एस-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

और मेरे घर की कुर्की निकाल दी गई है। उन्होंने बताया कि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद मैंने निदेश, कांगड़ा बैंक से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, पॉलिसी को कैसे हम घुमा करके तैयार करते हैं। वे कहते हैं कि जो मकान की वैल्यू है वह 40-45 लाख रुपये है और हमने जो पॉलिसी बनाई है वह उस आदमी के लिए लागू होती है, जिसकी प्रॉपर्टी उससे अढ़ाई गुणा ज्यादा नहीं होती। आदरणीय राय जादा की प्रॉपर्टी तो अढ़ाई गुणा से ज्यादा है। जिस बैंक से लोन लिया गया है, हो सकता है कि उसका मूल्य पांच करोड़ से ज्यादा न हो। लेकिन उसकी घर की प्रॉपर्टी और एफएडेविट बता रहा है कि उसकी 15 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है। अपने लिए तो घुमा फिरा करके कर लिया। परंतु दूसरा विषय है कि 5.97 करोड़ रुपये में से 2.82 लाख रुपये उन्होंने दिया है। जब हम एफएडेविट भरते हैं तो उसमें एक क्लॉज होता है, अदर लायबिलिटी, इस तरह का कोलम होता है। उसमें उन्होंने कहा कि निल, न मैंने किसी से लेना है और न किसी को देना है। जब मीडिया ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे पूछा कि आपने जो लोन लिया है उसके लिए आपने 2.82 करोड़ रुपये कहां से दिया है? 3.15 करोड़ रुपये तो आपने माफ करवा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने मित्रों से लिया है और रिस्तेदारों से लिया है। आप उनके रिस्तेदारों की लिस्ट ले आइए ताकि पता चल सके कि उनके कौन रिस्तेदार चोर हैं, यदि वे चोर नहीं है और वह चोर कौन हैं? उनके पास पैसा कहां से आया? वे वही लोग हैं जैसा मैं बोल रहा हूं कि स्वां के अंदर रात को इलीगल माइनिंग करते हैं और मैं बोलना नहीं चाहता, इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई है? ये आज भी बता दें या एक महीने के बाद बता

दें। उन्होंने कहा कि मैंने जमीन बेची है मुझे जमीन बता दें कि कौन सी जमीन बेची है? उनके गांव के अंदर तो बन्दोबस्त चला हुआ है और बन्दोबस्त के अन्दर आपने वह तहसीलदार लगाया है जो विजिलेंस द्वारा पांच लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था उसने नवम्बर में रिटायर होना था फिर उसके लिए एक्सटेंशन दिलाई गई है ताकि अपनी जमीन को सैटल करवा सकें। आपने उसके लिए एक्सटेंशन दी है। आदरणीय राजस्व मंत्री जी भी इस बारे में बता सकते हैं। क्योंकि आप राजस्व मंत्री हैं, आप भी लॉ के माहिर हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जो आदमी विजिलेंस के माध्यम से पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, क्या उसे एक वर्ष की

19.12.2024/1515/बी0एस0//ए0एस-2

एक्सटेंशन देनी चाहिए? मैं यह मुद्दा आपके सामने उठा रहा हूं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, चुनाव पता नहीं किसने लड़ना है, लेकिन मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसे पंगे में न पड़ें। आप पुरानी मजबूरी निभा रहे हैं। जब पहली बार आपने टिकट लिया था मैं उस पर नहीं जाना चाहता, चौधरी साहब जब प्रभारी थे और आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी अध्यक्ष थे, आपको टिकट कैसे-कैसे मिला था। वह लोन कहां-कहां से गया था और कहां-कहां पहुंचा था। इसलिए आप मुझे 2.82 करोड़ रुपये का भी हिसाब दे दें और जो प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये हुई है उसका भी हिसाब दे दें। वह कौन सा फार्मूला है, यह वह फार्मूला तो नहीं है कि हम मशीन में आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। वह किसने कहा था, इसका भी आपको पता है। अगर ऐसी कोई मशीन है तो हमें भी बता दें हम भी लेंगे।

19.12.2024/1515/बी0एस0//ए0एस-3

मुख्य मंत्री : आदरणीय सती जी, आपने भी तो लॉ की है। आप क्यों कंप्यूज हो रहे हैं। वन टाइम पॉलिसी की बात आपने की कि आपने अपने लोगों के फायदे के लिए वन टाइम पॉलिसी लाई। मैं बताना चाहता हूँ कि इसे हमने नहीं लाया है। यह पहली बात स्पष्ट हो गई। इसमें 7,267 लोगों के एन.पी.एस. सैटल हुए हैं, 207 करोड़ रुपये आए। वह कोई सतपाल राय जादा के लिए नहीं आई वह आपके समय में आई। अब आपने कहा कि एफएडेविट में पांच करोड़ रुपये है और इसमें 10 करोड़ रुपये हैं। जो चीजें हैं जैसा आप कह रहे हैं कि 2.82 करोड़ रुपये हैं, वे इंकम टैक्स में आते हैं और जब वे अपना टैक्स का फार्म भरेगा तो उसमें सब सामने आ जाएगा। आप इस चीज से क्यों चिंतित हो रहे हैं? उसने कहां से पैसा लिया है, इंकम टैक्स वाले खुद पीछे लग जाते हैं कि इसने पैसा कहां से लिया है। वे पूछते हैं कि आपकी आय के स्रोत क्या हैं? जब भी कोई अपना पैसा अपने अकाउंट से देता है, चोरी से तो दिए नहीं हैं, किसी के अकाउंट से डाले, किसने डाले, उसका टैक्स देगा। इसलिए यह जो पॉलिसी है, जो 3.15 करोड़ रुपये जो माफ हुआ है वह आर.बी.आई. की गाइड लाइन के तहत माफ हुआ है। दूसरा जो एफएडेविट की बात है, एफएडेविट की सत्यता के मामले में यह होता है कि मेरे पास यह संपत्ति है और वह विवेकपूर्ण ढंग से सोचता है कि मेरे पास यह संपत्ति है। अब उसने 5 करोड़ रुपया बढ़ाया है। इस चीज में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। आप तो खुद वकील है। आप खोजबीन करिए और कागज ले करके आ आइए। आप मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1520/डी.सी/डी.टी-1

मुख्य मंत्री जारी...

पांच करोड़ रुपये कैसे बढ़ा। उसकी कीमत पैसे में नहीं बढ़ी है उसकी कीमत काइंडज में बढ़ी है। ये बात आपको भी पता है कि उसके पास जगह है। वह एक लैंड-लार्ड है। श्री

सतपाल रायजादा जी ने जो होटल बनाया है उसकी कीमत में एसकलेशन हो सकती है। उनकी संपत्तियों की वेल्यू ज्यादा हो सकती है। आपने मुझसे पूछा की One Time Policy में आपने कितना फायदा दिया? मैंने उस बात का उत्तर आपको दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष: I am taking this discussion for winding-up. I will be allowing Hon'ble Members Shri Trilok Jamwal and Shri R.S. Bali and then Hon'ble Leader of Opposition to speak. Thereafter Hon'ble Chief Minister will reply to it.

श्री त्रिलोक जम्वाल: अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैं जो भाई रणधीर शर्मा जी ने नियम-67 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के ऊपर ये डिबेट शुरू की है मैं अपने आप को उसमें सम्मिलित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उद्योग मंत्री जी माइनिंग के ऊपर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष में एकत्रित किया। जिला बिलासपुर में रेलवे का प्रोजेक्ट बन रहा है। कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार ने भी 2 वर्ष का जश्न बिलासपुर में मनाया। अध्यक्ष महोदय आप भी उस समय बिलासपुर आये थे। जिस मैदान में आपकी सरकार का कार्यक्रम था उसके नीचे जो पिल्लर लग रहे हैं वह रेलवे के लिए पिल्लर लगाये जा रहे हैं। रेलवे लाइन का काम जोरो पर चल रहा है। लेकिन उद्योग मंत्री जी कह रहे थे कि बिलासपुर में माइनिंग के क्षेत्र में हमें फायदा हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर में सारी खड्डें बंद हैं। किसी खड्डे की ऑक्शन नहीं की गई है। बावजूद उसके वहां पर इतना बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है। इतने बड़े बजरी के पहाड़ वहां पर खड़े हैं। बोल्टर के बड़े-बड़े पहाड़ वहां खड़े हैं, तो ये सब सामग्री आई कहां से? ये कौन सी माइनिंग हैं जहां से ये सामग्री आ रही है। वह कौन सी खड्डें हैं जो आपने ऑक्शन की हैं? वह कौन से क्रशर हैं जो काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सारी माइनिंग लीगलाइज्ड तरीके से हो रही है। मैं धन्यवादी हूँ माननीय उपमुख्य मंत्री जी का जिन्होंने ऊना से

19.12.2024/1520/डी.सी/डी.टी-2

स्टेटमेंट दी थी कि लिगल माइनिंग हो रही है। पच्चास-पच्चास ट्रक चल रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रात के समय दो-दो सौ ट्रक आता है और किसी में कोई नम्बर नहीं है और ट्रकों की लाइन लगी होती है। अगर सरकार मुझे उस दिन अपने उस कार्यक्रम में बुला लेती तो मैं इन्हें कहता कि जरा उस तरफ भी नजरे इनायत कीजिए। ये इलिगल माइनिंग हो कैसे रही है? इतनी बड़ी इलिगल माइनिंग, सारे पहाड़ खोद दिए, लेकिन प्रदेश सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इससे जीता-जागता उदाहरण क्या होगा क्योंकि ये सब प्रदेश सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मैं उसका उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं। अभी आठ महीने पहले कांग्रेस के नेता बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक वह जहां बजरी इकट्ठी होती है, जहां ट्रकों की लाइन रात में लगती है, वहां आठ बजे काउंटर में बैठते हैं, कौन सा ट्रक आया उसमें कितना वेट है, ये देखते हैं। ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है? जब वहां हाथापाई हुई दो ग्रुप आपस में लड़े, जब दो ग्रुप आपस में लड़े तो पहली बार मैंने देखा कि इस छोटे झगड़े में हिमाचल प्रदेश के डी०जी०पी० अगले दिन सुबह ही वहां पहुंच गये। एक छोटे से झगड़े के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुखिया वहां पर पहुंच गये और वह भी उस बजरी के बंटवारे के लिए, उस रेत के बंटवारे के लिए बिलासपुर पहुंच गये। इतना ही नहीं वह हस्पताल में जाकर लोगों से भी मिले और उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1525/डी.सी.-एन.जी./1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी.....

यदि आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है तो माइनिंग माफिया हावी नहीं होगा तो क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, जब माइनिंग माफिया व चिट्ठा माफिया आपस में टकराए तो पहली बार बिलासपुर में सुपारी देकर लोगों को मरवाने

का षड़यंत्र रचा गया। यही कारण है कि बिलासपुर के अंदर सेशन कोर्ट के सामने और डी.सी./एस.पी. ऑफिस के सामने दिनदिहाड़े गोलियां चलाई गईं। यह सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। प्रदेश में अनाधिकृत माइनिंग व चिट्टा माफिया खुलेआम पनप रहा है। पिछले दो वर्ष में बिलासपुर में चार एस.पी. बदले गए, आखिर क्यों? पिछले दो वर्ष में आठ तहसीलदार बदले गए, आखिर क्यों? पिछले दो वर्ष में 6 बी.डी.ओ. बदले गए, आखिर क्यों?

अध्यक्ष महोदय, इन सब के पीछे क्या कारण हैं? वहां पर कोई अफसर टिक क्यों नहीं रहा है? अफसरों को रातों-रात क्यों बदला जा रहा है? मैंने कहा है कि वहां पर पूरे पहाड़ के पहाड़ लेवल कर दिए गए लेकिन प्रदेश सरकार के ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में रेत माफिया, बजरी माफिया और सुपारी माफिया भी पनप रहा है। प्रदेश में इस प्रकार का माहौल है कि यदि किसी से समझौता नहीं होगा तो उसे गोली मरवा देंगे और जिन्होंने गोली मरवाई उसे सरकार ने प्रोटेक्शन दे रखी है। इससे बड़ा माफिया राज क्या हो सकता है? पिछले कल माननीय श्री सुरेश कुमार जी कह रहे थे कि बिलासपुर में खैर माफिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पर शीघ्र जांच करवाइए। माननीय श्री राजेश धर्माणी जी, जोकि अभी माननीय मंत्री हैं, ने भी दो वर्ष पहले इस प्रकार के आरोप लगाए थे लेकिन जांच क्यों नहीं करवाई गई?

अध्यक्ष महोदय, मैं एफिडेविट के साथ आया हूं। एक नेता की पत्नी क्लास-3 कर्मचारी है और वर्ष 2015 तक उसके नाम एक भी प्रोपर्टी नहीं थी। लेकिन विधायक बनने के बाद क्या होता है, उसके बारे में बताना चाहता हूं।

19-12-2024/1525/डी.सी.-एन.जी./2

मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस और क्रप्शन दोनों पर्यायवाची हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उस नेता की पत्नी क्लास-3 कर्मचारी है और वर्ष 2015 में उसके नाम एक भी प्रोपर्टी नहीं थी। लेकिन वर्ष 2022 में उस नेता द्वारा जब दूसरा एफिडेविट दिया जाता है तब उसमें लगभग 2.55 लाख वर्ग फीट, जोकि लगभग 30 बीघा बनती है, प्रोपर्टी दर्शाई जाती है। यह प्रोपर्टीज़ एम्ज़, फोरलेन व हाइड्रो कॉलेज के आस पास की हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये प्रोपर्टीज़ कहां से आई? वर्ष 2017 के एफिडेविट में जब 10 लाख रुपये का लोन दर्शाया गया था तो आज 70 लाख रुपये एफ.डी. में कैसे जमा हो गया?

आप (सत्ता पक्ष) इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं यह सब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और यह सब एफिडेविट में लिखा हुआ है। मैं एक भी शब्द एफिडेविट से बाहर नहीं कह रहा हूँ। उनके पास 500 ग्राम से अधिक सोना भी आ जाता है। आपके कांग्रेस के महासचिव व पूर्व विधायक के पास कुल 23 बैंक अकाउंट हैं। यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनमें से किसी के पास 2 अकाउंट या किसी के पास 3 अकाउंट ही होंगे। इसके अलावा उनके पास बिलासपुर सदर के आसपास की एक भी जमीन नहीं है लेकिन एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें 5-6 जमीनें न हों। बिलासपुर तो छोड़िए मनाली के आस-पास भी जमीनें एफिडेविट में दर्शाई गई हैं। एफिडेविट में लगभग 150 बीघा भूमि दर्शाई गई है। इस एफिडेविट में यह भी लिखा है कि जितनी भी प्रोपर्टीज़ हैं वे सभी वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के मध्य एक्वायर की गई हैं। क्लास-3 कर्मचारी के पास 50-60 करोड़ से अधिक की जमीनें कैसे आ गई? यह वो रेल है जिसमें बजरी के बड़े-बड़े अम्बार लगे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह है कि इस तरफ भी अपनी नज़र दौड़ाइए। प्रदेश सरकार का ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? चंद दिनों पहले पूरे देश व प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सरकारी प्रोपर्टी, जो सरकार ने अलॉट की हुई है, के अंदर जल शक्ति विभाग का सामान रखा हुआ है। सर्किट हाऊस के अंदर जे.सी.बी. खड़ी हुई है। इस प्रकार से तो पहली बार ही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गम्भीर विषय हैं। प्रदेश सरकार सत्ता की बड़ी दुहाई देती है तथा व्यवस्था परिवर्तन की दुहाई देती है।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19.12.2024/1530/केएस/एचके/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी---

मैं एक और विषय के बारे में सरकार से जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रदेश में जो ओ.डी.आई लिस्ट है, ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी लिस्ट है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम आता है और बाद में वह नाम हट जाता है। आप उनको डायरेक्टर बना देते हैं और वह व्यक्ति डायरेक्टर पद से जब रिटायर हो गया, आपने एक और चार्जशीट उस व्यक्ति के खिलाफ दायर की कि आपने डायरेक्टर रहते हुए गलत काम किया, आपने गलत परचेज़िंग की इसलिए आपको हम चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट और सम्माननीय मुख्य मंत्री जी इतने मेहरबान हुए कि डायरेक्टर रिटायर होने के बाद अगले 15 दिन वेत किया और 15 दिन बाद उनको फिर एक्सटेंशन या री-इम्प्लॉयमेंट दे दी। जिस डिपार्टमेंट का एच.ओ.डी., इससे बड़ी करप्शन और क्या होगी, जो 33 परसेंट सैलरी पर काम कर रहा है। जिसके खिलाफ चार्जशीट आपकी सरकार ने फाइल की, रिटायरमेंट के तुरंत बाद उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात की तो यह कैसा हेल्थ डिपार्टमेंट है? मैं फीगर्ज और फैक्ट के साथ कह रहा हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है और जैसे भाई विपिन सिंह परमार जी ने कहा कि इससे बड़ा व्यवस्था पतन कोई और नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसी सरकार ने गरीब आदमी के लिए डिपुओं में राशन खरीदने की बात, राशन लेने की बात की। पहले तो राशन मिल नहीं रहा है। अगर आटा मिलता है तो चावल नहीं है। चावल मिलते हैं तो नमक नहीं है और अगर नमक मिलता है तो तेल नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर किसी ने शादी-ब्याह के लिए भी तेल ले जाना होगा तो हम प्रोवाइड करेंगे। उसका क्या हुआ? आज तेल नहीं मिल रहा है। दूसरी बार टेंडर कैंसल हो गया। जो आप गरीब को चने की दाल देना चाह रहे हैं, जो पहले 38

रुपये में मिलती थी, इस बार आप उसको 65 रुपये में दे रहे हैं। एक, दो या तीन रुपये बढ़ सकते थे लेकिन 38 से 65 रुपये होना इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई और नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, इनके मुख्य वक्ताओं ने कई विषयों का जिक्र किया, आउटसोर्स एजेंसी का जिक्र किया लेकिन उस एजेंसी का क्या हुआ? आउटसोर्स में जो लोग लग रहे थे, हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया। आपने तो कहा था कि आप उनको

19.12.2024/1530/केएस/एचके/2

रैगुलर करेंगे, उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। उसका क्या हुआ? वे लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि इस पॉलिसी को रोकिए। वह प्रदेश सरकार ने नहीं रोकी, हाई कोर्ट ने रोकी। जब एलीगेशनज़ लगे कि पर्दे के पीछे जो नई-नई कम्पनियां रजिस्टर हुई हैं, एप्वाइंटमेंट करने से पहले पैसे मांग रहे हैं। जो आपने कहा था कि एक साल में एक लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, उसका क्या हुआ? आपने आउटसोर्स लगाए और आउटसोर्स में भी आपने दलाली का रास्ता निकाला। अध्यक्ष महोदय, बीच में एक विषय आया था कि पुलिस भर्ती घोटाला या फ्लां घोटाला, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

Speaker : It is a repetition, please wind-up.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीटेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं लेकिन इस हाउस को एक बात कहना चाहता हूं कि किसकी सरकार थी जब सी.पी.एम.टी. घोटाला हुआ था? सबसे पहले डॉक्टरों के पेपर्स बेचना कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वकील था जिस समय हाई कोर्ट ने उसमें सी.बी.आई. की इन्क्वायरी इनिशिएट की थी। वह कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं की? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय उसको कंडक्ट करता था तो क्या किसी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बंद किया? क्यों नहीं किया? जो कंसर्ड लोग हैं उनको अरैस्ट किया जाना चाहिए। उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हम इस सरकार को पहले दिन ही कहते रहे, जब हिमाचल प्रदेश सर्विस सलैक्शन बोर्ड के बारे में इन्होंने कहा कि हमने बंद कर दिया क्योंकि तब बंद का बुखार चल रहा था। लेकिन दो साल आते-आते इनको समझ आ

गया कि बंद से बात नहीं बनेगी, इसको खोलना ही पड़ेगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कई काम कर रही है, मेरा एक ही अंतिम निवेदन रहेगा कि बड़ी दुहाई दी गई कि बिलासपुर में रैली हुई और ऐसी भव्य रैली हुई कि शायद इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई थी। आपने मेरे बिलासपुर में रैली की। पहले आपने उसके लिए बड़ा ग्राउंड सलैक्ट किया, आपने टैंडर किया। 5 तारीख को आपने उस बड़े ग्राउंड का टैंडर कैंसल कर दिया।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

19.12.2024/1535/av/एचके/1

श्री त्रिलोक जम्वाल---जारी

फिर ¼ हॉकी के ग्राउंड में रैली की गई। उसके लिए पूरी सरकार और इनके सारे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जिसमें 4000 से ज्यादा कुर्सियां नहीं लगती। आपने एक हजार के आस-पास बसें हायर की थीं। पूरे प्रदेश से लोगों को मोबलाईज करने का काम किया गया, आप खुद सोचो इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। आपने 1200-1500 बसों की बात की और रैली में केवल 5-6 हजार लोग आए।

मेरे बिलासपुर में बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए। इतना ही नहीं, मेरे घर के आगे भी बोर्ड लगाकर चले गए क्योंकि मेरा घर रैली स्थल के साथ ही है। उसमें लिखा था कि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रति माह दे दिया है। ये लोग पहले कहते थे परंतु अब चिपका भी दिया है। मेरा ऑफिस भी वहीं पर है और मुझे लोग पूछ रहे थे कि क्या यह सबको मिल गए। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं मिले आपको मिले होंगे, आप बताओ।
...(व्यवधान) माननीय श्री संजय रत्न जी, आपके हमीरपुर और ज्वालाजी की महिलाओं ने बोला कि 1500 रुपये तो नहीं मिले। ...(घण्टी) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और दे दीजिए। मैं केवल स्पैसिफिक प्वाइंट पर बोलना चाहता हूँ।

रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 13 करोड़ रुपये का टैण्डर किया। हमारे एफ०पी०ओज० को स्ट्रॉंग करने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी,

2020 को 10,000 एफ0पी0ओज0 को रजिस्टर करने का काम किया। उसमें हिमाचल प्रदेश में 45 रजिस्टर हुए जिसका आपने टैण्डर किया था। उस टैण्डर के माध्यम से आपने दिनांक 8 जनवरी, 2024 को उनको किसी कम्पनी को अलॉट किया। पहले तो आपने इस विषय पर आते-आते चार वर्ष लगा दिए। हमारे पास यह पैसा चार वर्षों से पड़ा था। उसके लिए केंद्र सरकार ने चार वर्षों से सैंक्शन दे रखी थी। हमारे जो एफ0पी0ओज0 बनें, उनके लिए टैण्डर हुआ और टैण्डर में कम्पनीज ने पार्टिसिपेट किया। एक कम्पनी सलैक्ट हुई परंतु जब आपके नेताओं की अण्डरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप लोगों ने उसके कैंसिलेशन का नोटिस दिया। कैंसिलेशन के नोटिस के बाद पार्टी हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सरकार की आखिर मंशा क्या है, आपको प्रत्येक टैण्डर में क्या चाहिए? मेरा इस सरकार से यह प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

19.12.2024/1535/av/एचके/2

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, बोलिए। आप क्या क्लेरीफिकेशन देना चाहते हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यहां पर अभी माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने मेरे विभाग से संबंधित 13 करोड़ रुपये के टैण्डर की बात की है। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वह टैण्डर नहीं हुआ था बल्कि वह काम बाई वे ऑफ कोटेशन दिया गया था। हमें जब उस बारे में पता चला तो हमने उसके संदर्भ में रिपोर्ट किया और उसको विजिलेंस में भेजा है। पार्टी हाई कोर्ट में स्टे लेने जरूर गई है और उस पर स्टे भी दिया है मगर वह स्टे काम रोकने के लिए नहीं दिया है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उनकी सारी पेमेंट रोक दी गई है। केस विजिलेंस में गया है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस केस को विजिलेंस से एक्सपीडाइट करवाया जाए। इसमें अधिकारी भी दोषी हैं और उनको भी सख्त-से-सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात बार-बार उठ रही है जिसको मैं क्लेरीफाई कर देता हूं ताकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी उस बात को समझ लें। ... (व्यवधान) यह क्लेरीफिकेशन आपका बोझ कम करने के लिए देनी पड़ रही है।

हमारे माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी के यहां जगह लीज पर दी गई। उस जगह को पहले उस क्षेत्र के विधायक भी चाहते थे। उस क्षेत्र के विधायक आजकल वहां विपक्ष में बैठे हैं।

टी सी द्वारा जारी

19.12.2024/1540/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

मुख्य मंत्री जारी

वहां पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एस0सी0 कोटे का एक व्यक्ति का पेट्रोल पंप निकला। उसके लिए एक व्यक्ति ने जगह के लिए अप्लाई किया। हिमाचल प्रदेश सरकार के लीज रूलज के अनुसार पेट्रोल पंप के लिए सरकार जगह दे सकती है। लेकिन उसके लिए अनुमति भारत सरकार से मिलेगी। प्रदेश सरकार सिर्फ जमीन रिकोमेंड कर सकती है और वह वन भूमि पर भी जमीन रिकोमेंड कर सकती है तथा सरकार किस के लिए जमीन का अनुमोदन कर सकती है, वह भी इन रूलज में लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि Petrol pump, Gas, Godam, SC/ST/OBC Families and other families इनको यह जगह लीज पर मिल सकती है। उस व्यक्ति ने जगह को लीज पर लेने के लिए अप्लाई किया तो उसमें क्या गुनाह कर दिया। उसमें कहां भ्रष्टाचार हुआ और अभी यह जगह मिली नहीं है, अभी सिर्फ इसका अनुमोदन किया गया है। केन्द्र में आपकी सरकार है जब तक वहां से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वह लीज उस व्यक्ति के नाम पर नहीं होगी। इसलिए किसी पर इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाना गलत बात है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सुधीर शर्मा वहां पर पेट्रोल पम्प लगाना चाहते थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उसके कागज माननीय सदन में रख दीजिए। सुधीर शर्मा ने कहा इसके लिए अप्लाई किया, कब किया और कौन-सी कंपनी के पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई किया था। अगर इसमें सच्चाई है तो आप इसको प्रदेश के सामने रखें। जहां तक वन भूमि की बात है, उसका आज भी विरोध होगा, कल भी विरोध होगा और हर मंच पर विरोध होगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आर०एस० बाली जी अपने विचार रखेंगे।

19.12.2024/1540/टी०सी०वी०/वाई०के०-2

श्री आर०एस० बाली : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी देर तक टूरिज्म के ऊपर कल और आज बहुत-सी बातें सभी सीनियर सदस्यों ने कही। यहां से बाहर भी मुझे हमारे सीनियर सदस्य प्रैस के माध्यम से सदन में आने से पहले थोड़ी जल्दबाजी में लगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत है और आप अपनी बात किसी भी मंच पर उठा सकते हैं। लेकिन नियम-67 के तहत इस माननीय सदन के सीनियर मेंबर श्री रणधीर शर्मा जी ने कल अपनी बात रखी और कहा कि भ्रष्टाचार पर चर्चा अति-अनिवार्य है तथा इसके लिए उन्होंने आपसे अनुमति भी मांगी। आपने उनसे कहा कि यहां पर चर्चा हेतु और भी बहुत-से विषय हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको सदन के विचारार्थ रखा जाना है लेकिन तब भी माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने बार-बार कहा कि भ्रष्टाचार पर बात करनी अनिवार्य है। विपक्ष के अधिकतर सदस्यों ने इस बात पर हामी भरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने आपसे आग्रह किया कि भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए आप सबको समय दें। जब चर्चा शुरू हुई तो अलग-अलग बिन्दुओं पर बात हुई। उनका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आपने कहा है कि जिन बिंदुओं पर बात हो चुकी है उन

पर बात दोबारा न की जाए। मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरे चाचा समान श्री विपिन सिंह परमार जी , वे अभी शायद पीछे गैलरी में बैठे होंगे। अगर वे भी अंदर आ जाएं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है तो उसका उत्तर देना मुझे अच्छा लगेगा। यहां पर हमारे सीनियर सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी बैठे हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी

19-12-2024/1545/एन0एस0-वाई0के0/1

श्री आर0एस0बाली -----जारी

इन्होंने कई विषयों का उल्लेख किया और मैं उन तथ्यों के ऊपर ही बातचीत करूंगा तथा अपना फोकस रखूंगा। सबसे पहले टूरिज्म की बात कही गई। माननीय रणधीर शर्मा ने उल्लेख किया कि टूरिज्म हिमाचल के लिए क्या है। वही बात श्री बिक्रम सिंह और श्री विपिन सिंह परमार जी ने भी कही। टूरिज्म के क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, यह इस सरकार की पहली सोच रही है। इसके तहत ए0डी0बी0 का प्रोजैक्ट आया जिसके अंतर्गत बहुत सी सरकारों ने काम किया और पिछली सरकार ने भी एक विशेष काम किया है। हमें जब इस प्रोजैक्ट में काम करने का मौका मिला तो हम अपना दिन-रात एक करके इस प्रोजैक्ट को लेकर आए और आज मैं माननीय सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रोजैक्ट का लोन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आज के दिन यह विशेष प्रोजैक्ट प्रदेश को मिला है जिसके अंतर्गत बड़ा काम टूरिज्म क्षेत्र में होगा। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के क्षेत्र में एक कॉर्पोरेशन है जिसके तहत लगभग 56 होटल हैं और एक बोर्ड है। कॉर्पोरेशन अपने होटल और रेस्टोरेंट चलाती है और बोर्ड टूरिज्म की एक्टिविटीज और नया निर्माण कार्य करता है। कॉर्पोरेशन में लगभग 1800 लोग काम करते हैं और समय-समय पर रिटायर भी होते हैं। कॉर्पोरेशन के पास 56 होटल हैं और 1800 लोग डॉयरेक्टली काम करते हैं। उनमें से एक शख्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे हमारे रिटायर कर्मचारी हैं और अपने

हक के लिए कोर्ट में गए। यह आज नहीं हो रहा है कि कर्मचारी कोर्ट में जा रहे हैं बल्कि पिछले पांच साल जब भाजपा की सरकार थी और माननीय जय राम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे तो बहुत से लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने पैसा मांगा। हमारी सरकार में भी वही स्थिति आई। अक्टूबर माह 2022 में माननीय जय राम ठाकुर जी मुख्यमंत्री के साथ एच0पी0टी0डी0सी0 के चेयरमैन भी रहे। इन्होंने अपनी आखिरी बी0ओ0डी0 में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसको मैं ऐतिहासिक इसलिए कहूंगा कि यह निर्णय कर्मचारियों के बेनिफिट का था। यह निर्णय इन्होंने अक्टूबर 2022 में लिया जब इलैक्शन को महज एक महीना रह गया था। अच्छी बात है निर्णय लिया गया, कर्मचारियों के बारे में सोचा गया, देर आए दुरुस्त आए पर उस एक महीने में जब चुनाव हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ कि वह निर्णय क्या था? निर्णय यह था कि रिटायर कर्मचारियों को बेनिफिट रिवाइज्ड पे स्केल के तहत

19-12-2024/1545/एन0एस0-वाई0के0/2

दिए जाएंगे। रिवाइज्ड पे स्केल, 2016 और ग्रेच्युटी का इंपैक्ट, 2018 के तहत जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं उनको उसके तहत पैसा देंगे। इन्होंने यह निर्णय अक्टूबर 2022 में लिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चुनाव से एक महीना पहले निर्णय लिया और रिवाइज्ड पे स्केल व ग्रेच्युटी का इंपैक्ट दिसम्बर में जब हमारी सरकार बनी तथा फरवरी माह में मैंने जैसे ही पद संभाला तो कोर्ट के निर्णय मेरे पास आना शुरू हुए। जितने रिटायर लोग थे वे सब कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर कहा कि हमारी बी0ओ0डी0 जिसके अध्यक्ष माननीय जय राम ठाकुर जी

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.12.2024/1550/RKS/एजी/-1

श्री आर.एस.बाली.... जारी

बतौर मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी थे। इन्होंने कहा कि जो वर्ष 2016 का पे-स्केल और ग्रेचुटी बनती है वही लाभ हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देंगे। अब कोर्ट के माध्यम से सारे कर्मचारी अपना बेनिफिट लेने के लिए आ गए हैं जिससे करोड़ों रुपये का इम्पैक्ट खड़ा हो गया है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह इम्पैक्ट तकरीबन 99 करोड़ रुपये का है। इस 99 करोड़ रुपये में से श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले पांच सालों में 29 करोड़ रुपये दे दिए हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं और कर्मचारियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे एच.पी.टी.डी.सी. का कार्यभार संभाले हुए अभी दो साल का वक्त भी नहीं हुआ है, क्या आप इस बात के लिए हमारी सराहना करेंगे कि हमने दो साल से कम वक्त में 35 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं। श्री विपिन सिंह परमार जी का भी मैं बहुत आदर करता हूं। मैं श्री रणधीर शर्मा जी की बात को भी सुनता हूं। जब नियम-67 के अंतर्गत आपने भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा लाई तो मुझे लगा कि इसमें कुछ खास चीजें सामने आएंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि यहां तो समोसे और जंगली मुर्गे की बात हो रही है तो मालूम पड़ा कि विपक्ष कितना गंभीर है। यहां पर विपक्ष द्वारा आम-आदमी के हित, मजबूरी और तड़पन की बात नहीं की जा रही है। यहां पर सबूतों और तथ्यों की बात नहीं हो रही है। यहां पर तो सिर्फ तर्क-पर-तर्क दिए जा रहे हैं। जब यह इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया तो हमने पिछले दो सालों के भीतर कर्मचारियों को 35 करोड़ रुपये वापिस किये जो आप द्वारा पिछले पांच सालों में दिए गए अमाउंट से काफी ज्यादा है। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिमाचल प्रदेश में विश्व से काफी लोग घूमने-फिरने आते हैं। मेरी पढ़ाई भी टूरिज्म मनेजमेंट के क्षेत्र में ही हुई है। मैंने अपनी बैचुलर डिग्री भी होटल मनेजमेंट में ही की है। मुझे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के लिए टूरिज्म सैक्टर कितना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश की जनता और माननीय मुख्य मंत्री ने इस क्षेत्र की जिम्मेवारी मुझे दी है। आज हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन करके काम कर रहे हैं। जब हम बेहतर कल और टूरिज्म इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं तो आपने यह बात कर दी कि भागसू और धोलाधार के टूरिज्म होटलों में ताला लग गया। मैं अपने चाचा श्री विपिन सिंह परमार जी से पूछना चाहूंगा कि आपने कौन सा ताला जाकर देखा और कौन-सा खोला?

19.12.2024/1550/RKS/एजी/-2

हमारी टूरिज्म प्रोपर्टी में एक सैकिंड के लिए भी कोई ताला नहीं लगा। श्री विपिन सिंह परमार जी आप मेरी तरफ देखिए। आपने कहा कि टूरिज्म की सम्पत्तियों को बेचने के लिए प्रोपोजल्स हुईं। श्री विपिन सिंह परमार जी कृपया आप मुझे भी बताइए कि वे कौन से लोग थे। आपको किसी ने तो उन लोगों के बारे में बताया होगा। जब न कोर्ट, न बोर्ड और न ही बी.ओ.डी. ने कहा कि कोई प्रोपर्टी बिकनी है तो फिर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। श्री रणधीर शर्मा जी पहले आप मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद आप जरूर बोलना। हमने दो बी.ओ.डी. की मीटिंग्स की है। हमने एक भी बी.ओ.डी. में यह नहीं कहा कि हमने कोई प्रोपर्टी बेचनी है। आपने पिछली सरकार के समय टूरिज्म की 6 प्रोपर्टीज को देने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे दल के 40 लोग और विपक्ष के सभी साथी इस बात को जरूर सुनें।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1555/बी0एस0/./ए.जी.-1

श्री आर.एस. बाली. जारी...

माननीय सीनियर लोग हैं, इस बात को सुनें, आप लोगों ने पिछले कार्यकाल में छह प्रॉपर्टीज को देने का काम किया है। टूरिज्म एच.पी.टी.डी.सी.की छह प्रॉपर्टीज देने का काम किया। मैं नहीं कहता कि आपने गलत किया, मैं नहीं कहता कि आपने छह wayside amenities और होटल और साथ में कुल्लू के अन्दर उसके बारे में आपको पता है। जिसको ए.डी.बी. के अंदर बहुत से पैसे से बनाया गया। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की विधान सभा क्षेत्र में एक होटल है जिसको बहुत से ए.डी.बी. के पैसे से बनाया गया है। एच.पी.टी.डी.सी. के अंदर क्लब महेंद्रा को दिया, देना पड़ा होगा। क्योंकि आज अच्छा चल रहा है और मैं कहीं भी यह नहीं कहता कि आपने गलत काम किया है। अगर आपकी ही सरकारें पूरे देश में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हरियाणा में हर जगह पर प्रॉपर्टियों को लोगों को दे रहे हैं क्या वह गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं? कृपया आप मुझे बताइए।

आपकी सरकारे वहां पर जा करके प्रॉपर्टीज को लीज पर दे रही हैं। क्या वह गलत कर रही हैं या सही कर रही, आप मुझे बताइए? आपकी सरकारें वहां पर जा करके प्रॉपर्टीज को लीज पर दे रही हैं। हमारी सरकार ने एक भी प्रॉपर्टी को बेचने की बात नहीं की है और न कोर्ट में कहा और न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, जो सुप्रीम होता है। आप तो मुख्य मंत्री रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुर: मुख्य मंत्री जी ने यह बोला है।

श्री आर.एस. बाली : मुख्य मंत्री जी ने यह तब बोला था जब प्रॉपर्टीज खुली नहीं थीं और कोर्ट ने उन्हें बंद करने के आदेश दिए थे और उन्हें लगा कि शायद ये खुलेंगी नहीं या बंद हो जाएंगी। जब इन्हें लगा कि आदेश यह हुए हैं कि प्रॉपर्टीज को बंद करने के आदेश 25 तरीख के बाद के हुए हैं।

Speaker: Please, please. No interruption please.

19.12.2024/1555/बी0एस0/./ए.जी.-2

श्री आर.एस. बाली : मैं आपको बताऊंगा, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम 15 अक्टूबर से ही चलेंगे। 15 अक्टूबर को, आदरणीय बिक्रम जी आपके पास आ रहा हूं कृपया ध्यान से सुने। आपकी बड़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए जवाब भी लंबा होगा। आपने बार-बार कहा कि हम लोगों ने गलत दस्तावेज दिए या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की या एफएडेविट गलत दिया। मैंने आपसे प्रेस के माध्यम से भी कहा कि क्या आप एफएडेविट में लिख करके देंगे कि हमने कोई एफएडेविट गलत दिया है? या कोई दस्तावेज कम दिया है, जिस तरह से कई लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया कि दस्तावेज कम दिए गए और इंकम नहीं दी गई। प्रॉफिट एंड लोस नहीं दिया गया। हमसे अपनी सारी 55 प्रॉपर्टीज का रिकार्ड मांगा गया कि तीन साल का रिकार्ड दीजिए। हमने माननीय हाइकोर्ट को 5 साल का लॉस एंड प्रोफिट का रिकार्ड दिया है। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि ये कहते रहे कि मांगा गया है, परंतु आक्यूपेंसी का ही रिकार्ड दिया गया। मांगा गया था कि आप सब कुछ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जितने होटल हैं सब होटलों का पी.एन.एल., आप तो जानते हैं कि पी.एन.एल. आखिरी चीज होती है, आपके यूनिट का। रेस्तां में जो आया, जो होटल में

आया, खाने में जो आया, बाहर को जो आया, बाहर जो फंक्शन हुआ, किसी ने स्टॉल लगाया। हर चीज का लास्ट में प्रोफिट एंड लोस की बेंलेंस शीट बनती है। हमने अपना पी.एन.एल. अकाउंट हर चीज का हर होटल का 15 अक्टूबर को एफएडेविट के साथ कोर्ट में जमा करवाया है। उसके बाद कोर्ट ने हमसे कहा कि आप तीन साल दीजिए, हमने कहा कि हम पांच साल का ऑलरेडी दे चुके हैं, शायद आप 15 अक्टूबर देखना भूल गए। आपने यह नहीं देखा कि हमने प्रिएम्ट करके पहले जमा करवा दिया। क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ गलत न हो जाए। इसलिए हमने कहा था आपने बिल्कुल ठीक रखना है। 5 नवम्बर को जो भी चीजें हम से मांगी गईं, उन्हें हमने दे दिया। 12 नवम्बर को उन्होंने कहा कि आप और चीजें दो हमने उन्हें भी दे दिया। 19 नवम्बर को फैसला आया कि आपके 18 होटल क्यों न बंद कर दिए जाएं। 20 और 21 नवम्बर को हमने तैयारी की, हिमाचल प्रदेश के एक बड़े सम्माननीय वकील आदरणीय सरवण डोगरा जी, जो पूर्व में ए.जी. रहे हैं, बार कौंसिल के अध्यक्ष रहे हैं और चैंबर के अध्यक्ष रहे हैं। उनको हमने 22 नवम्बर को वहां पर खड़ा किया। हम पहले सिंगल बेंच के पास गए, कृपया ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपको कोई डाटा चाहिए होगा, कोई भी कागज चाहिए..

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1600/ए.एस/डी.टी-1

श्री आर0एस0 बाली जारी

अगर इनको मुझसे कोई भी कागज चाहिए, मैं सभी कागज इनको देने को तैयार हूं, ये बात मैं इस सदन में कह रहा हूं। 22 नवम्बर को हमने उनसे जाकर कहा कि आप हमारे होटल खुलवाइए। हमने होटलों का सारा डेटा दिया हुआ है। होटल की annual report में loss & profit का लेख-जोखा होता है पर जो एच0पी0टी0डी0सी0 के होटल्ज हैं उन होटल्ज को loss & profit के तराजु में नहीं तोल सकते क्योंकि हमको वहां पर भी होटल्ज खोलने पड़ेंगे जहां पर कम लोग जाएंगे। मैं यहां पर एच0आर0टी0सी0 का उदाहरण देता हूं। अगर दो भी यात्री होंगे तो भी एच0आर0टी0सी0 की बस को उस रूट में चलना होगा। आज हम जिस्पा में होटल खोलने जा रहे हैं, जिस्पा से 15 किलामीटर आगे

जहां होटल खोलना है वह उस क्षेत्र का आखरी छोर है। सरकार को वहां होटल इस दृष्टि से भी खोलना है क्योंकि हम उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। काजा के अंदर जब कोई भी होटल नहीं हुआ करता था तो उस समय एच0पी0टी0डी0सी0 ने वहां पर होटल खोला था और आज वहां पर लगभग 300 होटल हैं। लोग अलग-अलग जगह पर अपनी इच्छा से ठहरते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए विपक्ष ये बात कह रहा है कि एच0पी0टी0डी0 के होटल बंद हो रहे हैं। जो आपकी भाजपा सरकार ने किया उससे अलग हम कुछ भी नहीं करने जा रहे। हम 40 के 40 कांग्रेस के विधायक इस सदन में ये कहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी सरकार के समय नहीं हुआ होगा। हम भी वही करेंगे जो आपने किया है।

श्री बिक्रम सिंह जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बात भी कही। ...(व्यवधान) मैं अब आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय बिक्रम सिंह जी जोर से बोलने से आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं हो जाएगा। ...(व्यवधान) आप अच्छा बोलते हैं पर जोर से बोलना ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ...(व्यवधान) इन्होंने मुझसे दो चीजों के बारे में पूछा है और जब ये जब इस सदन में बोल रहे थे तो इन्होंने दो बातें कहीं थीं, इन्होंने कहा था कि नगरोटा-बगवां के आस-पास 5 होटल को सरकार लीज पर देना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप कृपा करके श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी को बोलने की अनुमति दें ताकि वह उन 5 होटल के नाम हमें बताएं जिनका उल्लेख

19.12.2024/1600/ए.एस/डी.टी-2

इन्होंने किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और हिमाचल की जनता को पता लगे कि वह कौन से ऐसे 5 होटल हैं जो सरकार बंद करने जा रही है।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लोग तो आपस में ही निर्णय लेने लग पड़े। आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। He is inviting you and you are inviting him. Shri

Bikaram Singhji, let him complete, I will allow you thereafter. मैं आपको इनके बाद अलाउ करूंगा। श्री आर०एस० बाली जी आप बोलिए।

श्री आर०एस० बाली: अध्यक्ष महोदय, जिन होटल्ज की ये बात कर रहे हैं उनमें से ये एक होटल है जो शायद इनकी कल्पना में होटल है, मैंने अपनी प्रेंस कांफ्रेंस में एक बात यह भी कही थी कि कई बार आदमी बैठे-बैठे भयानक सपने भी देखता है। माता-का-बाग कांगड़ा में एक स्थान ...(व्यवधान) 31.7.2020 को माता-का-बाग, ये कांगड़ा में एक जगह बनी है,

श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1605/ए.एस.-एन.जी./1

श्री आर.एस. बाली जारी.....

और एशियन डवलपमेंट बैंक ने बनाई थी तथा मंदिर ट्रस्ट कांगड़ा को दे दी थी। मंदिर ट्रस्ट कांगड़ा के पास यह जमीन बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। वर्ष 2020 से यह बन कर तैयार है और जिस पर लगभग 8.20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें आज दिन तक ताला लगा हुआ है। इसमें बाथरूम की पाइपें तक गल चुकी हैं। यह प्रोपर्टी वर्ष 2020 में बन कर तैयार हो गई थी जिसमें इनकी (विपक्ष) सरकार ने ताला लगा कर रखा हुआ था। वहां पर कोई होटल नहीं है। उसमें केवल एक बाग बना हुआ है, फव्वारे लगे हुए हैं और कुछ दुकानें बनी हुई हैं। विपक्ष के लोग उसे होटल बोलते हैं। हमने व मुख्य मंत्री जी ने इस पर फैसला किया। यह विषय कैबिनेट में भी गया था कि जो प्रोपर्टीज़ बंद पड़ी हुई हैं और उन पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, ऐसी प्रोपर्टीज़ को दोबारा चालू किया जाए। सरकार व लोगों के करोड़ों रुपये लग चुके हैं और आज उनमें ताला लगाकर रखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, Art and Culture Village, Nagrota Bagwan, रजियाणा में है और दिनांक 31-07-2020 को यह भाषा एवं संस्कृति विभाग के पास चला गया था। इस पर

लगभग 11.80 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह डेट तो विभाग के पास जाने की है लेकिन इनके बनने की तिथियां 2-2, 3-3 साल पहले की हैं। जैसे कोई प्रोपर्टी वर्ष 2020 में विभाग के पास गई है तो वह वर्ष 2017, वर्ष 2018 या वर्ष 2019 में बन कर तैयार हो चुकी थी। यह कोई होटल नहीं है। इसमें दुकानें बनी हैं और इसमें एक बाग है जिसमें एक फाउंटेन लगा हुआ है। इसमें प्रदर्शनी आदि लगाने के लिए एक जगह बनी हुई है। इसमें कुछ डोरमेटरीज़ भी बनी हुई हैं। 11.80 करोड़ रुपये खर्च करके वर्ष 2020 से यह जगह ऐसे ही पड़ी हुई थी।

यशस्वी मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी, पूरी कैबिनेट व यहां पर बैठे 40 विधायकों के अथक प्रयासों के बाद हमारी सरकार ने इन प्रोपर्टीज़ को खुलवाने के लिए एच.पी.टी.डी.सी. को दिया है। सरकार ने हमें कहा है कि इन प्रोपर्टीज़ को चलाने के लिए किसी भी संस्था को दीजिए लेकिन इन्हें अवश्य चालू कीजिए।

19-12-2024/1605/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपके जिला चम्बा में एक Art and Culture Center, Bhalai बना है। यह सैन्टर दिनांक 31-09-2021 को लगभग 4.80 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हो गया था लेकिन इसमें भी अभी तक ताला लगा हुआ है। इसे भी पर्यटन विभाग को दिया गया और कहा गया कि इसे भी चालू करवाइए। यहां पर माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा जी बैठे हुए हैं और इनके विधान सभा क्षेत्र में लगभग 9.65 करोड़ रुपये की लागत से दिनांक 11-09-2016 को ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कार्य शुरू हुआ और दिनांक 31-08-2020 को यह बन कर तैयार हो गया था। कैबिनेट ने पहले निर्णय किया था कि इसे भी पर्यटन विभाग को दे दिया जाए लेकिन बाद में फैसला हुआ की यह वन विभाग को दे दीजिए क्योंकि वह वन विभाग की जमीन थी और उसमें ज्यादा कुछ बनाया भी नहीं जा सकता था। वह गार्डन वन विभाग के पास चला गया है और वे उस पर काम भी कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य, श्री बिक्रम ठाकुर जी से जानना चाहता हूं कि इन सभी प्रोपर्टीज़ को 3-3, 4-4 सालों से बंद रख कर आप लोग क्या कर रहे थे? आपने (श्री

बिक्रम सिंह जी की ओर देखते हुए) इनकी सुध क्यों नहीं ली?... (व्यवधान) आपने वहां जा कर इसमें लगी पाइपों को क्यों नहीं देखा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि इन्हें लगता है कि एच.पी.टी.डी.सी. ने कोई भी एफिडेविट गलत दिया है तो माननीय कोर्ट में जाकर एच.पी.टी.डी.सी. के ऊपर केस फाइल कर दें और किसी को भी पार्टी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी-अभी हर पेपर को अच्छे से चैक कर लिया है।

इस प्रकार से केवल बोल देना और लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, यह गलत बात है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीति करना, यह सही बात नहीं है। तर्क व तथ्यों के साथ बात करना ही सही होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा आई, मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत संवेदनशील हैं,

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19.12.2024/1610/केएस/डीसी/1

श्री आर0एस0 बाली जारी---

प्राकृतिक आपदा के बाद पूरा हिमाचल प्रदेश वर्ष 2023 में अस्त-व्यस्त हो गया। सड़कें टूट गईं, नदियों ने अपना रुख बदला, बारिश ने कहर ढाया और उसके बाद हिमाचल एक हो कर बाहर निकला। पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, सभी ने दिन-रात एक करके सेवा की। अपने लोगों को, सड़कों को, डंगों को, हर चीज़ को बनाने के लिए सभी ने काम किया।

उस आपदा के अंदर हिमाचल प्रदेश एच.पी.टी.डी.सी. का एक-एक कर्मचारी लगा रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सिर्फ एक डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि आखिरी सालों का है। यह जो टूरिज्म है, यह कोई आज ही नुकसान में नहीं आया है।

एच.पी.टी.डी.सी. सालों से नुकसान में है और मैं यह कहता हुआ अच्छा नहीं लगता परंतु पिछले पांच साल जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, तब भी यह नुकसान में रही। उसके लिए मैं इनकी आलोचना नहीं करता। मेरे लिए ये बड़े सम्माननीय हैं। अगर वह नुकसान में रहा तो उसके अपने कारण हैं। इन्होंने भी उसको उभारने की कोशिश की, हम भी कर रहे हैं परंतु वर्ष 2022-23 में 109 करोड़ रुपये की टर्न ओवर मतलब 100 करोड़ का आंकड़ा पहली बार पार किया गया। वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, उसके बावजूद 109 करोड़ रुपये का टर्न ओवर एच.पी.टी.डी.सी. ने किया। वर्ष 2023-24 में हमने अपना रुख नहीं बदला। हमारे एच.पी.टी.डी.सी. के कर्मचारी मेहनत करते रहे। सिर्फ उनको तब परेशानी हुई जब इतना बड़ा भ्रम फैला कि एच.पी.टी.डी.सी. के होटलों को बेचने जा रहे हैं। उनको बेचने के लिए किसी कोर्ट ने नहीं कहा। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आप नुकसान में होटल क्यों चला रहे हो? जैसे ही हम माननीय हाई कोर्ट में गए और हमने कहा कि हम इसको मुनाफे में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप हमें वक्त दीजिए। हमने 35 करोड़ रुपये दिया है और बचा हुआ 30-35 करोड़ रुपये भी हम ही देंगे, आप चिंता न करें तो माननीय हाई कोर्ट ने हमारी बात मानी और सभी 18 होटलों को विधिवत रूप से खोलने की बात की।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री आर०एस० बाली : अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कहना चाहूंगा। वर्ष 2023-24 में ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दीजिए।

19.12.2024/1610/केएस/डीसी/2

Speaker: No, Hon'ble Member Shri R.S. Bali, you please wind up.

श्री आर०एस० बाली : आप जरूर बोलिए परंतु अध्यक्ष महोदय उसके बाद मुझे भी इनका उत्तर देने दें क्योंकि अगर ये कोई गलत बात बोल देंगे तो बोलना जरूरी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कम्पलीट करिए।

श्री आर०एस० बाली : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में 105 करोड़ रुपये का एतिहासिक टर्न ओवर दोबारा से हमने किया। मुझे पता है कि यहां पर जो मुद्दे हैं, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इनकी रात-दिन की मेहनत, हम 40 लोगों की रात-दिन की मेहनत का फल है कि हम 40 लोग जीत कर आए और आज ये कहीं न कहीं इस चीज़ से परेशान हैं। जिस नेक और ईमानदार छवि पर और सभी की छवि पर आज तक छोटा सा जो दाग नहीं लगा उसके कारण 40 लोग दोबारा से जीतकर आए। हिमाचल की जनता ने दोबारा से मोहर लगाई, इनको उससे दिक्कत है। किस तरह से एक नेक मुख्य मंत्री की छवि को दोबारा से भ्रमित किया जाए, इसके लिए समोसे और जंगली मुर्गे की बात होती है। तथ्यों और तर्कों पर बात नहीं होती, सच्चाई की बात नहीं होती। अगर कोई आदमी यहां पर सभा पटल पर कोई बात करता है, अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि एफिडेविट पर लिखकर भी अपनी बात दें और जो-जो बातें मैंने कही हैं, मुझसे बार-बार बिक्रम सिंह जी ने पूछा कि क्या कोई एफिडेविट गलत दिया है, मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि आप कोर्ट में जाएं और सिर्फ इतना करें कि कोर्ट को आप यह कहें कि ये दो एफिडेविट हैं, जो दिए हैं। हमने जो कोई भी एफिडेविट कोर्ट के अंदर दिया है, वह जितने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर या कॉर्पोरेशन के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, सभी ने साइन करके दिए हैं और मैं आखिर में कोर्ट का अटैस्टिड एफिडेविट आपके लिए लाया हूं। (माननीय सदन को पेपर्स दिखाते हुए) सिर्फ आपके लिए तोहफ़ा लाया हूं। 15 अक्टूबर का यह अटैस्टिड एफिडेविट मैंने कोर्ट से निकलवाया है ताकि आपको पता लग जाए कि हमने सारी की सारी पी.एन.एल. की शीट कोर्ट में जमा करवाई है और कोर्ट के अंदर हमने सिर्फ ऑक्युपेंसी नहीं दी, सारे होटलों का प्रोफिट एण्ड लॉस का लेखा-जोखा जो कि एक आखिरी अकाउंट होता है, वह भी हमने कोर्ट में दिया है। मैं चाहूंगा कि अगली बार से अगर कोई भी बात करें तो तथ्यों पर करें। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अ०व० की बारी में---

19.12.2024/1615/av/डीसी/1

Speaker: Hon'ble Member Shri R.S. Bali, after your speech kindly lay all these papers on the Table of this House. ...(Interruption) It is part of the record now.

(Hon'ble Member Shri R.S. Bali laid the papers on the Table of the House.)

श्री आर० एस० बाली : मैंने रिकॉर्ड पर दे दिया है। आप आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। परंतु मैं यह भी चाहूंगा कि इन्होंने जो बातें कही हैं उसका उत्तर देने के लिए मुझे आप कल वक्त जरूर दें। धन्यवाद।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आर०एस० बाली ने पर्सनल कुछ नहीं बोला (माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह और श्री रणधीर शर्मा जी द्वारा कुछ कहने के लिए अनुमति मांगने पर कहा)। He has not said anything personal. Whatever allegations you (Members of Opposition) have made against him, he has replied to those allegations only. ...(Interruption). Let the Hon'ble Leader of Opposition supplement those things. ...(Interruption). We have to conclude this discussion. ...(Interruption) I am not permitting anybody. ...(Interruption) Nothing will go on record. The cross talk between Hon'ble Members Shri Bikram Singh and Shri R.S. Bali will not go on the record. ...(Interruption). Nothing will go on record. ...(Interruption). दो मिनट आपने बोलना और फिर तीन मिनट इन्होंने क्लेरीफिकेशन देनी। ...(व्यवधान) माननीय श्री रणधीर शर्मा जी, केवल एक मिनट में बोलिए what clarification you want to have.

19.12.2024/1615/av/डीसी/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जोर से बोलने से झूठ सच नहीं होता और चिल्लाने से कमियां नहीं छिपती। मैं श्री आर०एस० बाली जी से पूछना चाहता हूं कि मामला अदालत में था। आपके ही विभाग ने जो होटल घाटे में बताए उनमें चायल पैलेस, गीतांजलि डलहौजी, धौलाधार, कुणाल, कश्मीर हाउस, देवदार खजियार, लॉग हट मनाली, कुंजम मनाली इत्यादि होटल्स आते हैं। प्राइम प्लेसिज के होटल्स को आपका विभाग कोर्ट में एफिडेविट देकर कहता है कि ये घाटे में हैं। इस पर शक पैदा होगा या नहीं होगा? नम्बर दो, दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने आपको कहा कि ये 18 होटल्स जिनको आप घाटे में बता रहे हैं, आप हमें कंक्रीट बताइए कि आप इनको फायदे में कैसे लाएंगे। यह इनसे पूछा है जोकि ऑन रिकॉर्ड है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट की कॉपी है। दिनांक 19 नवम्बर, 2024 तक जब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हम इन 18 होटल्स को कैसे लाभ में लाएंगे तो हाई कोर्ट ने इन 18 होटल्स को बंद करने का निर्णय दिया। क्या यहां पर शक पैदा नहीं होता कि आपके अधिकारियों ने जानबूझकर ये सब किया था। हालांकि सरकार ने एक अधिकारी की नियुक्ति भी की परंतु उसकी जानकारी भी हाई कोर्ट में नहीं दी गई। उस बात को छिपाया गया। उसके पीछे कारण यही था कि आप प्राइम प्लेसिज के होटल्स को निजी हाथों में देना चाहते थे। इस बात की पुष्टि भी होती है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'द ट्रिब्यून' को इंटरव्यू दिया। इनसे वहां एडिटर ने पूछा कि इस निर्णय के बारे में आपका क्या कहना है तो इन्होंने कहा कि हां, कई बार जो निर्णय हम प्रशासनिक तौर पर नहीं ले पाते उसको न्यायपालिका ले लेती है। यह मुख्य मंत्री जी का वीडियो है। इसका मतलब न्यायपालिका का इस प्रकार का निर्णय इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने प्रयास नहीं किए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा गया कि ये जो घाटे के होटल हैं क्या आप इनको निजी हाथों में देंगे?

टी सी द्वारा जारी

19.12.2024/1620/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री रणधीर शर्मा जारी

मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हां, इन होटल्स को निजी हाथों में दिया जाएगा। इस बारे में हम कह रहे हैं कि सरकार इन प्रॉपर्टीज को बेचना चाहती है तो हम कहां गलत हैं? आप मुख्य मंत्री जी से पूछिए कि इन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया। आप अपने अधिकारियों से पूछिए कि उन्होंने 17 सितम्बर से 19 नवम्बर तक ऐसा क्यों नहीं बताया कि हम इन होटल्स को कैसे फायदे में लाएंगे? आपने इसकी सच्चाई क्यों छुपाई? ...(व्यवधान) देखिए मैं तो तथ्य पर बात करता हूं, आप पर्दे के पीछे क्या-क्या करते हैं, वह आप जानो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब श्री जय राम ठाकुर जी अपने विचार रखेंगे।

19.12.2024/1620/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा तो नियम-67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के बारे में जो बातें सामने आई हैं, उस पर है। लेकिन मैं इस बात को लेकर थोड़ा हैरान भी हूं कि चर्चा उस विषय में स्पेसिफिक होनी चाहिए थी। परंतु बीच में आपने कुछ और विषयों के लिए भी समय दिया, वह आपके अधिकार में है और मैं उसमें प्रवेश नहीं करना चाहता हूं। लेकिन माननीय सदस्य श्री बाली जी ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, वह एक तरह से अनावश्यक था। वे 35 मिनट तक किसी एक डिपार्टमेंट के बारे में बोलते रहे। हमारा रेज्योल्यूशन नियम-67 के अंतर्गत है और स्पेसिफिक है कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार के दो साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप चर्चा में हैं, उन पर यह सदन चर्चा करे। लेकिन जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातों पर हैरानी भी होती है। मैं समझता हूं कि जो नहीं होना चाहिए था वह हो रहा है, इसलिए पीड़ा भी होती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा हुआ और जश्न मनाने का फैसला लिया गया। उस फैसले से कांग्रेस के बहुत-सारे नेता सहमत नहीं थे। हमें मालूम

नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को जाहिर किया है। लेकिन जश्न मनाने का फैसला लिया गया और आज यह परिस्थिति बन गई है कि जो फैसला मुख्य मंत्री जी लेते हैं उस फैसले पर कोई अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उनका फैसला सही है या गलत है उस पर चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक नहीं अनेकों लोग हमसे कहते हैं। आप जश्न मनाएं लेकिन उसके बावजूद अपनी पार्टी की अध्यक्ष को तो बख्श देते। आपने उनको भी वहां पर बोलने से रोक दिया। खैर वह आपका अंदरूनी मामला है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। यहां पर मेरे साथियों ने बहुत-सी बातों का विस्तार से जिक्र किया है, मैं उन पर कुछ और कहना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर लोगों का भरोसा होता है और सरकार का जो नेतृत्व करता है उस पर लोगों का भरोसा होना भी चाहिए, मूल बात यह है। सरकार की विश्वसीनयता समाप्त हो गई, सरकार पर भरोसा समाप्त हो गया और नेता पर भरोसा समाप्त होने से बड़ा कोई दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बाद स्थिति को संभालना बहुत कठिन होता है। यह स्थिति वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की है। हमें दो साल के कार्यकाल पर उचित लगा,

एन0एस0 द्वारा जारी

19-12-2024/1625/एन0एस0-एच0के0/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

हम विपक्ष में हैं और हम सरकार नहीं चला रहे हैं लेकिन सरकार ठीक चले, यह काम हमारा है। अगर मुख्यमंत्री जी का जिम्मा है कि सरकार ठीक चले तो विपक्ष की भी एक भूमिका है कि सरकार ठीक तरह से चले। ठीक तरह से चलने का मतलब ठीक काम करे, जनहित में काम करे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाए तथा गलत नीतियां न बनाए। इन सबकी जिम्मेदारी हमारी भी है। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बात को लेकर परेशानी होती है कि ये बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। आपके हिसाब से हम ठीक हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपने तय कर दिया कि जो हम बोल रहे हैं वह प्रदेश हित में नहीं है और जो आप कर रहे हैं वही प्रदेश हित में है। मैं कहना चाहता हूं कि यही सोचने की सबसे

बड़ी गलती है और इसी गलती को दुरुस्त करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय के समक्ष कच्चे चिट्ठे के माध्यम से रखी। आप लोग चार्ज शीट बनाते थे और हमने उसका नाम चार्ज शीट नहीं रखा बल्कि उसका नाम कच्चा चिट्ठा रखा है। कच्चे चिट्ठे का मतलब है कि अभी पक्का चिट्ठा आएगा। हम अभी फिलहाल आपको अलर्ट कर रहे हैं कि सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हमने कच्चा चिट्ठा राज्यपाल महोदय के पास रखा तो खलबली मच गई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हर कुछ कहा कि देखो, हमने कहा था कि आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आरोप झूठे हों, सच्चे हों बस लगाओ। कुछ हद तक इस दिशा में काम भी शुरू हो गया कि कुछ गुमनाम पत्र लिखिए, किसी नेता के खिलाफ लिखें और किसी अधिकारी के खिलाफ लिखें ताकि हम उसकी जांच के लिए आगे बढ़ करके इसका जवाब दे सकें। मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। ये बातें आपकी तरफ से आ रही हैं। मैं इस बात को जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। आने वाले समय में ऐसा दौर आने वाला है जब कुछ चिट्ठियां निकलेंगी और उन चिट्ठियों के नाम पर आप बातें करते रहेंगे। आप हमारे खिलाफ, हमारे नेताओं व पार्टी के खिलाफ और कुछ अधिकारियों के खिलाफ बातें करते रहेंगे। मेहरबानी कीजिए और इन सारे विषयों को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की अगर बात कही है तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आप विपक्ष में थे तो आपने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि

19-12-2024/1625/एन0एस0-एच0के0/2

यह उचित नहीं है। आपने जो कहा उसकी चिट्ठी पी0एम0ओ0 में गई। पी0एम0ओ0 से आदेश हुए कि कार्रवाई की जाए। उनके नाम पर फ्लैट अलॉट हुआ है। आपने उस समय बहुत सी बातें कही हैं और वह वीडियो आज भी सोशल मीडिया में बहुत आती है। उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी कि वह अधिकारी जिस दायित्व पर था उनको उस दायित्व से मुक्त किया गया और ऐसा हमने किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आज क्या वजह है कि वही अधिकारी आपकी सरकार का संचालन कर रहे हैं। हम इसका जवाब चाहते हैं और विपक्ष के नाते हमें यह जानने का अधिकार है। यह आरोप किसी और ने लगाया होता

तो समझ में आता। आरोप आपके लफ्जों से है और ये आपके मुंह से निकले हुए शब्द हैं। वह वीडियो आज भी रिकॉर्डिड है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वे आपके चीफ एडवाइजर हैं। आपने उनको एक या दो वर्षों के लिए एक्सटेंशन दी और आपके कार्यकाल में पूरे समय तक आपके साथ रहेंगे तथा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं और आपको कुछ फैसले लेने होंगे।

आर०के०एस० द्वारा -----जारी

19.12.2024/1630/RKS/वाई.क/-1

श्री जय राम ठाकुर... जारी

हमने भी अपने समय में फैसले लिए हैं। सीधी बात यह है कि फैसले लेने के लिए आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। हमने अधिकारियों के बारे में फैसले लिए हैं लेकिन क्या वजह है कि जो अधिकारी चारों ओर से घिरे पड़े हैं आप उनको इधर से उधर नहीं कर पा रहे हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश यह प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी वजह क्या है? जब आप वजह नहीं बता पाते तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है। फिर उस प्रश्न का उत्तर लोग चौक-चुराहे पर चर्चा करके देते हैं। आप हमेशा कुछ तथ्यों को गलत पेश करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे छोटे भाई श्री आर.एस.बाली जी टूरिज्म सैक्टर के विषय में कुछ बात कह रहे थे। हमने इनकी बात को धैर्य से सुना है। आज की तारीख में इस विषय पर चर्चा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि यह विषय अलग है। अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दे दी और हमने विषय को सुना। श्री रणधीर शर्मा जी ने जो विषय उठाया है उसका आपने क्या जवाब दिया है? जब आपने कोर्ट में एफेडेविट दिया कि टूरिज्म के 18 यूनिट्स घाटे में चल रहे हैं तो उसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि ये यूनिट्स लोस में हैं तो आप इन्हें बंद कीजिए। अगर इसकी एवज़ में विपक्ष वाले शोर नहीं डालते तो आप कोर्ट का हवाला देकर इन युनिट्स को प्राइवेट सैक्टर में दे देते। आपने जो इन युनिट्स को प्राइवेट लोगों को देने का रास्ता तलाशा था वह विपक्ष के शोर

से अवरुद्ध हुआ है। हमारे कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ए.डी.बी. के तहत दो यूनिट्स स्वीकृत हुए। इन प्रोजेक्ट्स के एम.ओ.यू. में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि ये प्रोजेक्ट्स पी.पी.पी. मोड पर चलाए जाएंगे। हमने एच.पी.टी.डी.सी. के कार्यशील होटल्स किसी को नहीं दिए और आपको इस बात को समझने की काफी आवश्यकता है। हम हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से ए.डी.बी. के 2300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवा कर लाए थे। पूरे देश में हिमाचल एक मात्र राज्य था जहां ए.डी.बी. के तहत 2300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ। क्योंकि उस समय कोविड के कारण ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट स्वीकृत करने में रोक लगा दी गई थी। हम प्रधान मंत्री महोदय और वित्त मंत्री जी से इस प्रोजेक्ट को लड़ कर लाने में सफल हुए। आज आप उस ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट को स्थापित करने जा रहे हैं। हमें जानकारियां मिलती रहती हैं कि पार्टिकुलर 100 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर में कंडिशनज इंसर्ट की जानी है वे सारी

19.12.2024/1630/RKS/वाई.क/-2

बातें पहले तय हो रही है। क्योंकि कुछ लोग पहले ही निर्धारित हो रहे हैं कि यह काम इन्हीं को देना है और उसी के मुताबिक ये कंडिशनज इंसर्ट की जा रही हैं। यह हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है। आज यह काम चल रहा है कि टेंडर किस के मुताबिक तय करना है। हमने इस ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से पैसा लाया था।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1635/बी0एस0// वाई के-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

उसमें क्या होगा, उसमें आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में आज कि तारीख में चीजें चल रही हैं, इस बात को ले करके मेरा सीधा आरोप है। मुख्य मंत्री जी अभी भी वक्त है जो टेंडर की कंडीशन उसमें व्यक्ति के मुताबिक लगाने की बातें चल रही हैं उन चीजों को रोकने की आवश्यकता है और पारदर्शिता के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट्स जो आप अलग-अलग जगह

प्रोजेक्ट्स सेंक्शन कर रहे हैं। उसमें यह प्रक्रिया अंदर घुस करके, ये लोग अंदर घुस जाते हैं मुझे मालूम है और उनके तरीके और रास्ते बहुत मजबूत होते हैं। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं और पर्यटन के सिलसिले में भी मैंने बात कही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने इंटरव्यू में एक बात कही और यह द ट्रब्यून में था, ताजा-ताजा यह फैसला आया था और उस फैसले के मुताबिक यह पूछा गया कि आप यह जो होटल लॉस मेकिंग हैं और जो यूनिट्स लॉस मेकिंग हैं क्या आप इन्हें प्राइवेट सैक्टर में देंगे? तो मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कई बार, जो हकीकत और सच्चाई है वह जुबान पर आ ही जाती है और यह सच्चाई है। मुख्य मंत्री जी ने ऑन केमरा कहा है कि कुछ फैसले हम एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं ले पाते हैं वह फैसले कई बार कोर्ट से आते हैं। दूसरी बात यह भी कही कि जो होटल लॉस मेकिंग हैं, जो यूनिट्स लॉस मेकिंग है उन लॉस मेकिंग यूनिट्स को हम प्राइवेट सैक्टर में देने की सोच रहे हैं। सरकार कह रही है, इसका अर्थ सीधा-सीधा है जिसका हम जिक्र करते हैं कि हिमाचल ऑन सेला यह बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है और इसका एक उदाहरण हमारे पास है। मैं इस बात से इतिफाक रखता हूं कि यदि ये लॉस मेकिंग हैं तो खुला स्वीकार करिए कि ये लॉस में जा रहे हैं। इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा। आप खुला फैसला लीजिए। ये रास्ते तलास करके और घूम फिर करके, यह उचित नहीं है। इस बात को ले करके मैं बड़ा साफ कर रहा हूं। उसके बाद जो आपके 9 होटलों में रोक लग गई और उसमें कोर्ट का फैसला आपने अपनेपक्ष में किया है, यह तो दो एफएडेविट आप देते हैं, वही आपने आप में एक तमाशा है। अखिरकार सरकार क्यों गंभीरता से सोचती नहीं है? मैं समझता हूं कि अब तो आपकी 19.12.2024/1635/बी0एस0// वाई के-1

19.12.2024/1635/बी0एस0// वाई के-2

सरकार का दो साल का कार्यकाल हो गया है, पूर्व में जो विपक्ष के नेता रहे हैं वे भी उप मुख्य मंत्री हैं और अनुभव भी काफी है। जब निर्णय आप अपरिपक्व तरीके से लेते हैं मेच्योरिटी के साथ नहीं लेते हैं और दोष फिर हमें देते हैं, हर बात को ले करके कि यह बीजेपी ने किया बीजेपी ने किया। बीजेजी ने क्या किया? नोटिफिकेशन सरकार की होती

है, नोटिफिकेशन होने के बाद उनको सही करने के लिए फिर से नोटिफिकेशन होती हैं, क्या हम कसूरवार है? यह जो भी फैसले आप लेते हैं उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और अधिकारी यह सब क्यों कर रहे हैं। अधिकारियों के स्तर पर तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि फिर भी यह हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो चीजों के बारे में विशेष तौर से कहना चाहता हूँ। मामला पुराना था और हम कोर्ट में लड़ते रहे और जजमेंट आपके वक्त में आई तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका दोष हमारे सिर पर मढ़ा जाए। आप श्रेय लेने के लिए तो कई सौ किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं कि यह हमने किया है। फोरेस्ट क्लीयरेंस का मामला था, उसे ले करके हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1640/ए.जी/डी.टी-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

इस पर फैसला आपके समय में आया। इस फैसले से पूर्व ये एक ऐसा कोर्ट का ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था जिसमें आदेश दिए गये थे कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी कार्य के लिए फोरेस्ट की क्लीयरेंस के लिए उच्चतम न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता है। उस फैसले के विरुद्ध हम फिर उच्चतम न्यायालय में गये लेकिन फैसला आपके समय में आया और जब वह फैसला आया तो आपकी सरकार ने ढोल-नगाड़ों के साथ ये कहा कि ये कार्य तो हमने किया। ये काम आपने नहीं किया, ये फैसला तो उच्चतम न्यायालय का था। इस मामले में आपकी जो मंशा है वही मंशा हमारी भी थी। लेकिन इस तरह कि अगर कोई बात आती है तो आपको उसकी भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। 13 जनवरी, 2023 को फैसला आने के बाद आप डबल बेंच में अपील करते, क्योंकि आपके पास इस मामले से संबंधित ऑपशन्ज थीं क्योंकि उस कंपनी ने कहा था कि हम बिना इंटरस्ट के भी पैसा लेने को तैयार हैं। जब बात एग्जीक्यूशन की आई तब इस प्रकार का फैसला आया और उस फैसले में हिमाचल भवन को अटैच कर दिया गया, इसके लिए हम कहां से दोषी हो गये? मुझे ये लगता है कि इन सारी बातों के बारे में अब सोचने की आवश्यकता है। मैं एक बात और

कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी कई जगह उस बात का जिक्र करते रहते हैं और वह बात अडाणी के प्रोजेक्ट के बारे में। यह मसला भी उसी तरह का ही है क्योंकि उसका भी पैसा फंसा हुआ है। अडाणी वाले मामले में मैं सरकार की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि जब ये सब हुआ उस समय आपकी ही सरकार प्रदेश में थी। सरकार जब अपने पांच साल के कार्यकाल के अंतिम दौर पर पहुंची तो उस समय केबिनेट में फैसला लिया गया था और वह फैसला ये था कि अडाणी को 280 करोड़ रुपये दे दिए जाएं। उसके बाद चुनावों की नोटिफिकेशन हो गई और आदर्श अचार संहिता के दौरान, जब वोटिंग भी हो चुकी थी, इसके बावजूद भी केबिनेट में फिर फैसला लिया गया और ये बात ऑन रिकार्ड भी है और उस केबिनेट की बैठक में पुराने फैसले को निरस्त कर दिया गया। इस बात का आधार वही फैसला बना क्योंकि कोर्ट ने इसी प्वाइंट को पकड़ा। इसके बाद इस मामले में सिंगल बेंच के द्वारा फैसला दे दिया गया था कि ये पैसा दे दिया जाये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी

19.12.2024/1640/ए.जी/डी.टी-2

की सरकार ने केबिनेट में इस विषय पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद फैसला लिया कि सरकार को इसके विरुद्ध डबल बेंच में जाना चाहिए क्योंकि 280 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश नहीं देगा। ये फैसला हमारी सरकार ने लिया था कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का फैसला आपकी सरकार के समय में आया और आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमने किया है। हमने इस मामले में इनिशेटिव लिया था। हम इस मामले को कोर्ट में लेकर गये। मेरा कहने का अर्थ है कि आप हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं उन आरोपों का उत्तर देना भी हमारा दायित्व है। मैं इस मामले में सिर्फ सच्चाई ही इस सदन में रख रहा था। एच0पी0पी0सी0एल0 का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में काफी बातें इस माननीय सदन में हुई हैं। हमने इस संबंध में जो डोक्यूमेंट सरकार को दिया है उसमें भी इस बारे में जिक्र किया गया है। आपने मलवे की मात्रा भी 1 लाख 74 हजार क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 3 लाख 74 हजार क्यूबिक मीटर कर दी है,

और ये एक बहुत गलतरिंग उदाहरण है क्योंकि आप उस कंपनी पर मेहरबानी पर मेहरबानी करते रहे। ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर वजह है और सीधा-सीधा मिट्टी के नाम पर यह पैसा दिया जा रहा है जबकि मालूम है कि उसका कैलकुलेशन करना भी कठीन है, उसको वेल्यूएट करना भी कठीन है और इसमें जो सारा गोलमाल हो रहा है,

श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1645/ए.जी.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर जारी.....

यह गम्भीर आरोप है और इसलिए जो पत्र घूमा था तथा उस पत्र के घूमने की वजह से मुख्य मंत्री कार्यालय को जो गम्भीरता दिखानी चाहिए थी, वह नहीं दिखाई गई। यह आरोप आज भी जस का तस है और यह बहुत गम्भीर आरोप है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजों को लेकर अपनी-अपनी बात कही है। मैं देख रहा था कि शिक्षा विभाग में आपने स्मार्ट क्लासिज़ के लिए जहां पर एल.ई.डी. लगनी चाहिए थी वहां पर आपकी सरकार ने प्रोजैक्टर्स लगाने के फैसले किए हैं। प्रोजैक्टर तो अब आऊटडेटेड तकनीक हो चुकी है। इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं? यह 68 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। इस प्रोजैक्ट के लिए कम्पनी की ओर से मुख्य मंत्री जी और विभाग को एक प्रस्तुति भी दी गई थी। मैं इस बात को लेकर थोड़ा हैरान हूं कि इस काम को दो भागों में किया गया। कुछ काम एक कम्पनी को दिया गया और कुछ काम दूसरी कम्पनी को दिया गया। सैमसंग और डैल जैसी कम्पनियां को नज़रअंदाज़ करके आपकी सरकार ने किसी क्यान नाम की कम्पनी को काम दे दिया। इस सारे मामले को लेकर आपकी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है क्योंकि बीच में कुछ लोग शामिल थे और उन लोगों के कारण इस काम को दो भागों में बांटा गया। यह बहुत गम्भीर आरोप है। जो प्रोजैक्टर बेस्ड डिवाइज़ क्यान कम्पनी ने दिया है वह इतना बेसिक है कि उसकी

मार्किट प्राइस लगभग 40 हजार रुपये है। इस सारे मामले में आपकी सरकार फैसला लेती है और इसमें बीच के करोड़ों रुपये के लेनदेन का गम्भीर आरोप लगाया गया है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस सारे मामले में व्यक्तिगत रूप से देखें कि बीच में लाइज़निंग करने वाले कौन-कौन लोग शामिल थे? इस प्रोजैक्ट का बजट 55 करोड़ रुपये था लेकिन इसकी कॉस्ट 68 करोड़ रुपये आई है।

19-12-2024/1645/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में टैबलेट देने के मामले में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। इसके लिए लगभग 17300 टैब्लेट्स खरीदे गए हैं। इसमें भी सरकार ने एक नई कम्पनी को काम दिया है। जबकि इसके लिए एल.जी. व सैमसंग का रेट काँट्रैक्ट बना हुआ है। लेकिन ऑनफिनिटी सोल्यूशन करके इसमें डेटा मिनी व विस्टैल कम्पनी को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें भी कुछ लोगों ने बीच में आकर कम्पनियों के साथ लायज़निंग करके गड़बड़ की है। इसमें भी पैसे का लेनदेन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। यह भी गम्भीर आरोप है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यदि जमीन के घोटालों की बात करें, यहां पर श्री अजय कुमार व श्री राजेन्द्र राणा आदि व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं और इनके बारे में मुझ से पहले के वक्ताओं ने कह दिया है, इस मामले में 6.72 करोड़ रुपये की इंक्रीज हुई है जोकि 400 प्रतिशत की बढ़ौतरी है। यह बैसेफिट उन लोगों को दिया गया है

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19.12.2024/1650/केएस/एचके/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक विषय और है खासतौर पर ये जो एक्साइज़ का ज़िक्र करते हैं, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। रेवन्यू जनरेट कर रहे हैं तो अच्छा है। आपको उससे ज्यादा लाभ होगा और निश्चित रूप से सरकार चलाने में मदद मिलेगी लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ और आप हमारे साथ उस दौर को कैसे कम्पेयर कर रहे हैं जब दो साल कोविड के दौरान दुनिया तबाह हो गई थी, जब ठेके बंद कर दिए गए थे? किसी भी स्टेट में एक्साइज़ के मसले को ले उस वक्त की तुलना की ही नहीं जा सकती। उसके बावजूद भी जो एक इन्क्रीज़ की जा सकती थी, हमने करने की कोशिश की लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि छोटे लोगों को काम करने के अवसर, छोटे लोगों को उसमें रोज़गार और एश्योर्ड रेवन्यू जो निर्धारित था, वह हमको प्राप्त हुआ। हमने उससे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही हासिल किया जबकि वर्तमान में आप जितने क्लेम कर रहे हैं, वह हकीकत नहीं है। अगर आप डिटेल में जाएंगे, मेरे पास भी आंकड़े हैं, मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि उन सारी चीजों के बारे में पहले ही विस्तार से बोल चुके हैं। पहले साल हमने भी ऑक्शन की और इन्क्रीज़ आई। दूसरे साल के बाद कोविड का दौर आया और दो साल कोविड में चले गए और ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी नहीं बन पाई क्योंकि जितने भी ठेकेदार थे उनको भी लॉसिज़ हुए। स्टेट को तो लॉस हुआ ही लेकिन सारी इकोनॉमी कोविड के कारण तबाह हो गई थी इस कारण उसकी तुलना नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य वाइंड अप करें।

19.12.2024/1650/केएस/एचके/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ, खासतौर पर जो हमारे बंजार के माननीय विधायक ने बात कही थी कि पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट में जो 14 करोड़ रुपये का मलबा उठाया गया वह मलबा वहीं का वहीं है लेकिन बिल पास हो गए। यह गम्भीर विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र में भी इस बारे में देखना पड़ेगा। करोड़ों रुपयों के टेंडर लग गए, जे.सी.बी. चली या नहीं चली, सड़क खुली या न खुली, मलबा वहीं का वहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठेकेदारों को पेमेंट हो गई है। इससे आगे के भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूँ, अध्यक्ष महोदय, यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो ठेकेदार बने हैं जो आज की तारीख में मुख्य मंत्री जी के इर्द-गिर्द खड़े होते हैं जब ये भाषण देते हैं तो एक इस तरफ और एक उस तरफ खड़ा होता है और मुझे मालूम नहीं क्यों खड़े होते हैं? शायद आपकी रक्षा-सुरक्षा के लिए खड़े होते होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो टेंडर हुए थे, टेंडर के बाद जिनको अवार्ड हुए, अवार्ड होने के बाद उन्होंने काम कर दिया, काम करने के बाद उनकी पेमेंट अभी तक रुकी पड़ी है लेकिन जो कांग्रेस के ठेकेदार हैं, आज ठेका लेते हैं, ठेका पूरा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता लेकिन उनकी पेमेंट हो रही है। एक नेता तो ऐसे हैं, मैं अपने ही विधान सभा क्षेत्र की बात करूँगा, वह हमारे पार्टी के लोगों को, जिन्होंने काम किया है, उनको बोलते हैं कि तुम क्यों फंसे हो, इधर आ जाओ। यह बोलते हैं वह तो समझ आता है लेकिन इससे आगे बढ़कर ओर बोलते हैं कि आपकी कितने रुपये की पेमेंट है? जब कोई कहता है कि हमारी 20 लाख रुपये की पेमेंट पेंडिंग है तो कहते हैं कि इसमें से इतना हमको दे दीजिए, आपकी पेमेंट करवा देंगे। यह गम्भीर आरोप हैं और मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम नाम के साथ भी कुछ लोगों का ज़िक्र करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अगर त्रासदी का ज़िक्र करें, अच्छा फैसला लिया आपने लेकिन क्या यह सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में जिनके घर तबाह हुए, उनको ही पैसा मिला? मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में, मैं आपको लिखकर नाम दे दूँगा, कांग्रेस पार्टी का पुराना नेता है,

उसका घर सलामत है लेकिन उसके खाते में घर बर्बाद होने के, बाढ़ में बहने के कारण इंस्टॉलमेंट पहुंच चुकी है। किसी ने उस सम्बन्ध में आर.टी.आई. में इन्फोर्मेशन ली है। मैं आपको नाम सहित बता दूंगा।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी--

19.12.2024/1655/av/एस/1

श्री जय राम ठाकुर---- जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ, उसमें ब्यास नदी में रातों-रात मलबा उठाने के लिए कौन लोग लगे थे? वहां पर रात को फ्लड लाइट्स लगाकर मलबा उठाकर ले गए, कहां ले गए, किसको दे गए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बारे में जब शोर पड़ा तो बाद में उसको बंद करने की कोशिश की गई। ऐसा एक उदाहरण नहीं है बल्कि अनेकों उदाहरण हैं।

मैंने हिमाचल के इतिहास में पहली बार सुना कि डायरेक्टर हैल्थ सर्विसिज ऐसे व्यक्ति लगा दिए हैं जो ओ०डी०आई० में हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद नौकरी दी गई। यह बहुत ही अनफोर्चुनेट है। आप इस प्रकार से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हमें इस बारे में भी जानकारी चाहिए।

बैंक घोटाले के बारे में मैं केवल इतना ही पूछना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग जिनकी जमीन गिरवी रखने के कगार पर थी और घर गिर गया था, उनको लाभ मिला क्या? एक नेता को ओ०टी०एस० का लाभ मिल गया और आप कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक मिला। परंतु ओ०टी०एस० तो मूल रूप से उन लोगों के लिए होती है जो लोग गरीब हैं और लोन वापिस करने की स्थिति में नहीं होते। उनका घर व जमीन गिरवी हो जाता है और वे सड़कों पर आने की स्थिति में होते हैं। क्या हमारे उस नेता का परिवार भी सड़कों पर आने की स्थिति में आ गया था। यहां चर्चा तो तब होती है जब इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण तो ऐसे होने चाहिए कि आपने किसी गरीब आदमी को ओ०टी०एस० के माध्यम से लाभ दिया।

इसके अतिरिक्त ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में तो सारी बातें स्पष्ट हैं। यह बात अलग है कि अधिकारियों ने आपको कुछ आंकड़े दे दिए। आप इन आंकड़ों पर ज्यादा मत जाना क्योंकि ये आंकड़े ज्यादा काम नहीं आते। ये हमारे काम भी नहीं आए। ये आंकड़े बनकर आते हैं और हमें कह दिया जाता है कि पढ़िए तथा हम पढ़ते हैं। आप

9.12.2024/1655/av/एस/2

अगर ग्रीन एनर्जी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उस पर काम कीजिए। लेकिन यह बात किसी को हज़म नहीं हो पा रही है कि आपका 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट उस 35 मेगावाट प्रोजेक्ट के लगभग डबल चला गया। इसमें तो टैरेन का इश्यू भी नहीं होता। वहां साइट भी समतल है यानी जैसी गुजरात में है वैसी ही ऊना में भी है। इन सारी चीजों को लेकर के बात करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त बिलासपुर में जो कूज़ घोटाले का मामला आया, उसमें एक किशती को ईंजन लगाकर के उसको कूज़ बना दिया गया है। यह भी एक चर्चा का विषय है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एक मिनट बैठिए। आप अब और कितना समय लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दस मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष : आप 40 मिनट बोल चुके हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी भी जवाब देंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी कार्यवाही है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को आप पूरा समय दीजिए बाकी बिजनैस हम कल कर लेंगे।

अध्यक्ष : आप कितना समय लेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने सबकी बातों का समावेश करना है।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक 06.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।

टी सी द्वारा जारी

19.12.2024/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, आप कितना समय लेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सारी चर्चा का उत्तर मैंने ही देना है इसलिए इस माननीय सदन की बैठक 6.30 बजे तक बढ़ाने की कृपा करें।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक 6.30 बजे सायं तक बढ़ाई जाती है। श्री जय राम ठाकुर जी आपको चर्चा में भाग लेते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वे क्रूज चल नहीं रहे हैं और आदमी भी उसमें नहीं जा सकता है तो इसलिए यह मामला भी जांच का विषय बनता है। मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री जी इस पर संज्ञान लें। कई बार जब इस तरह से बोलते हैं तो उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। कुछ माननीय सदस्य यहां पर आउटसोर्स एजेंसी के बारे में बोल रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मालूम नहीं कि वे किस एजेंसी का जिक्र कर रहे थे। न हमारे समय में कोई एजेंसी रजिस्टर्ड हुई और न ही हमारे लोगों ने कोई एजेंसी रजिस्टर्ड की। जो कर्मी काम कर रहे थे वे पहले से काम कर रहे थे। इस विषय में मुझे जाना भी नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री जी इस प्रकार के विषयों में बहुत बारिकी से जाते हैं। इनके जो नजदीक के साथी हैं वे इनको सलाह देते हैं कि सरकार को काम करने के रास्ते तलाशने पड़ते हैं और कुछ साथियों ने सलाह दी कि आप आउटसोर्स एजेंसी बना दो। उसमें कुछ मंत्री और विधायक भी शामिल हैं और कुछ विधायक बनने की इच्छा वाले लोग भी हैं। वे ऐसे लोग हैं जो सही मायने में आपको खजल करेंगे। अभी फार्मासिस्ट्स और नर्सिज के पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी लेकिन शायद अब वह मामला कोर्ट की वजह से पेंडिंग हो गया है। परंतु यह हकीकत है, आप पता भी कर लेना

कि जिन एजेंसिज को यह काम दिया गया था वे आउटसोर्स में लगने वाले अभ्यर्थियों से पैसे मांग रहे हैं। वे फार्मासिस्ट और नर्स लगने के लिए एक से डेढ़ लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। एक आउटसोर्स के कर्मचारी को 10 से 12 हजार रुपया एक महीने का मिलता है और वे उनसे पहले ही पैसा मांग रहे हैं। वे ऐसे लोग हैं जो सरकार के

19.12.2024/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

नजदीक हैं। वे सरकार के साथ चलते हैं और आपके साथ चौपर में भी सफर कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कैसे दूर करना है, यह उनका विषय है लेकिन हम यह आपके ध्यान में ला रहे हैं। आप आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु ये धंधा न करें यानी आउटसोर्स पर नौकरी लगाने से पहले ही पैसे लेने का जो धंधा वर्तमान सरकार में चल रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी चीजों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और गम्भीरता से इस पर संज्ञान लें। जहां तक कबाड़ की बात है तो इस संदर्भ में पहले भी कहा गया है कि सरकार को इसके लिए ऑफिशियली एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और किसी प्रभावशाली नेता को उसका मंत्री बनाना चाहिए। यह विभाग ऐसा है कि इसको कोई हल्का आदमी चला नहीं पाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने मामले बन रहे हैं और कहां-कहां से फोन जा रहे हैं कि इसको या उसको कबाड़ दीजिए। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कबाड़ का मंत्रालय बना दिया जाए।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-12-2024/1705/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

सही मायने में अगर कबाड़ का इस तरह से चलता रहा तो इस सरकार का कबाड़ा जरूर करके जाएगा और आप इस बात को मान कर चलें। इस मामले को लेकर मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दिन-दिहाड़े गोलियां चल रही हैं। हम पूछते हैं कि क्या हुआ है? तब कहते हैं कि कबाड़ का मामला है। चाकू-छुरे चल रहे हैं। हम पूछते हैं कि क्या हुआ तो कहते हैं कि कबाड़ है। आखिरकार इस तरह का मामला है तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके लिए आपको अलग से विभाग बनाना पड़ेगा ताकि प्रभावी ढंग से इसको हैंडल किया जा सके। This is suggestion for action. अध्यक्ष महोदय, मैं खनन के बारे में कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी विपक्ष में होते थे तो ये मुझे वीडियो भी भेजते थे। आजकल इन्होंने वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं कि ट्रैक्टर खुदाई कर रहा है और ट्रक वहां पर चल रहा है। यह बात ठीक है कि जन प्रतिनिधि होने के नाते अगर कोई अवैध खनन कर रहा है तो उसका वीडियो आपको किसी ने बना कर दिया और आपने मेरे संज्ञान में लाया जब मैं मुख्यमंत्री था। लेकिन वर्तमान में क्या आप उस तरह से वीडियो भेजते हैं? आप जरूर भेजें और इस काम को मिलकर कीजिए। इस काम को ठीक करने की आवश्यकता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या लोअर बैल्ट ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में है। मैं पांच वर्षों तक खनन के बारे में समझ ही नहीं पाया कि यह इतना बड़ा विषय है और इसको कैसे रोका जाए। उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिए हैं। हमने रास्ते बंद करने की कोशिश की और वहां पर चैकपोस्ट बनाई। हमने इस तरह का इनिशिएटिव लिया था। लेकिन वे महानुभाव ऐसे लोग हैं कि उन्होंने चैकपोस्ट के बजाए और रास्ते निकाल लिए। उन्होंने अपने रूट ही बदल लिए और जहां पहुंचना होता है वहीं पहुंच गए। इसके लिए मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप दो वर्षों के कार्यकाल में लगाए हैं, आप उनका जवाब दीजिए। आपने जश्न तो मना लिया। जश्न में आपने इस बात को जरूर देखना। आपके जिला हमीरपुर की महिलाएं शकुन्तला देवी, सपना देवी जिनको आप उस सभा स्थल पर ले आए थे। मुख्यमंत्री जी आपका एक पड़ोसी जिसका नाम धनी राम था और वे आपकी रैली में आए थे लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ और

19-12-2024/1705/एन0एस0-डी0सी0/2

उसमें उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। एक महिला ने कहा होता तो समझ में आता कि शायद 1500 रुपये नहीं मिले तब कह रही है लेकिन वे कह रही थीं कि झूठे वायदे किए, पानी व बिजली पर टैक्स लगा दिया। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले ने दूसरी महिला को पूछा तो हमने सोचा कि ये ठीक बोलेगी लेकिन उसने कहा कि मैं सपना देवी, हमीरपुर की रहने वाली हूँ और रैली में आई हूँ। उसने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, सब नुकसान हो रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का पड़ोसी जिसका नाम धनी राम था जब उसको पूछा तो हमें लगा कि ये कुछ अच्छा बोलेंगे। लेकिन उन्होंने भी सरकार की मिट्टी पलीत की। यह हकीकत आपके पंडाल से निकल कर आई है, आपके जश्न से निकल कर आई है और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने ही कुर्सियां और शामियाना लगवाया था और वे उसमें ही बैठे थे तथा वहां पर कोई आदमी इंटरव्यू ले रहा था तब उनके मुखारबिंद से ये शब्द निकले हैं तो आप उनको सुन लेना। अगर आपके पास वीडियो नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा और आप आराम से सुन लेना। यह हकीकत है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में दो वर्षों के कार्यकाल में जहां यह स्थिति बनी, कर्मचारियों को सैलरी देने में कठिनाई आ रही है, पेंशनर्ज को पेंशन देने में कठिनाई आ रही है और विकास कार्य ज्यों के त्यों रुके पड़े हैं उसके बावजूद 25 करोड़ रुपये जश्न में खर्च कर दिए। यह कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.12.2024/1710/RKS/HK/-1

श्री जय राम ठाकुर... जारी

आपको इस प्रदेश से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रदेश का जो मर्जी हो लेकिन हम तो जश्न जरूर बनाएंगे। आप जिन चीजों पर हमको दोष देते हैं मैं उस पर लास्ट में बोलूंगा।

आपने लोन की सीमा अनेक बार बढ़ा दी। हमने पांच साल में जो लोन लिया था उससे ज्यादा आपने दो सालों में लोन ले लिया है। आपके नेतृत्व में बजट के बाद हिमाचल प्रदेश का लोन एक लाख करोड़ रुपये से पार हो जाएगा और इसका श्रेय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नाम जाएगा। इसके लिए आपका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ... (व्यवधान) साढ़े 38 हजार करोड़ रुपये तो हमने वापिस किया है। ... (व्यवधान) सरकार जो फैसले ले रही हैं उन फैसलों के संबंध में सार्वजनिक मंचों के माध्यम से बहुत कुछ सुनाया जाता है। आप जो फैसले ले रहे हैं उन्हें बाद में आपको बदलना पड़ रहा है। ये फैसले चाहे टॉयलेट टैक्स को लेकर है या अन्य कोई और फैसले, जब मलिका अर्जुन खड़गे जी ने ऊपर से डांट दी होगी तब जाकर आपने टॉयलेट टैक्स को रोका। आपने जो बसिज फ्रेट के बारे में बात की है वह खबर भी आप लोगों ने ही छापी है। आपने हिमाचल प्रदेश में दो साल से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करने की घोषणा की लेकिन आपने साथ ही पांच साल में 5 लाख नौकरियां देने की भी गारंटी दी है। फिर इसमें हमारा क्या कसूर है। यह सब आपने ही किया है। आपने सी.आई.डी. से समोसे की जांच करवा दी। आप उन चीजों की जांच करवाइए जो हम कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि विपक्ष गंभीर नहीं है। हम पूरी तरह से गंभीर है। हम कह रहे हैं कि अगर जांच करनी है तो उन चीजों की कीजिए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। जो बीच में घोटाले हो रहे हैं आप उन घोटालों की जांच करवाइए। हमें मालूम है कि मुख्य मंत्री जी समोसा नहीं खाते हैं। अब कुक्कड़ की बात आ गई है। अब इसमें हमारा क्या दोष है। आपने पता नहीं अपने साथ कौन शुभचिंतक रखे हैं जिन्होंने इस बात का छाप दिया। स्वाभाविक रूप से मन में यह भाव होता है कि जब मुख्य मंत्री जी आएंगे तो ऐसी-ऐसी चीजें बनाकर मेहमानबाजी की जाएगी। जब जंगली मुर्गे का जिक्र किया तो हमें लगा कि शायद गलती से यह खबर छाप दी होगी। जब जंगली मुर्गा परोसा जा रहा था तो मुख्य मंत्री जी के मुंह से अपने आप ही निकल गया कि इन लोगों को जंगली मुर्गा खिलाओ। शायद आप मुर्गा नहीं खाते होंगे लेकिन हैरानी की बात है कि इस पर भी आपने एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। मुख्य मंत्री जी कहते

19.12.2024/1710/RKS/HK/-2

हैं कि मुझे एफ.आई.आर. का पता नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत स्मार्ट हैं कि उन्हें इस बात का भी पता नहीं है कि एफ.आई.आर. किसने करवाई। एफ.आई.आर. उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन लोगों ने मुर्गा मारा, मुर्गा बनाया और मुर्गा खाया। लेकिन एफ.आई.आर. उन लोगों के विरुद्ध हो गई जिन्होंने जंगली मुर्गे की खबर को छापा। आपने मीडिया वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। मीडिया वालों का काम तो खबर छापना ही है। आप मीडिया वालों को खाना खाते वक्त अंदर क्यों ले गए? आपको खाना खाते वक्त मीडिया वालों को बाहर रखना चाहिए था। आप जो कह रहे थे कि इनको खिलाओ, उनको खिलाओ, ये सारा मीडिया वालों ने रिकॉर्ड कर दिया है। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का जिक्र भी उस वीडियो में आया है। मेरा आग्रह है कि उस एफ.आई.आर. को आपको वापिस लेना चाहिए और सही मायने में उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मुर्गा मारा, मुर्गा खाया और मुर्गा बनाया है। मुझे लगता है कि शायद मुख्य मंत्री जी मुर्गा नहीं खाते हैं। ये सारी चीजें सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। आप किसी मसले को लेकर गंभीर नहीं है। विपक्ष की भूमिका स्पष्ट है कि जहां गलती होगी वहां हम जरूर बोलेंगे।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1715/बी0एस0// एजी-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

इन मसलों को ले करके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथियों ने यहां से जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं और जिनके बारे में जानकारी दी है, मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कहें कि उन सारे विषयों की निष्पक्ष जांच हो और यह हिमाचल ईमानदारी के लिए जाना जाता है और पहचाना जाता है। इस हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम न हो। इतनी सी बात करके अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

19.12.2024/1715/बी0एस0// एजी-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा लाई है और चर्चा लाने वाले कितने गंभीर हैं वह आपको इनकी चर्चा से विस्तृत ज्ञात हो गया होगा और सदन को हो ज्ञात हो गया। चर्चा के दौरान प्रस्ताव लाया गया तो सिर्फ 14 विधायक ही यहां पर बैठे हुए थे। क्योंकि यह प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया था कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो परंतु यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि हम भ्रष्टाचार पर नियम-67 के तहत प्रस्ताव लाएंगे, सरकार उस पर चर्चा नहीं करवाएगी और हम वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे। दो साल सरकार के हो गए हैं और हमने भ्रष्टाचार पर चर्चा करनी थी। व्यवस्था परिवर्तन करते-करते कुछ ऐसी चीजें हमारे हाथ में लगी, हमने संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहा कि भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए। ये 11 तारीख को गवर्नर हाउस गए, आपने अच्छा किया जिन बातों को ये ले करके आए हैं, उन बातों को आपने सदन में भी रखा और बहुत अच्छी बातें इन्होंने सदन में रखी। भ्रष्टाचार का पत्र व्यवहार जो शुरू हुआ हम उसकी गहराई पर जाना चाहते हैं। मैंने पहले दिन से कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। पहले दिन, जिस दिन मुख्य मंत्री कार्यालय में पत्र बंम के द्वारा, जिसके सूत्रधार में बताने जा रहा हूं, आफिस में चर्चा में आया। मैंने उसी दिन पहली एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एफ.आई.आर. दर्ज करवाई तो एक अमोल ठाकुर के लड़के ने उस बारे में विस्तृत लिखा। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कहा कि इसकी इंकवायरी करिए। जब सब प्रकार से इंकवायरी चल रही थी तो पता चला कि यह जो पत्र है, जिसे पत्र बंम का नाम दिया गया, अब इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। ये भरमौर से अपलोड हुई और बालूंगज थारना में हमने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच की भरमौर में हमारे एक विधायक के एक समर्थक थे, मनोज कुमार शर्मा, उन्ही के कार्यालय से मोबाइल से फोटो सिंचकर 18 अर्गस्त, 2023 को इस पत्र को वायरल किया गया। माननीय नेता प्रति प्रक्ष को मैं बताना चाहता हूं कि यह जो किसी को बदनाम करने की आपकी नीति है, मैं आपको ही बताना चाहता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1720/वाई0के0/डी.टी-1

मुख्य मंत्री जारी...

उसमें फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बुलाया। विधायक से इस मामले में छानबीन की गई, उस दिन विधायक साहिब का जन्मदिन था, उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है और जो मेरा समर्थक है ये मेरे पास आया और उसने इसे अपलोड किया और इसको वायरल किया। वह विधायक भारतीय जनता पार्टी के भरमौर निर्वाचन क्षेत्र से डॉ० जनक राज जी थे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं पर ऐसी हरकते नहीं होनी चाहिए, नई-नई सरकार बनी है, इसलिए इस बारे में आगे बात नहीं की जानी चाहिए। इसलिए जिस पत्र बंब का आरोप आप लगा रहे हैं आप उसकी सच्चाई को जानिए। ...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी बीच में जो बोलने की आदत है ये अच्छी बात नहीं है।

Speaker: No interruption please when Hon'ble Chief Minister is replying to the debate. I am not permitting anybody.

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जांच उस पत्र की हो रही थी जिसमें 25 करोड़ वाली बात कही गई थी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उस 25 करोड़ मामले का जो पत्र आया है वह पत्र कहां से अपलोड हुआ? ...(व्यवधान) मैं इस सदन को ये बताना चाह रहा हूं कि माननीय विधायक डॉ० जनक राज जी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, पुलिस वाले इनके घर गये और इनसे बातचीत की कि इस प्रकार का पत्र आपने क्यों अपलोड किया? इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मेरे जन्मदिन के दिन मेरे कार्यालय से ये पत्र अपलोड हुआ। यह जो पत्र है इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम जो बताया गया कि अमोल ठाकुर है और सचिवालय में कार्यरत है, जब जांच की गई तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति सचिवालय में नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस

प्रकार के फर्जी पत्र आपके समय में भी चलते थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रकार की फर्जी पत्र आपके समय में भी आते थे और अगर आप इस प्रकार का कोई आरोप लगाते हैं, तो ऐफिडेविट के साथ आप आरोप लगाइये, हम उसकी जांच करवायेंगे। ये था पहला उत्तर है जो आरोप पत्र बंब को लेकर आपने अपने कच्चे चिट्ठे में लगाया है। इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई

19.12.2024/1720/वाई0के0/डी.टी-2

है कि ये पत्र किसने लिखा, कहा टाईप हुआ। इन्होंने कहा कि आपने जिस अधिकारी को अपना सलाहकार बनाया है वह दागदार है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को हम नहीं छोड़ेंगे। ये भाजपा वालों के पास जो वाशिंग मशीन जिस में सब दागी धुलकर बेदाग हो जाते हैं, उस वाशिंग मशीन को हम भी खरीद रहे हैं। आप जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार के आरोप नहीं हैं। श्री जय राम ठाकुर जी ने उन्हें मुख्य सचिव बनाया था और शायद उनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो गया था इसलिए उनको मुख्य सचिव के पद से हटाया दिया गया। ... (व्यवधान) कोई बात हुई होगी, मैं उस बात पर क्यों जाऊँ। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को 60 मिनट तक सुनता रहा और मैंने बीच में नहीं बोला। इसलिए मैं इनसे भी आग्रह करूँगा कि आप भी बीच में न बालें, मेरी बात सुने।

मैं उन लोगों की भी बात करना चाहूँगा जो यहां से वहां गये हैं। आप अच्छे हैं लेकिन कई बार अच्छे के साथ कुछ गंद भी मिल जाता है। मैं आपको उस भ्रष्टाचार की बात बताना चाह रहा हूँ जिस भ्रष्टाचार के लिए आपने कई लोगों पर चल रहे केस बंद किए। क्या मैं आपको याद दिलाऊँ? जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ वह अब सांसद बन चुके हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19-12-2024/1725/वाई.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

भाजपा ने वर्ष 2017 में चुनावों से पहले अपनी चार्जशीट में उन पर आरोप लगाया था और सत्ता परिवर्तन होने व श्री जय राम ठाकुर जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद वर्ष 2018 में विजिलेंस जांच शुरू की गई। वर्ष 2019 में विजिलेंस के जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस व्यक्ति को क्यॉथर कॉर्पोरेटिव एम.पी. सोसाइटी का सदस्य दर्शाने के लिए कैश बुक के रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग व ओवर राइटिंग के सबूत मिले हैं। दस्तावेजों के साथ इसलिए छेड़छाड़ की गई ताकि वह व्यक्ति बैंक के बी.ओ.डी. चुनाव में भाग ले सके और चेयरमैन बन सके। आपने (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) श्री हर्ष महाजन की इन्क्वायरी करवाई थी। मजेदार बात तो यह है कि यह व्यक्ति 28 सितम्बर, 2022 को कांग्रेस पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो जाता है। उसके बाद श्री जय राम ठाकुर जी दिनांक 24 नवम्बर, 2022 को इस व्यक्ति पर चल रही जांच को बंद कर देते हैं। वर्ष 2022 में विधान सभा चुनावों की घोषणा 14 अक्टूबर को होती है और 13 नवम्बर को वोटिंग भी हो जाती है। लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी विधान सभा चुनावों की वोटिंग हो जाने के 11 दिन बाद मेहरबानी दिखाते हुए उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देते हैं। प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए कि भाजपा में जाने के बाद वह दागदार व्यक्ति बेदाग कैसे हो गया?... (व्यवधान) मैंने आपसे (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) वॉशिंग मशीन को उधार ले लिया।... (व्यवधान) यह मैं आपको (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका विधायक दल जिस तनाव से गुजर रहा है वह इन सब बातों से तनाव मुक्त हो जाएगा।

19-12-2024/1725/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, अब मैं विपक्ष के कच्चे चिट्ठे पर बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कच्चा चिट्ठा विपक्ष के आंतरिक कलह का सबसे बड़ा सबूत है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट को इतने करोड़ रुपये दे दिए, इतने करोड़ रुपये की मिट्टी उठा दी और इतने करोड़ रुपये का कुछ और कर दिया। मैं इस पर स्पष्टिकरण देना चाहता हूँ क्योंकि ये तो

गोलमोल बात कर रहे थे। वह शोंग-टोंग प्रोजैक्ट है। इसमें आपने (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) भी कोशिश की होगी। जब कोई मुख्य मंत्री नहीं रहता तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। जब कोई मुख्य मंत्री होता है तो अधिकारीगण याद करवाते रहते हैं। मैं आपको (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) बताना चाहता हूँ कि यह कच्चा चिट्ठा आपके खिलाफ है। यह एक षड़यंत्र है। आपको (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) व आपकी इमेज को बदनाम करने के लिए यह कच्चा चिट्ठा बनाया गया है और आपने इसे ठीक से नहीं पढ़ा है। अभी तो हमारी तरफ से भी एक 'पक्का चिट्ठा' आएगा। यह शोंग-टोंग प्रोजैक्ट माननीय प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के समय में वर्ष 2012 में पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेड को अवार्ड किया गया था। इस प्रोजैक्ट को पांच साल की अवधि में पूरा करना था। दिनांक 04-08-2012 से दिनांक 03-08-2017 तक इस प्रोजैक्ट को पूरा किया जाना था लेकिन यह प्रोजैक्ट वर्ष 2017 तक पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2017 में आपकी (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) सरकार आ गई। उसके बाद पहली ई.ओ.टी. दिनांक 09-07-2019 को दी गई। आपकी (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) सरकार ने ई.ओ.टी. दी थी।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19.12.2024/1730/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी--

EOT एक विभागीय प्रोसिज़र है लेकिन आपने बात उठाई तो मैं बता रहा हूँ। अगर EOT नहीं देंगे तो कोई प्रोजैक्ट पूरा नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कई बार विधायक अपनी बात कहते हैं। वे सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया तो मैं उन विधायकों को, जिन्होंने यह बात उठाई है उस बात को ध्यान में लाना चाहता हूँ। यह 1488 दिन के

लिए अगस्त, 2017 से 30.08.2021 तक आपकी सरकार ने दी। मैं यह बात इसलिए क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आपके कुछ विधायकों ने इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कोई बात उठाई है परंतु यह एक विभागीय प्रोसिज़र है जो इन्होंने दिया है। यह बोलने के लिए तो अच्छा है लेकिन यह प्रोसिज़र होता है। यह एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता तो उसको टाइम की एक्सटेंशन दे दी। और सुनिए, EOT दिए जाने का प्रावधान काँट्रैक्ट में है। आमतौर पर यह हर काँट्रैक्ट में होता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दी जाती है। माननीय जय राम जी भी और श्री सुख राम जी भी जो पावर मिनिस्टर रहे हैं, जानते होंगे। वैराज का डिज़ाइन फाइनल नहीं होने के कारण तथा वन भूमि की डायवर्शन लंबित होने के कारण वैराज साइट को ठेकेदार को हैंडओवर नहीं किया जा सका। जो आपका वैराज का डिज़ाइन था वह 25.11.2020 को फाइनल हुआ और वन भूमि डायवर्शन के बाद अगस्त, 2024 में उसको सुपुर्द कर दिया गया। इस इश्यू पर हमने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को रैफर किया जिसमें एस.जे.वी.एन.एल., एन.एच.पी.सी. और रिटायर्ड चेयरमैन सी.ई.डब्ल्यू.सी. इत्यादि सदस्य थे। जिन्होंने प्रोसिज़नली EOT को देने की सिफारिश की और एस.जे.वी.एन.एल. के प्रोजेक्टों में यह आम बात है। एक और बात जय राम जी, आपने कही, आपको करनी नहीं चाहिए थी लेकिन कई बार इतना दवाब होता है, आप तो सब जानते हैं और इस दवाब में आप अपनी कुर्सी को सम्भालना। हमारी कुर्सी तो यहां पक्की हो गई है। आपकी कुर्सी के पीछे काफी लोग पड़े हैं। हमारे पास इन्फोर्मेशन है और मैं भी आपका शुभचिंतक हूं इसलिए आपको सुझाव दे रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे कि मिट्टी का यह रेट होगा, वह होगा, उस सम्बन्ध में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

(श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए)

19.12.2024/1730/केएस/एजी/2

जो होलेज और डम्पिंग काँट्रैक्ट में दी गई साइट में ही करनी पड़ती है, जिसको आप मक बोलते हैं। डी.पी.आर. में यह रेट 67 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर से ले कर 88 रुपये प्रति

क्यूबिक मीटर थे। जिसे वर्ष 2011 के प्राइस लैवल पर सी.ई.ई. ने अप्रूव किया था। यह आपके समय का है। इसके बाद आपने क्या किया, अक्टूबर, 2018 में एक्स्ट्रा डम्पिंग को प्रोजैक्ट से बाहर ले जाने के लिए आपने ये रेट 99 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर किया। आपने दोष लगाया, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिट्टी ले जाने के लिए जो साइट का होता है। कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, लेकिन आपने आरोप लगाया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो यह आपने किया। तब भी आपकी सरकार थी और आज वर्ष 2024 में जब हमने उनको EOT दिया, हमने भी बोला कि 99 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर का ही रेट रखना है। बिना सच्चाई जाने आप कहते हैं और इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कागज ले करेंगे, कागज ले किए नहीं, स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं क्वांटिटी बढ़ाने की ही बात बता रहा हूं। आपने डिज़ाइन पास किया तो उसी की क्वांटिटी बढ़ेगी जब आप उसको ले जाओगे, हमने तो नहीं किया। आप ही के समय का है लेकिन यह प्रोसिज़र है और जो भी चर्चा अभी हुई है वह विभागीय प्रोसिज़र के अनुसार हो रही है। भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं थी। भ्रष्टाचार तो इन्होंने सोचा कि हमको वॉक आउट मिल जाएगा हम खिसक जाएंगे लेकिन हमने चर्चा स्वीकार कर ली, भ्रष्टाचार इनका मुद्दा ही नहीं था। इनका मुद्दा था कि रैली में अपनी ताकत पांच गुटों में बी.जे.पी. कैसे दिखाए। तो आपने अपनी ताकत दिखा दी और तभी तो श्री विपिन सिंह परमार जी बोल रहे थे कि ऐसा उफान आया है, शांति से पहले का तुफान आया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.12.2024/1735/av/एजी/1

मुख्य मंत्री--- जारी

इतने लोग उमड़े, आपने वहां देखना था। वह आपकी ताकत थी क्योंकि कांगड़ा में तो आप ही सबसे वरिष्ठ नेता हैं बाकियों में तो किसी में दम नहीं है, यह मैं जानता हूं। ...(व्यवधान) आपमें दम है और यह सच्चाई है।

यहां पर 163 करोड़ रुपये की बात की गई। प्रोजेक्ट में हर साल interest during construction लगभग अढ़ाई सौ करोड़ रुपये पड़ेगा अगर इसको फर्दर डिले किया गया। प्रोजेक्ट के पूरा होने से लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय हुई है। मैं इसमें एक और बात बताना चाहूंगा। आपने जो 163 करोड़ रुपये का ई0ओ0टी0 का किया था उसको सरकार ने अभी तक नहीं माना है। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, ये सारी चार्जशीट आपके ही खिलाफ लग रही हैं।...(व्यवधान) बीच में मत बोलिए।

सभापति : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। प्लीज, आप बैठिए। ये जब बोल रहे हैं तो आप बीच में मत बोलिए। अभी लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं।...(व्यवधान) आप बैठिए। आपको बाद में समय देंगे।

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इनको अभी भी समझ नहीं आया। वह 25 करोड़ रुपये के पत्र बम वाला अनमोल ठाकुर कोई व्यक्ति नहीं है।...(व्यवधान) आप फिर से अधूरी बात कर रहे हैं। उसी की जांच करवाई गई है, मैं आपको अब कैसे समझाऊं। आपका तो यह हाल है कि मैं न मानूं।...(व्यवधान) आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी बहुत फर्जी बम आए थे।...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, अगर आपने नहीं मानना तो आपकी मर्जी।...(व्यवधान) आप अभी तक मंत्री नहीं बने हैं और मुझे लगता है कि आप विधायक ही रहेंगे। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि यह ई0ओ0टी0 एक बार, दो बार और चार बार भी दी जाती है।...(व्यवधान) अभी कारण ही तो बताया। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा समझा दूं तो समझा दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप इनको दोबारा से समझा देना।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि वह कच्चा चिट्ठा श्री रणधीर शर्मा जी ने बनाया होगा और अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं।
...(व्यवधान) कोई बात नहीं, रणधीर शर्मा जी, आप जिस

19.12.2024/1735/av/एजी/2

दिन एफिडेविट फाइल करेंगे उस दिन देख लेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि अनमोल ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। वह 25 करोड़ रुपये का पत्र बम आपके विधायक

श्री जनक राज के ऑफिस से अपलोड हुआ है। मैं इस बारे में दस बार बता चुका हूँ। ... (व्यवधान) तो आरोप लगाने वाले भी आप ही हैं। जिनके मोबाइल से अपलोड हुआ उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने मैनुपूलेशन की है। इसकी जांच आगे बढ़ रही है। इस संदर्भ में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम उसको देखेंगे। लेकिन विधायक साहब ने मेरे पास आकर माफी मांगी कि मेरे साथी ने यह सब अपलोड किया है और मुझे इस बारे में पता नहीं है। इसलिए हमने उस पर आगे कार्रवाई नहीं की है। जब एक बार कोई बात खत्म हो गई तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ें।

यहां पर शराब के ठेकों की बात भी की गई। एक कहावत है कि 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे'। मैं कहावत की बात कर रहा हूँ। इन्होंने 4 वर्षों में 600 करोड़ रुपये कमाये। हमने एक वर्ष में 600 करोड़ रुपये कमाये तो ये लोग कहते हैं कि घोटाला हो गया। अगर इसको घोटाला बोलते हैं तो पिछले वाले को आप क्या नाम देंगे? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई चार्जशीट बनाएंगे तो पूर्व मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को अपने साथ जरूर बिठा लेना ताकि वे आपको पूरी चीजों की जानकारी दें।

टी सी द्वारा जारी

19.12.2024/1740/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

मुख्य मंत्री ... जारी

इन्होंने आपको नया-नया बलि का बकरा बनाया है। आप लिखने वाले भी हैं तो इन्होंने कहा कि आप ही लिख लें। ... (व्यवधान) अभी आपने जो अपने भाषण में बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने देखा कि पिछली सरकार टेंडर को रिन्यू करती आ रही है और पिछले चार साल से टेंडर रिन्यू होते आ रहे हैं। पिछली सरकार के समय में इन टेंडरों के माध्यम से कितना रेवेन्यू आया यह हर वर्तमान सरकार देखती है? इन्होंने उन टेंडरों को 4, 5, 7 और 9 प्रतिशत पर रिन्यू किया।

हम इनकी बात को भी मान लेते हैं, अगर देखा जाए तो क्या प्रदेश की सम्पत्ति आम जनता की नहीं है? आप लोग क्यों सरकार में बैठे होते हैं, क्यों आप सरकार के संरक्षक नहीं होते है? आपकी आंखों के सामने प्रदेश की सम्पदा लूटी जा रही थी। हमने उस प्रदेश की सम्पदा को लूटने से बचाया और ऑक्शन करके 600 करोड़ रुपया कमाया। ...(व्यवधान)

Chairman : Please don't disturb. ...(Interruption). प्लीज रिप्लाइं सुनिए। Please don't disturb. ...(Interruption)

(विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

मुख्य मंत्री : इस बार का भी बता रहा हूं। आप बैठिए तो सही।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

Speaker : Please, take your seats. ...(Interruption) Please, take your seats. Let the Hon'ble Chief Minister reply. ...(Interruption). Not in this manner. Please take your seats. ...(Interruption). No interruption please. Nothing will go on record except the Hon'ble Chief Minister's statement. ...(Interruption) Nothing will go on record. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस बार जब टेंडर हुआ, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा ...(व्यवधान)

19.12.2024/1740/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

Speaker : Now Hon'ble Chief Minister is replying. As and when he finishes his speech. I will allow you. ...(Interruption) Please, take your seats. ...(Interruption) I will allow you afterwards. ...(Interruption) Please, take your seats. I will allow you to speak. ...(Interruption) I will allow. When everybody heard the Hon'ble Leader of Opposition for nearly 60 minutes. ...(Interruption)

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Thursday, 19 December, 2024

There is no opportunity to interrupt the Hon'ble Chief Minister while he is replying. So, please take your seats. ...(Interruption) Hon'ble Leader of Opposition when you were on your legs everybody heard you very patiently for 60 minutes. ...(Interruption). There was no interruption for the Hon'ble Chief Minister's side. ...(Interruption)

Continued by AS in English...

19-12-2024/1745/एन0एस0-ए0एस0/1

Continued by Speaker in English.....

...(Interruption) Please allow him. ...(Interruption) He is not yielding. Please, take your seats. I will permit you. I will give you chance to speak. ...(Interruption) I will give you chance to rebut. ...(Interruption) If it is required I will give you chance to rebut. ...(Interruption) Hon'ble Member Shri Bikram Singh please sit down. ...(Interruption) I have given more than sufficient time to the Hon'ble Members of Opposition to speak. ...(Interruption) Please, take your seats. ...(Interruption) I am not allowing anybody to speak except the Hon'ble Chief Minister. Only the statement of Hon'ble Chief Minister will go on record. ...(Interruption) No interruption please. Nothing of the sort. Hon'ble Chief Minister please continue. ...(Interruption) I will give you opportunity to speak. ...(Interruption) Hon'ble Chief Minister please continue. ...(Interruption) Nothing will go on record, it is only the statement of the Hon'ble Chief Minister which will go on record. ...(Interruption) No interruption please. ...(Interruption). If it is a boycott but for what, that nobody knows.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन करके चले गए)

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि अभी एक ही कच्चा चिट्ठा खुला है और मैं अब दूसरा कच्चा चिट्ठा खोल देता हूँ। मैं चाहता था कि विपक्ष आराम से बैठे। माननीय जय राम ठाकुर जी क्या बोलेंगे क्योंकि कच्चा चिट्ठा उन्हीं के खिलाफ है। सही मायने में कच्चा चिट्ठा उनके खिलाफ है। दूसरी बार जब ठेकों की नीलामी हुई तो हमने उसमें भी रेवेन्यू कमाया। विपक्ष जो यूनिट्स छोटे करने की बात कर रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिट छोटा करना एक प्रोसीजर है। यह प्रक्रिया पिछले 20 सालों से चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बुद्धिमान व्यक्ति ने वर्ष 2019-20 में कांगड़ा के 14 यूनिट्स को क्लब करके एक यूनिट बना कर 45 करोड़ रुपये में आबंटित किया जबकि उसका रिजर्व प्राइस 63 करोड़ रुपये था। यह बात मैंने उनको बतानी थी लेकिन विपक्ष यहां से चला गया। जब ठेकों की नीलामी दो-तीन बार हो जाती है और किसी यूनिट में ठेकेदार नहीं आता है तो सारे यूनिट्स को क्लब कर देते हैं ताकि रेवेन्यू का नुकसान न हो। हम उसको ऑनलाइन टैंडर के माध्यम से भी बेच सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है। मैंने पत्र बम्ब के

19-12-2024/1745/एन0एस0-ए0एस0/2

बारे में बता दिया है। अब जिसने लिखा है तो उसकी भी जांच हो गई है। जनक राज जी मेरे पास आए और जब कोई आदमी माफी मांगता है तो मैंने कहा कि एक बार गलती हो गई तब छोड़ दिया। अब उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। मैं बताना चाहता हूँ कि अमोल ठाकुर नाम का कोई सचिवालय कर्मचारी नहीं है। एक षडयंत्र के तहत हमारी सरकार को 7 महीने का समय हुआ था और बी0जे0पी0 के नेताओं ने हमारी सरकार व विशेष तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को बदनाम करने की साजिश रची। दूसरा, शराब के ठेकों में हमने अपना रेवेन्यू बता दिया। जिन यूनिट्स की बात बार-बार करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2020-21 में कांगड़ा में तीन यूनिट्स सिविल लाइन्ज, धर्मशाला, वड़वाला और डाडासीबा को क्लब करके एक यूनिट बनाया गया तथा 48 करोड़ रुपये में आबंटित किया गया जिसका रिजर्व प्राइस 62 करोड़ रुपये था। वर्ष 2022-23 में इन्होंने एक और यूनिट को क्लब किया जिसका रिजर्व प्राइस 4.3 करोड़ रुपये था और इन्होंने उसको 3.5 करोड़ रुपये में आबंटित किया। विपक्ष जब प्रक्रिया पर सवाल उठाता है तो उस समय ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी के खिलाफ

भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और इसके लिए मैंने अधिकारियों को भी दिशा-निर्देश दिए हैं कि पहले उसकी जांच की जाए और फिर एफ0आई0आर0 की जाए। यह सरकार का दायित्व भी होता है जो सरकार को चलाते हैं और जनता के संरक्षक होते हैं तथा उनकी समस्याओं को दूर करते हैं।

RKS जारी

19.12.2024/1750/RKS/डीसी/-1

मुख्य मंत्री... जारी

इनके पास कहने को कुछ नहीं है। श्री जय राम ठाकुर जी बार-बार यह कहते हैं कि आपने मेरे इर्द-गिर्द सिराज के दो लोग खड़े कर दिए हैं। वे यूथ कांग्रेस टाइम से हमारे साथ चले हुए हैं इसलिए स्वाभाविक है कि वे हमारे पीछे खड़े होंगे। वे कोई ठेकेदार नहीं है लेकिन उनका एक जनाधार है। किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिला वह अलग बात है। जब जनाधार वाले लोग हमारे साथ खड़े होंगे तो इन्हें यह बात जरूर पिंच होगी। ये लोग आउटसोर्स कंपनियों की बात कर रहे हैं। आउटसोर्स कंपनियां बनाना सबका अधिकार है। हम किसी के अधिकार को नहीं छीन सकते। आउटसोर्स कंपनी में नियमों का पालन होना चाहिए लेकिन इन्होंने स्विपिंग स्टेटमेंट दे दी की आउटसोर्स कंपनियां नौकरियों के लिए पैसे ले रही हैं। अगर आप इस विषय में एक भी व्यक्ति का नाम मुझे बता देंगे तो हम उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये बार-बार बद्दी की बात करते हैं। बद्दी में कोई कंपनी खरीदता है तो उसे नियमानुसार 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हमारे विधायक ने 118 की परमिशन लेकर white money में प्रोपर्टी खरीदी है तो उसमें किसी को क्या समस्या है। यह बात मैं श्री राम कुमार जी के संदर्भ में कहना चाह रहा हूं। कई चीजें प्रोसिजरली और कई इग्नोरेंस होती है, जहां उपेक्षा करके संपत्ति को लूटा दिया जाता है। कइयों को जोर-जोर से बोलने की आदत होती है और उसमें इनके एक-दो विधायक ऐसे हैं जो जोर-जोर से बोलते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि उन्होंने अपने समय में क्या किया है। श्री जय राम ठाकुर जी नदौन में एच.आर.टी.सी. की एक जगह खरीदने का बार-बार जिक्र करते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह जगह एच.आर.टी.सी. के नाम है जो नेशनल हाइवे

से 90 मीटर दूर है। उस जगह का पंजीकरण वर्ष 2015 में 2.70 लाख रुपये में हुआ था। जिन लोगों ने यह जगह ली थी वे सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अब इनकी आंतरिक लड़ाई में ये उनके खिलाफ केस करवाना चाहते हैं। वह 80 कनाल जगह है। जब वर्ष 2015 में वह जगह ली गई थी तो उस समय इसकी स्टाम्प ड्यूटी 4.75 लाख रुपये दी गई थी। कंसिड्रेशन उमाउंट डिसाइड करता है कि यह जगह इतने में मिलनी है। सरकार यह तय करती है कि नेशनल हाइवे में इसका इतना मूल्य बनता है और उस मूल्य के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। यह जगह 6.70 करोड़ रुपये में एच.आर.टी.सी. के नाम ली गई है। मैं इनसे पूछना

19.12.2024/1750/RKS/डीसी/-2

चाहूंगा कि क्या वह जगह हमारे नाम ली गई है? आज मैं कह सकता हूँ कि उस जगह का मूल्य 20 करोड़ रुपये होगा। इन्होंने जो हाउसिंग बोर्ड से नाले खरीदे हैं उसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं। इन्होंने 50 हजार में जो नाले खरीदे हैं उनकी हमारे पास अभी इंकवायरी चली हुई है। इन्होंने हाउसिंग बोर्ड से 20-20 लाख रुपये में नालों को खरीदा है। इनके नेता ही सारी जगह भू-माफिया का काम कर रहे हैं। हमारे पास जो जगह है वह 20-25 साल पहले खरीदी गई है जोकि बुजुर्गों की जगह है। ये उस जगह को माप सकते हैं। सब जगह इनकी पार्टी के लोग ही भू-माफिया बनकर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार कहा है कि हम प्रदेश की सम्पदा को न लूटने देंगे और न लूटाने देंगे। ये जो विपक्ष में कुछ नकाबपोशधारी बैठे हैं इन्होंने राजनीतिक नकाब पहन कर अपनी सम्पत्ति को दोगुना बनाने की रणनीति बनाई है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1755/बी0एस0/./ डी.सी.-1

मुख्य मंत्री जारी...

हमारी सरकार को जहां भी भ्रष्टचार के आरोप मिलेंगे वहां पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता कर्मचारी चयन आयोग में घोटाला हुआ 50-50 हजार रुपये

के पेपर बिके, उसके बाद पहली बार मेरे सामने यह बात आई तो मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा कि पेपर बिक रहे हैं। उन पेपरों में युवाओं के साथ धोखा हो रहा है जिन युवाओं की सिलेक्शन होनी चाहिए उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है और जो पैसा दे रहे हैं उनकी सिलेक्शन हो रही है। यह उन युवाओं के लिए धोखा था जो युवा पढ़ लिख करके सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते थे। हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की, मैं चाहता तो मैं भी पुलिस भर्ती की तरह टाल सकता था। हमने उस भ्रष्टाचार के केन्द्र कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और 44 लोग को सलाखों के पीछे अरेस्ट किया गया। ओ.डी.आई. की बात करते हैं, ये अपने समय की बातें भूल जाते हैं, यदि कोई आदमी किसी भी तरीके से convicted नहीं है, महज राजनीतिक और अधिकारिक तौर पर भी आपस में विरोधी हों, इस कारण से किसी ने आरोप लगा दिया और आरोप अभी तय नहीं हुए और कभी चार्जशीट हुए नहीं, इन्हें डाउट की केटेगरी में डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी integrity and honesty पर शक किया जाए, जब तक वह conviction न हो जाए। इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो ये ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ले करके आई है। इस भर्ती घोटाले में जो कर्मचारी चयन आयोग में हुआ है, 14 एफ.आई.आर्ज. दर्ज की जा चुकी है और सभी मामलों में जांच तेजी से जारी है। अभी तक 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसमें 9 हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारी थे जबकि 39 अन्य नागरिक यानी candidates and touts थे जो पेपरों को बेचा करते थे और जो पैसे वाला होता था उसे नौकरी मिल जाती थी। इन सभी अभियुक्तों को न्यायालय से बेल मिल चुकी है अभी तक चार मामलों में चार्जशीट दायर कर चुके हैं। साथ ही इस प्रकरण में गहराई से जांच करने के लिए तीन अलग-अलग जांच इंक्वायरियां चलाई जा रही हैं। इस मामले में किसी भी बड़ी साजिस के पहलुओं की भी जांच की जा रही है। यदि कोई

19.12.2024/1755/बी0एस0/. / डी.सी.-2

बड़ा आदमी इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी जांच की जाएगी। हमने इस पर जांच बिटाई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राम कुमार जी अभी बता रहे थे कि इनके समय की एक और बात बताना चाहता हूं कि जब इनके मुख्य मंत्री थे तो Indo Farm Private Limited को बड़ी विधान सभा क्षेत्र के मालकू माजरा में लगभग 123 करोड़ रुपये की कीमत की 50 बीघा भूमि 2.81 करोड़ रुपये में दे दी गई। पूर्व भाजपा सरकार ने मालकू माजरा की भूमि 250 रुपये पर स्कवेयर मीटर के रेट पर दे दी। इस 150 बीघा भूमि के अलावा इस कंपनी को 150 बीघा भूमि एक रुपया पर स्कवेयर मीटर के रेट पर और दी गई।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1800/डी.टी/एच0के0-1

मुख्य मंत्री जारी...

यानी कुल 300 बीघा भूमि एक कंपनी को एक रुपया प्रति स्क्वायर मीटर पर दे दी गई। आगे देखिए की क्या धंधा है। इस भूमि में ये कंपनी प्लॉट बनाकर आगे बेच रही है। ये पूर्व भाजपा सरकार में हुए कार्य का एक और उदाहरण है। एक ही कंपनी को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाया गया। ये भाजपा सरकार के समय हुआ खुला भ्रष्टाचार है। जहां खुले हाथों से प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है। तो क्या ये खुले रूप में हो रहा भ्रष्टाचार नहीं था? माननीय विधायक श्री हरदीप बावा जी बोल रहे हैं कि ये कंपनी नालागढ़ की है। ये कंपनी प्लॉट बनाकर आगे इस जमीन को उद्योगपतियों को बेच रही है। एक ही कंपनी को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाया गया, ये पूर्व सरकार द्वारा क्या काम किया गया, ये तो यही बता सकते हैं। उस समय प्रदेश में मुख्य मंत्री कौन थे और उद्योग मंत्री कौन थे? इस कंपनी के मालिक को पहले भी ट्रेक्टर कंपनी के नाम पर जमीन दी गई, जिसमें से 20-25 कनाल भूमि अभी भी खाली पड़ी है। अगर किसी गरीब आदमी के घर के ऊपर से बिजली की तारे हटानी हो तो बिजली बोर्ड वाले एसटिमेट बनाकर उस आदमी को दे देते हैं लेकिन उस कंपनी की भूमि के ऊपर से जो बिजली की तारे जा रही थीं उन तारों को हटाने के लिए सरकार के द्वारा एसटिमेट बनाया गया और सरकार ने उस कंपनी

को वह तारें हटा कर भूमि दे दीं। मैंने ये बात इसीलिए कही क्योंकि हम प्रदेश की संपदा को लूटने या लुटवाने के लिए नहीं आए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमने एक रुपया प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से और तीन रुपये प्रति युनिट के हिसाब से मेडिकल डिवाइस पार्क में बोली लगाई। हमने ये फैसला लिया कि भारत सरकार का 30 करोड़ रुपया वापिस करेंगे। ये ठीक है कि बल्क ड्रग पार्क हमने बोली लगाकर जीता है। ये विपक्ष के लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बल्क ड्रग पार्क को हम खुद भी बना रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे विपक्ष के द्वारा किये गये कार्यों की परते खुलती हैं, तकलीफ भी बढ़ जाती है। कोई इस कुर्सी में परमानेंट नहीं बैठता और अगर हम यह सोचे की हम इस कुर्सी में परमानेंट बैठने के लिए आये हैं, तो ये गलत बात होगी। लेकिन इस कुर्सी की जिम्मेवारी को समझना बहुत जरूरी है। इस कुर्सी में बैठकर जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। हमारी पार्टी के किसी भी विधायक के ऊपर किसी भी प्रकार

19.12.2024/1800/डी.टी/एच0के0-2

का आरोप नहीं है। सब अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। जो चीजे हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा ला रहे हैं, वह भविष्य की राजनीति भी तय करेगी। वह आने वाली युवा पीढ़ा को भी एक सही संदेश देकर जाएगी कि जो भी मुख्य मंत्री या मंत्री बने उसे लगे कि जनता के प्रति उसका क्या दायित्व है? पूर्व की सरकार ने इस प्रकार की जवाबदेही अपने कार्यकाल में तय नहीं की। माननीय जय राम ठाकुर जी भी मुख्य मंत्री रहे हैं और वह जानते हैं कि विभागीय बातें और उसका प्रोसेस क्या होता है। यही आधिकारी उनके समय में भी थे और इन्हीं अधिकारियों ने 60 वर्ष की आयु तक इस प्रदेश में काम करना है। सरकारें तो केवल पांच वर्ष के लिए चुनी जाती हैं। लेकिन जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है उस सरकार को अपनी मंशा और इंटेंट का पता होना चाहिए। आपके फैसले स्पष्ट होने चाहिए और हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप में फैसले लिए हैं और ये फैसले प्रदेश के हित में लिए हैं। आने वाले समय में प्रदेश के हित में और भी कड़े फैसले लेंगे। जहां पर प्रदेश का हित नहीं होगा वहां पर हम अपने फैसले को वापिस लेने में भी परहेज

नहीं करेंगे। भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक के किसी रिश्तेदार को पेट्रोल पंप आबंटित किया गया है और हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है आप उसका विरोध करें, विरोध करने से आपको किसने रोका है। पेट्रोल पंप का आबंटन प्रदेश सरकार नहीं करती उसका आबंटन तो केंद्र सरकार करती है। केंद्र में आपकी सरकार है अगर ऐसा हो रहा है तो वहां जाइए और उस काम को रूकवा लीजिए। दुसरी बात जो ये अक्सर कहते हैं, वह है माइनिंग के बारे में। इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई बार ई0डी0 जांच के लिए आईं। ई0डी0 ने एक व्यक्ति, जो मेरा समर्थक है, उसका नाम ज्ञान चंद है। विधान सभा के चुनाव में वह मेरा समर्थन करता है, लोक सभा के चुनाव में वह श्री अनुराग ठाकुर जी का समर्थन करता है और ज्वालामुखी निर्वाचन क्षेत्र में वह श्री रमेश धवाला जी का समर्थक है। वह एक व्यापारी और उसने अपना व्यापार करना है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19-12-2024/1805/एच.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

उसे मालूम है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं और मैं अपने धंधे पर ध्यान दूं। ई.डी. ने नादौन में छापा मारा था। ...(व्यवधान) मैं उन्हें जानता हूं क्योंकि वे मेरे जनरल सैक्रेटरी रहे हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वे यहीं पर (सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर देखते हुए) बैठा करते थे और पैसे लेकर दूसरी ओर भाग गए थे। उन महानुभाव को मैं आज से नहीं बल्कि 20 साल से जानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया है। वह बोल रहा है कि हम विरोध करेंगे। विरोध करने से किसने रोका है? 10 साल पहले उस ज्ञान चंद के साथ मुझ पर आरोप लगा कि मेरा व उसका माइनिंग को लेकर संबंध है। एक भाई-बहन ने मिलकर इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय हमारी सरकार थी और इस विषय को लेकर जांच भी की गई थी। मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूं और तब मैं

विधायक हुआ करता था तथा उस समय मुझे यह मालूम भी नहीं था कि एक दिन मैं मुख्य मंत्री बन जाऊंगा। उस समय मैंने माननीय हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया जिसकी एवज में आज भी एक लाख रुपये कोर्ट में जमा हैं। वह केस चल रहा है और उसमें क्रीमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इसमें दो पत्रकार भी शामिल थे। एक पत्रकार 'अमर उजाला' और दूसरा पत्रकार 'दैनिक सवेरा' का था। दोनों पर 10 साल से केस चल रहा है। सभी का स्वाभिमान व आत्मसम्मान तभी जिंदा रह सकता है जब ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया जाए। ई.डी. वाले उस ज्ञान चंद को उठा कर ले गए और चर्चा हम पर हो रही है। इसके अलावा जिस दूसरे व्यक्ति को ई.डी. उठा कर ले गई वह भाजपा का कार्यकर्ता है। उसमें चार पार्टनर्स हैं। यह कहावत स्टीक बैठती है कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" क्योंकि श्री बिक्रम सिंह जी ने उद्योग मंत्री रहते हुए उनका क्रशर सैंक्शन किया और उसकी लीज़, जोकि ज्वालामुखी में है, भी इन्होंने ही सैंक्शन की थी। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने उनको क्रशर दिया क्योंकि उसे क्रशर दिलवाने में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। उसे क्रशर मिल गया था और मेरी सरकार ने ब्यास नदी पर सभी क्रशरों को बंद कर दिया था। हमारे दल में भी क्रशर वाले बहुत लोग बैठे हुए थे और वे बाद में यहां से खिसक कर सामने की ओर चले गए थे। मुझे मालूम नहीं था कि क्रशर वाले इतने

19-12-2024/1805/एच.के.-एन.जी./2

मजबूत होते हैं कि सरकारें तक हिला देते हैं। भागे हुए एम.एल.ए. मेरे पास हर रोज आते थे कि क्रशर बंद हो गए हैं। बरसात के मौसम में दो माह के लिए हर वर्ष सभी क्रशरों को बंद कर दिया जाता है लेकिन उन क्रशरों में मौजूद स्टॉक्स को बेचने के लिए सभी सरकारें अनुमति देती रही हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो गई कि मैंने एक व्यक्ति को क्रशर चलाने में मदद की है। हमारे क्षेत्र में क्रशर लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। 25 साल से मुझे बोला जा रहा है कि क्रशर लगा लो लेकिन मैंने इस पर कभी काम नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं कि जब देहरा में उप चुनाव हो रहा था तब ई.डी. के अधिकारियों ने उस व्यक्ति को चांटे मारे और पूछा कि आपका किस व्यक्ति के साथ क्या

संबंध है? उस व्यक्ति का मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं था लेकिन वह मेरा समर्थक जरूर है। वह तो श्री अनुराग ठाकुर जी का भी समर्थक है। यह बात मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी जानते हैं। इस बात को लेकर विपक्ष के लोग बहुत उछलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक जीवन में 30-32 साल से हूँ। मुझे 20-22 वर्ष विधायक बने हुए हो गए हैं और उससे पहले मैं 10 वर्ष शिमला नगर निगम में पार्षद रहा हूँ। मेरे ऊपर एक आदमी भी अंगुली नहीं उठा सकता। विपक्ष के लोग इसलिए कच्चा चिट्ठा लेकर आए हैं क्योंकि ये लोग श्री जय राम ठाकुर जी को उलझाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में आपसी लड़ाई चल रही है और हमें इनकी लड़ाई से कुछ नहीं लेना है। पूर्व सरकार के समय में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ। यहां पर कृज़ की बात बहुत की गई है। कृज़ चलाने से इनको बड़ा दुःख हुआ।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19.12.2024/1810/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्री जारी---

हमने भी मोटर बोट और जैटी चलाई, बड़ा आनन्द आया। अब कृज़ चला दिया। एक सोच विकसित करनी है। टूरिज्म सैक्टर में हमें 18 प्रतिशत जी.एस.टी. आता है। अगर हम टूरिज्म सैक्टर को इन चीजों से डवलप करेंगे तो प्रदेश की 18 प्रतिशत आय बढ़ेगी, तो हमने चलाया। अब दो ठेकेदारों की लड़ाई है। एक ठेकेदार ने रणधीर शर्मा को पकड़ लिया कि यह टैंडर गलत हुआ। उसके लिए कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने भी बोल दिया। वहां जो कृज़ लाया, उसका लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर विधायक लोग ठेकेदारों की लड़ाई सदन में आकर लड़ेंगे तो यह उचित नहीं है। हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें कृज़ क्या, हम टूरिज्म की पूरी पॉलिसी को ओपन करना चाहते हैं। कोई आए, चलाए और हमको रेवन्यू दे। जिस नदी से कुछ नहीं मिल रहा है उसका वह हमें 30 लाख रुपये दे रहा

है। हमें तो रेवन्यू चाहिए। उसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमारा उसमें कुछ नहीं लग रहा है। सरकार तो सिर्फ उस डैम में क्रूज चलाने की इजाज़त दे रही है। क्रूज चलाने वाला क्योंकि लोकल बिलासपुर का है, तो ऐसे ही किसी का भी नाम लिख दिया। आज मैं इस माननीय सदन में इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की वाटर बॉडी में कोई भी 40 से 50 किलोमीटर तक टूरिज्म सैक्टर में आकर चला सकता है। अपने पैसे खर्च करे, चला दे और हमें रेवन्यू दे। हम इसमें अपने और सबके लिए नियम और पॉलिसी भी बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, पेखुबेला के बारे में श्री जय राम ठाकुर जी भी बार-बार कह रहे हैं। मैं कैसे समझाऊँ कि जिस प्रोजैक्ट की आप बात कर रहे हैं, उसकी वर्ष 2022 में पब्लिकेशन हुई। उसकी डी.पी.आर. की कीमत 144 करोड़ रुपये थी। जब उसको अवार्ड किया गया तो 215 करोड़ रुपये में 35 मेगावाट का किया। वह सिर्फ 35 मेगावाट ही डी.सी. लेगा। हम 45 मेगावाट कर रहे हैं और फुल डी.सी. 32 मेगावाट की ले रहे हैं। डायरेक्ट में होता है, हमारी एश्योर्ड गारंटी है। बरसात हो गई है, तीन रुपये कुछ पैसे के हिसाब से मैंने पहले दिया है तो ये पेखुबेला की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रोजैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लेशन के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। किसी चीज की कीमत यदि आज 10 रुपये है तो वह आगे 4 या 5 प्रतिशत बढ़ जाती है। अगर हम इंप्लेशन के साथ जोड़े और हमें इस नीति में परिवर्तन लाना पड़ेगा नहीं तो हर कोई अंगुली उठाएगा कि कीमत कैसे बढ़ गई। दस वर्ष पहले अगर आप एफ0डी0 करते थे तो वह 5 वर्षों के बाद डबल हो जाती थी जोकि अब **19.12.2024/1810/केएस/एचके/2**

10 वर्षों में डबल होती है। आपकी जो चीज 12 वर्षों बाद बनेगी उसकी कीमती दस वर्षों के बाद डबल हो जाएगी। हमारी सरकार इस बारे में विचार करेगी कि इंप्लेशन के साथ भारत सरकार ने जो दिहाड़ी को जोड़ा है तो हम इस नीति में कॉन्ट्रैक्ट को भी जोड़ने की बात सोच सकते हैं। इससे यह होगा कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार के आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आर्बिट्रेशन के क्लॉज को सभी विभागों से खत्म कर दिया है। हो क्या रहा है कि सारे मामले आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। आर्बिट्रेशन में हमारी विडम्बना यह है कि आज तक सरकार ने एक भी केस नहीं जीता है लेकिन फिर भी ये आर्बिट्रेशन का क्लॉज देखते रहे। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि

आगे किसी भी टैण्डर में कोई भी आर्बिट्रेशन नहीं होगा। यहां पर श्री जय राम ठाकुर जी ने एक बात ठीक कही, मैं मानता हूं कि इनके टाइम में कुछ अपील हुई थी परंतु वकील खड़े नहीं किए गए थे। हमने टॉप के वकील खड़े किए जिसमें हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस भी जीता और अदानी का केस भी जीता। यहां पर जो मोजरवेयर की 64 करोड़ रुपये की बात की जा रही है, यह केस भी हम जीतेंगे। हमने यह पैसा इसलिए जमा नहीं करवाया, हम उनको आर्बिट्रेशन का पैसा क्यों दें जब सिंगल बैंच का अवार्ड हो गया। हमने बोला कि हम यह पैसा नहीं देंगे, हम इस पैसे को वापिस लेंगे। जब हमारी इंटेंट अच्छी है और ये लोग जो यहां पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो ये केवल हमारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

19.12.2024/1815/av/वाईके/1

मुख्य मंत्री--- जारी

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, अब पता नहीं श्री जय राम ठाकुर जी को पता चलता होगा या नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यमुनानगर की सौ करोड़ रुपये की जगह है जिसको इन्होंने साढ़े चार करोड़ रुपये में बेच दिया। हमारी सरकार आई और हमने उस एग्रीमेंट को अपनी कैबिनेट में रिजैक्ट किया। वे कब्जा करने लगे फिर बड़ी मुश्किल से हमने उसमें कोर्ट से स्टे लिया। यमुनानगर की वह प्रोपर्टी हमें जीवनभर के लिए दी गई थी, उसको बेचने का हमें एक और उदाहरण मिला। कैबिनेट ने जाते-जाते निर्णय लिया, शुक्र करो आम जनता की सरकार आ गई और हमने उसको कैंसिल किया। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने अप्रोच किया कि इस प्रोपर्टी को हमें दिला दो। इनकी सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के ये हाल हैं। अगर कागजों को पढ़ते तभी पता चलना था। मुझे पता था कि इन लोगों ने पूरी बात

नहीं सुननी। इसलिए मैं अपनी पार्टी के विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग जो बीच में छोटी-छोटी बातें उठा रहे थे, मैं उनका ठीक से उत्तर दे सका। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने आए हैं। हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य जनूनी होकर काम करते हैं। इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। अगर आपने किसी प्रकार की चर्चा करनी है और चर्चा में पूरे एक घण्टे अपनी बात की और फिर खिसक लिए। मैंने तो उनको कहा था कि आपके खिसकने से दस मिनट पहले मैं अपनी बात कह दूंगा लेकिन वे हमारी बात सुनते ही नहीं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी हमारे पास शिकायत आएगी, हमारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजेगी।

अध्यक्ष महोदय, आप कितने दयावान है। ये अपनी सारी बात ऐसे ही कह गए और मुझे आप कागज रखने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं कागज इसलिए भी रखना चाह रहा था ताकि वह सदन में डॉक्यूमेंट्स बनें। आप कई चीजों को देखते हैं और ये परतें धीरे-धीरे खुलेंगी। हर चीज का खुलासा होगा और हम इसमें सारी चीजें बाहर लाएंगे। यह कच्चा चिट्ठा हमारी सरकार के विरुद्ध नहीं लाया गया बल्कि श्री जय राम ठाकुर जी के खिलाफ लाया गया है।

19.12.2024/1815/av/वाईके/2

यहां पर ई0ओ0टी0 की बात की जा रही थी। कहा गया कि होटल बेच दिए और बड़ी जोर-जोर से कह रहे थे कि आप बेच रहे हैं। हम प्रदेश की संपदा को बनाने आए हैं या बेचने आए हैं। बेचा तो आपने जो 300 बीघा जमीन बेच दी। लेकिन हमारी कोई भी सम्पत्ति नहीं बिकेगी। होटल चलाने के लिए हमारे पास कई तरह की चीजें होती हैं। उस पर सरकार कई प्रकार से विचार करती है और टूरिज्म के हक में कोई भी फैसला लेने से हम पीछे नहीं हटते। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि 18 होटल्स घाटे में हैं इनको बंद करो, तो इसमें क्या बात हो गई? अगर सरकार ने किसी चीज का एफिडेविट दिया है कि लॉस में है तो क्या हम जनता को सच भी न बताएं? अगर आप कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन नहीं दे

सकते तो उन्होंने तो पूछना ही था कि आप इन 18 होटल्स के बारे में बताइए। यहां मेरे इंटरव्यू के बारे में बताया गया कि मैंने यह कहा कि जो काम प्रशासनिक तौर पर नहीं किया जा सकता उसको न्यायपालिका कर देती है। कई बार लॉ को इंटरपिटेशन करने के लिए न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ता है। जिस दिन कुछ होगा तो वह पहले कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट में उस पर आगे विचार किया जाएगा। महज किसी पर दोषारोपण करना और चर्चा में लाना कि होटल बेच दिए, इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए।

टी सी द्वारा जारी

19.12.2024/1820/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

मुख्य मंत्री ... जारी

वे जितना मर्जी शोर मचा लें, लेकिन जब नीयत, नीति, दिमाग और दिल साफ होता है तभी प्रदेश की सेवा की जाती है। अध्यक्ष महोदय, कई इश्यूज हैं। यहां पर तंबोला की बोली की बात की गई कि वर्ष 2023 में तंबोला 56 लाख रुपये का गया और इस बार 2.12 करोड़ रुपये का गया। यह हमारी सरकार की कार्य-प्रणाली है जिसने पिछली सरकार की इस गलती को पकड़ा और इस बार इसे 2.12 करोड़ रुपये का दिया। यहां एक माननीय सदस्य कैल्कुलेट कर रहे थे, पता नहीं कौन-सी कैल्कुलेशन करके लाए थे। इनको अपना पता ही नहीं है कि ये आउटसोर्स पर क्लीन-बेस को कितना काम देते गए। इन्होंने अपने सारे आदमी क्लीन बेस के तहत लगाए और आज दूसरों की बात कर रहे हैं। इसलिए ठीक ही कहा है कि हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और होते हैं। इनकी सरकार के समय में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में घोटाला हुआ और जब श्री जय राम ठाकुर जी के ऑफिस में बात आई कि अपने लोगों को सलैक्ट करवाने के लिए पेपर लीक किया गया तो उन्होंने उस पेपर को कैंसिल किया। यह इनकी सरकार की मानसिकता थी। उसकी इन्क्वायरी कभी सी0बी0आई0 के पास गई और कभी कहीं गई। उस समय भी केन्द्र में इनकी सरकार थी। सुन्दरनगर में शराब की ट्रेजरी हुई और पहली बार जहरीली शराब से सात लोगों की मौत

हुई। लेकिन यह सरकार उसके बाद भी नहीं जगी और फिर भी शराब के ठेके उन्हीं ठेकेदारों के बीच करती रही। इससे पिछली सरकार की संवेदनशीलता का पता लगता है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि विपक्ष के माननीय सदस्य भी यहां सदन में होते तो इनकी बातों का जवाब देने में और मजा आता। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। हमारी सरकार यह भी सोच रही है कि भ्रष्टाचार शब्द जो एक स्टैंडिंग स्लोगन हो गया है और 20 सालों से हम भी भ्रष्टाचार के बारे में सुनते आ रहे हैं। इसलिए भविष्य में हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट एक्ट लाने की जरूरत है। हमारी सरकार आने वाले समय में विधि के

19.12.2024/1820/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

एक्सपर्ट्स से बात करेगी और भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जाए इसके लिए विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् यदि उचित होगा तो इसके लिए एक्ट लाने पर विचार किया जाएगा। यह मैं अभी से नहीं कह रहा हूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब भी मैंने इसी तरह की बात कही थी। हम इस विषय के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार से संबंधित ये जो स्टैंडिंग स्लोगन चले हुए हैं इनको समाप्त किया जा सके। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके अधीन एक एक्ट बनाने पर विचार करेंगे जिससे हम सभी मामलों को ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकें। सभी विधायक जो सम्पत्ति खरीदते हैं, उनका सोर्स ऑफ इंकम क्या है? उसका एक एफिडेविट तो हम देते हैं लेकिन लोगों की नजरों में तीन चीजें ट्रांसपेरेंसी, मोरेलिटी और ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है।

एन0एस0 द्वारा जारी....

19-12-2024/1825/एन0एस0-ए0जी0/1

मुख्यमंत्री ----- जारी

ये राजनीति के तीन असूल हैं जो जिंदगी में होने चाहिए। हमारी सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने एक बात उठाई है तो मैं बताना चाहता हूँ कि जहां पर चैनलाइजेशन हो चुकी है और 1500 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं अगर वहां पर दोबारा से माइनिंग शुरू होगी तो कुछ लोगों के चक्कर में 1500 करोड़ रुपये व्यर्थ हो जाएंगे तथा जनता की सम्पदा को नुकसान पहुंचेगा। यह बात माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने भी उठाई है। हमें इस बारे में कोई नीति बनाने की आवश्यकता है और हमारी सरकार इस बारे में नीति बनाएगी कि जहां चैनलाइजेशन हुई है वहां पर माइनिंग न हो। हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हम इसमें किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में इस पर नीति बनाने बारे विचार किया जाएगा। यहां पर एक बात माननीय राजेश धर्माणी व माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने कही कि जंगल कट रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जंगल के कटान पर भी विचार कर रही है। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्ज कहलाते हैं और हमारे यहां पर घने जंगल हैं तथा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। इस पर भी विचार किया जाएगा कि जंगल के कटान पर बैन कितने महीने के लिए किया जाए और कितने महीने के लिए खोला जाए। इसको सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए। यह बात ठीक है कि गगरेट के पास 50 से 100 ट्रक खड़े होते हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वे ट्रक कोई गगरेट के नहीं हैं। ये ट्रक हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर व अन्य स्थानों से भी आते हैं। पिछले दिनों जब पांवटा साहिब में आपदा आई तो हमें वहां से लकड़ी स्मगलिंग की खबर मिली और हमने वहां पर छापा मारा तथा काफी लकड़ी बरामद की। हमें इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि जंगलों को बचाया जा सके। हमने आम के पेड़ों को कटने से बचाया लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने समय में इनको काटने की परमिशन दे दी थी। 50 वर्ष पुराने पेड़ जिनमें छोटे-छोटे आम लगे हुए थे, उनको काटने की परमिशन दे दी थी। हम इस बारे में विचार करेंगे। मेरा मानना है कि आने वाले समय में पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने व हटाने बारे विचार किया जाए क्योंकि उसमें एक पहलू खैर का भी है। इस पहलू का अध्ययन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ विषय जो आज की इस चर्चा में मेरे ध्यान में आए हैं उस पर हमारी सरकार विचार करेगी। मैं कह सकता हूँ कि डिजिटाइजेशन की तरफ जितनी हमारी सरकार

19-12-2024/1825/एन0एस0-ए0जी0/2

पिछले दो वर्षों में बढ़ी है उतनी डिजिटाइजेशन ऑनलाइन पहले कभी नहीं थी। हमारी सरकार इस दृष्टि से भी काम कर रही है। वर्ष 2021 में प्रदेश में माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार थी तो उस समय प्रदेश में 19 प्रजातियों को एग्जेंट कर दिया गया था जिसमें आम, बान, ओक के पेड़ भी शामिल थे। जिससे हजारों पेड़ बिना किसी रेवोल्यूशन के प्राइवेट एरिया में काटे गए। हमारी सरकार ने इसे घटा कर 19 से 13 प्रजातियों में सीमित कर दिया है और इन प्रजातियों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम, बान, गुलेर, रीठा, पाजा, तूनी इत्यादि को काट नहीं सकते हैं। मैं इससे भी आगे बढ़ कर सोच रहा हूँ कि खैर के अलावा अगर कोई और पेड़ नहीं काटने हैं तो उसमें हमारी सरकार प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी। मैं कह सकता हूँ कि नियम-67 के तहत विपक्ष के माननीय सदस्य अपने ही नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रस्ताव लाए हैं और इस प्रस्ताव का हमारी सरकार ने भरपूर जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की रिवाज है कि ये सदन का समय व्यर्थ करते हैं और सुनने के वक्त वॉकआउट करके चले जाते हैं। मैं इस माननीय सदन को यह आश्वासन देता हूँ कि सरकार हर तरह से पारदर्शी है और सरकार में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वे निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी निष्पक्षता, ईमानदारी से काम करते हैं और जहां नियम अलाउ करते हैं तो वहां विपक्ष के माननीय सदस्यों के भी काम करते हैं। इसके लिए सोच तो हमें रखनी है। मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे अधिकारियों के कार्यों को भी देखते हैं। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो गलत मंशा से कार्य करता होगा।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

19.12.2024/1830/RKS/HK/-1

मुख्य मंत्री.... जारी

लेकिन हमें सिस्टम में कुछ और पारदर्शिता लाने और व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए और भी नियमों में परिवर्तन करेंगे ताकि हम पारदर्शिता से काम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने ही लोगों के खिलाफ लाये गए भ्रष्टाचार प्रस्ताव की निंदा करता हूँ। धन्यवाद।

अध्यक्ष : इससे पहले की संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य दें, मैं इस सदन की बैठक सायं 7.00 बजे तक बढ़ाने की व्यवस्था देता हूँ। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

19.12.2024/1830/RKS/HK/-2

संसदीय कार्य मंत्री : भारतीय जनता पार्टी ने नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार पर चर्चा लाई है। इसमें इन्होंने कहा कि दो साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर यह सदन चर्चा करें। इन्होंने इस प्रस्ताव को आधे-अधूरे मन से पेश किया है। इन्होंने इस विषय में क्या सबूत दिए यह सब हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस सदन के माध्यम से देखा है। इनके कहने के बाद जब मुख्य मंत्री जी ने इनके चिट्ठे खोलने शुरू किए तो ये सदन छोड़कर चले गए। यह इनकी पुरानी आदत है। मुझे इस सदन में 30 वर्ष हो गए हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार काम रोको स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया है। यह पहली सरकार है जिसने सदन के अंदर सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सुनने और लगाने का मौका विपक्ष को दिया है। इनके सब आरोप खोखले साबित हुए हैं। सदन की सारी कार्यवाही रिकॉर्ड में आती है मगर इस सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता से जनता के हितों के लिए काम किया है। इन दो वर्ष के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की पीठ पर छूरा घोंपने का काम किया है, वह भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को चुनकर यहां भेजा था इन्होंने उस सरकार को गिराने का पूरा प्रयास किया। राज्य सभा के चुनाव में किस तरह से इन्होंने धन बल के आधार पर कांग्रेस विधायकों के वोट हासिल किए। हमने इस संदर्भ में पीटिशन फाइल की और उन विधायकों की सदस्यता रद्द हुई। ये सुप्रीम कोर्ट गए जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी पीटिशन को ठुकरा दिया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि

लोग सदन के भीतर आने के लिए अपनी हर चीज दाव पर लगा देते हैं। जिन तीन निर्दलीय विधायकों को जनता ने चुनकर सदन में भेजा था उन्होंने अपना त्याग-पत्र क्यों दिया? जब आपने उन्हें त्याग-पत्र पर पुनर्विचार करने के लिए कहा तो वे विधान सभा के बाहर धरने पर बैठ गए। यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि निर्दलीय विधायक इसलिए धरने में बैठे हैं ताकि उनका त्याग-पत्र स्वीकार किया जाए। इसका क्या कारण होगा यह बात हम भी समझते हैं। हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं का प्रदेश है। इन्होंने इस प्रदेश की राजनीति को गंदा करने की कोशिश की है। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ओपेशन लॉट्स को फेल किया। मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 40 हुई। अगर मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं श्री जय राम ठाकुर जी को कहता कि बैंक स्टेबिंग और चुनी हुई सरकार को गिराने का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपने ही किया है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

19.12.2024/1835/बी0एस/0/ ए0एस-1

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) जारी...

इन्होंने जो किया है, पिछले दो सालों के इतिहास में सबसे बड़ी बात थी कि सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार स्थिर है, मजबूत है और हिमाचल प्रदेश की जनता का विकास करेगी और मुख्य मंत्री आदरणीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी वर्ष 2027 तक मजबूती से कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस विधायक दल की तरफ से यह निंदा प्रस्ताव पेश करता हूँ और भाजपा की जो कार्यप्रणाली है, जो इनका कच्चा चिट्ठा था, वह झूठा साबित हुआ है। यह सदन इसकी भरसक निंदा करता है।

निंदा प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

अध्यक्ष : नियम-67 के अन्तर्गत लाए गए स्थगन प्रस्ताव के मूवर्ज सदन से बाहर चले गए हैं और सदन में उपस्थित नहीं हैं। अतः स्थगन प्रस्ताव अब चर्चा के उपरांत अस्वीकार किया गया।

आज बहुत सारा बिजनेस लिस्टिड था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वित्त से संबंधित था। मैं समझता हूं कि अभी माननीय सदन का समय 10-12 मिनट का बचा है तो इसे पूरा कर लिया जाए।

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिनमें राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिनमें राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

19.12.2024/1835/बी0एस/0/ ए0एस-2

- (1) हिमाचल प्रदेश विद्युत)शुल्क (संशोधन विधेयक, 2024(2024का अधिनियम संख्यांक7);
- (2) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर)संशोधन (विधेयक, 2024 (2024का अधिनियम संख्यांक8);
- (3) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना)संशोधन (विधेयक, 2024 (2024का अधिनियम संख्यांक9); और
- (4) हिमाचल प्रदेश आबकारी) संशोधन (विधेयक, 2024(2024का अधिनियम संख्यांक10)।

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ-:

-) i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल) रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज (थर्ड अमेंडमेंट रूल्ज, 2024जोकि अधिसूचना संख्या:पर)एपी-(सी-बी)19-(3/96-वॉल्युम-VIII, दिनांक 30.08. 2024द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक06 .09. 2024को प्रकाशित;

19.12.2024/1835/बी0एस/0/ ए0एस-3

-) ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, ग्रुप-सी) अराजपत्रित (सामान्य भर्ती और प्रोन्नति) द्वितीय संशोधन (नियम, 2024जोकि अधिसूचना संख्या : पीईआर)ए.पी-(.सी-ए)3-(4/2010-लूज, दिनांक 16.11. 2024द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक22 .11. 2024को प्रकाशित;
-) iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024जोकि अधिसूचना संख्या :पब-ए) 3-(1/2024, दिनांक 19.11. 2024द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.11. 2024को प्रकाशित;

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Thursday, 19 December, 2024

-) iv) कंपनी अधिनियम, 2013के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत एस.जे.वी.एन .लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24;
-) v) विद्युत अधिनियम, 2003की धारा104 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखें तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24;
-) vi) बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021, अध्याय XI, विविध खंड संख्या 45के अन्तर्गत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24;
-) vii) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षण) डीपीसी (अधिनियम 1971की धारा19 (ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर संचार निगम लिमिटेड का15 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022- 23(विलम्ब के कारणों सहित(;

19.12.2024/1835/बी0एस/0/ ए0एस-4

-) viii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 148 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017जोकि अधिसूचना संख्या :71/2017 राज्य कर ई .एक्स.एन-.एफ)10-(44/2017, दिनांक 16.01. 2018द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक20 .01. 2018को प्रकाशित;
-) ix) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 168 और धारा 37के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या :72/2017 राज्य कर ई .

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Thursday, 19 December, 2024

-
- एक्स.एन-.एफ)10-(44/2017, दिनांक 16.01. 2018द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक20 .01. 2018को प्रकाशित;
-) x) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017की धारा 128 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या :73/2017 राज्य कर ई .एक्स.एन-.एफ)10-(44/2017, दिनांक 16.01. 2018द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक20 .01. 2018को प्रकाशित;
-) xi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या :74/2017 राज्य कर ई .एक्स.एन-.एफ)10-(44/2017, दिनांक 16.01. 2018द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक20 .01. 2018को प्रकाशित; और

19.12.2024/1835/बी0एस/0/ ए0एस-5

-) xii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या :75/2017 राज्य कर ई .एक्स.एन-.एफ)10-(44/2017, दिनांक 16.01. 2018द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.01. 2018को प्रकाशित।

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री: माननीय अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक अधिनियम, 1971की धारा19 -क)3 (के अन्तर्गत हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, काँगड़ा का 27वाँ व28 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019- 20व2020 - 2021(विलम्ब के कारणों सहित (की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : अब कृषि मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मन्त्री: अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन एवं औद्योगिकी उपज विपणन बोर्ड)विकास एवं विनियम (अधिनियम, 2005की धारा48 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वार्षिक राज्य लेखा परीक्षा विभाग के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2004- 05से लेकर2019 - 20तक)विलम्ब के कारणों सहित(, की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : अब राजस्व मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश भू-व्यवस्था कार्यालय, शिमला और काँगड़ा, अधीक्षक ग्रेड-1, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024जोकि अधिसूचना

19.12.2024/1835/बी0एस/0/ ए0एस-6

संख्या:रैव-ए-ए03/3/2023, दिनांक 11.09. 2024द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.09. 2024को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा 186 की उप-धारा) 4 (के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज) जिला परिषद् संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तें (नियम, 2024जोकि अधिसूचना संख्या :पीसीएच-एचए)1(11/2010-1-जे0ई0रूल, दिनांक 05.09. 2024द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 13.09. 2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब नगर और ग्राम योजना मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

नगर और ग्राम योजना मन्त्री : अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश अचल सम्पत्ति नियामक प्राधिकरण के हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट)विनियमन और विकास (नियम, 2017के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट) विनियमन और विकास (अधिनियम, 2016(2016का अधिनियम संख्या16) की धारा 78के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023- 24की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

19.12.2024/1835/बी0एस/0/ ए0एस-7

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष :अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ-:

- (1) समिति का **82वां मूल प्रतिवेदन**) चौदहवीं विधान सभा (जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007 - 08 (राज्य के वित्त (पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;
- (2) समिति का **83वां मूल प्रतिवेदन**) चौदहवीं विधान सभा (जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008- 09 (राज्य के वित्त (पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;
- (3) समिति का **84वां मूल प्रतिवेदन**) चौदहवीं विधान सभा (जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009 - 10 (राज्य के वित्त (पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;
- (4) समिति का **85वां मूल प्रतिवेदन**) चौदहवीं विधान सभा (जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010 - 11 (राज्य के वित्त (पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;

19.12.2024/1835/बी0एस //0ए0एस-8

- (5) समिति का **86वां मूल प्रतिवेदन**) चौदहवीं विधान सभा (जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011 - 12 (राज्य के वित्त (पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है; और
- (6) समिति का **87वां मूल प्रतिवेदन**) चौदहवीं विधान सभा (जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012- 13 (राज्य के वित्त (पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष :अब श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2024-25), समिति का 16वाँ मूल प्रतिवेदन) चौदहवीं विधान सभा (जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) आर्थिक क्षेत्र ()वर्ष 2018 -19), 31मार्च 2019 के ऑडिट पैरा संख्या :4.26 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष :अब श्री विनोद कुमार, कार्यकारी सभापति, कल्याण समिति समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री विनोद कुमार :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, **कल्याण समिति** के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ-:

-
- (1) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन) चौदहवीं विधान सभा (जोकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)SCDP) द्वारा चलाई जा 19.12.2024/1835/बी0एस //0ए0एस-9 रही योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है; और
- (2) समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन) चौदहवीं विधान सभा (जोकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)SCDP) द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है।

19.12.2024/1835/बी0एस //0ए0एस-10

वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 व 2020-2021 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 व 2020-2021 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों पर विवरण प्रस्तुत करेंगे। This is the recommendation of the Public Accounts Committee.

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 व 2020-2021 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों पर विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष: लोक लेखा समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश कर दी। अतः परम्परा के अनुरूप इस पर चर्चा नहीं होती है। इसलिए मैं सम्बन्धित मांगों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

वर्ष 2014-2015 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों पर विचार एवं पारण
अब मांगों पर मतदान होगा।

मैं, सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूँ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2014-2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 29 और 31 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2014-2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 29 और 31 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।

19.12.2024/1835/बी0एस //0ए0एस-11

वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों पर विचार एवं पारण

अब मांगों पर मतदान होगा ।

मैं, सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूँ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2015-2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 5, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 28 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए ।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2015 - 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 5, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 28 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई ।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.12.2024/1840/DT/DC/-1

अध्यक्ष.... जारी

वर्ष 2016-2017 मांगों पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष: अब मांगों पर मतदान होगा। मैं सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूँ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2016-2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1, 2, 3, 10, 13, 16, 23 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2016-2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1, 2, 3, 10, 13, 16, 23 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार,
मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।**

वर्ष 2017-2018 मांगों पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष: अब मांगों पर मतदान होगा। मैं, सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूँ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2017-2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 5 और 10 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2017-2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या: 5 और 10 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को

19.12.2024/1840/DT/DC/-2

अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार,
मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई ।**

वर्ष 2018-2019 मांगों पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष: अब मांगों पर मतदान होगा। मैं, सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूँ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2018-2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 3, 5, 7, 10, 12, 13, 20, 22, 25 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए ।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2018 - 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 3, 5, 7, 10, 12, 13, 20, 22, 25 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकार,
मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई ।**

वर्ष 2019-2020 मांगों पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष: अब मांगों पर मतदान होगा। मैं सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूँ।

19.12.2024/1840/DT/DC/-3

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2019-2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 5, 13, 21, 22, 28 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु

राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2019 - 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 5, 13, 21, 22, 28 और 29 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार,
मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।**

वर्ष 2020-2021 मांगों पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष: अब मांगों पर मतदान होगा। मैं सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूँ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2020-2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 10, 13, 25, 28 और 31 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2020-2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 10, 13, 25, 28 और 31 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार,
मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।**

विधायी कार्य श्री एन.जी. द्वारा जारी

19-12-2024/1845/डी.सी.-एन.जी./1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) पुरःस्थापित हुआ।

19-12-2024/1845/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) पुरःस्थापित हुआ।

19-12-2024/1845/डी.सी.-एन.जी./3

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) पुरःस्थापित हुआ।

19-12-2024/1845/डी.सी.-एन.जी./4

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष.....श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

19.12.2024/1850/केएस/एचके/1

अध्यक्ष जारी---

अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार ।

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पुरःस्थापित करेंगे।

19.12.2024/1850/केएस/एचके/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) पुरःस्थापित हुआ।

19.12.2024/1850/केएस/एचके/3

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार ।

अनुमति दी गई ।

अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.12.2024/1850/केएस/एचके/4

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश(सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.12.2024/1850/केएस/एचके/5

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश(सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हिमाचल प्रदेश(सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश(सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश(सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश(सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश(सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.12.2024/1850/केएस/एचके/6

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Thursday, 19 December, 2024

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) पुरःस्थापित हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला- 176215
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2024

यशपाल शर्मा,
सचिव।